



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
(स्थानीय निकाय)



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
(स्थानीय निकाय)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
भाग-अ		
अध्याय-I		
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	3
पंचायती राज संस्थाओं की विविध समितियों का गठन	1.4	3
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	4
लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर	1.6	7
सामाजिक अंकेक्षण	1.7	8
लोकायुक्त	1.8	9
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण	1.9	9
पंचायती राज संस्थाओं का आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	1.10	10
वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दे	1.11	10
निष्कर्ष	1.12	18
अध्याय-II		
पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्ष		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग		
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन	2.1	19
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग		
मगरा क्षेत्रीय विकास योजना	2.2	64
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग		
बकाया किराए की वसूली का अभाव	2.3	76
छात्रावासों के निर्माण पर निष्फल व्यय	2.4	77

विषय सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
भाग-ब		
अध्याय-III		
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	3.1	79
संगठनात्मक ढांचा	3.2	80
शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति	3.3	80
विभिन्न समितियों का गठन	3.4	81
लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.5	82
लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर	3.6	83
लोकायुक्त	3.7	85
सम्पत्ति कर बोर्ड	3.8	85
अग्नि जोखिम अनुक्रिया	3.9	86
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण	3.10	86
शहरी स्थानीय निकायों की आन्तरिक अंकेक्षण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली	3.11	87
वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दे	3.12	87
निष्कर्ष	3.13	95
अध्याय-IV		
शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वायत्त शासन विभाग अपशिष्ट प्रबंधन	4.1	97
अनुपालन लेखापरीक्षा		
स्वायत्त शासन विभाग कम वसूली	4.2	135
सड़क कटाव प्रभार की वसूली का अभाव	4.3	137
राजस्व की हानि	4.4	138
बेहतरी प्रभार की कम वसूली/वसूली का अभाव	4.5	139
निष्फल व्यय एवं राजस्व की हानि	4.6	140
विवाह स्थलों से वार्षिक अनुमति/पंजीकरण शुल्क की वसूली कम/नहीं होना	4.7	142

परिशिष्ट		
संख्या	विवरण	पृष्ठ
I	संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का विवरण	145
II	संगठनात्मक ढांचा	146
III	चयनित इकाईयों का विवरण	147
IV	मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों के अधिकारों एवं पात्रताओं के बारे में धारणा	148
V	तालाब/तलाई/नाडा/नाडी/जोहड़/नाला/माइनर/नहर/एनिकट आदि के खुदाई से संबंधित कार्यों का विवरण	150
VI	मजदूरी के विलम्ब भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान	157
VII	जिला परिषद, भीलवाड़ा और राजसमंद में नाली/सी.सी. ब्लॉक/पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित पांच कार्यों का विवरण	158
VIII	जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में नाली/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इंटर-लॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित आठ कार्यों का विवरण	159
IX	जिला परिषद, राजसमंद में नाली/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इंटर-लॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित आठ कार्यों का विवरण	161
X	निष्फल निष्पादित कार्यों का विवरण	163
XI	इच्छित उद्देश्यों में निष्फल रहे निष्पादित कार्यों का विवरण	165
XII	पंचायत समिति, शिव (बाड़मेर) में दुकानों के संबंध में बकाया किराए का विवरण	166
XIII	संविधान में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण	167
XIV	नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	168
XV	प्रीमियम प्रभार, लीज किराए एवं बाह्य विकास प्रभार की वसूली का अभाव का विवरण	169
XVI	नगर परिषद, जालोर द्वारा प्रीमियम राशि और नगरीय निर्धारण (लीज किराए) की कम वसूली	170
XVII	नगरपालिका मंडल, फतेहपुर शेखावटी द्वारा प्रीमियम राशि की कम वसूली	172
XVIII	आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन पर रूपान्तरण प्रभार और लीज किराए की कम वसूली	173
XIX	आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन पर नगरीय निर्धारण (लीज किराए) की कम वसूली का विवरण	174
XX	बेहतरी प्रभार की कम वसूली/अवसूली का विवरण	175
XXI	विवाह स्थलों से पंजीकरण एवं वार्षिक अनुमति शुल्क की कम वसूली/अवसूली का विवरण	176

प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं सपठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) का परंतुक यथा संशोधित दिनांक 27 मार्च 2011 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-क यथा संशोधित दिनांक 31 मार्च 2011, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार को ऐसी लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु प्राधिकृत करते हैं, के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण सम्मिलित हैं जो 2016-17 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ-साथ वे भी जो विगत वर्षों में जानकारी में आए किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं बताए जा सके। जहां आवश्यक है, वहां 2016-17 के बाद के मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए (मार्च 2002) लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं :

भाग-अ पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाग में दो अध्याय शामिल हैं। अध्याय-I में 'पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन' और अध्याय-II में एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं तीन अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं।

भाग-ब शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाग में दो अध्याय शामिल हैं। अध्याय-III में 'शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन' और अध्याय-IV में एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं छः अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं।

इस विहंगावलोकन में इस प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत है।

भाग-अ

पंचायती राज संस्थाएं

1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों की कमजोर स्थिति जारी रही। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं के अपूर्ण व अनुपयुक्त लेखों का आंशिक प्रमाणीकरण किया जाना एक गम्भीर मुद्दा है। विभिन्न लेखांकन प्रारूपों के निर्धारण और विकसित लेखांकन पैकेज उपलब्ध होने के बावजूद राज्य सरकार एक मजबूत लेखांकन प्रणाली विकसित करने में विफल रही। पंचायती राज संस्थाओं ने पारंपरिक प्रारूपों में ही अपने लेखों का संधारण जारी रखा। ग्राम पंचायतों को आत्म-निर्भर बनाने हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्रत्यक्ष निधि का हस्तान्तरण प्राप्त हो रहा था। इसके बावजूद, अभिलेखों एवं विवरणियों का संधारण नहीं किया जा रहा था। विगत कई वर्षों से विभाग के पास 'निजी राजस्व' के आंकड़ों की अनुपलब्धता, पंचायती राज संस्थाओं को अपने निजी राजस्व के उत्पादन की महत्वता के पहचान की विफलता को दर्शाती है, फलतः वे पूर्ण रूप से राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान/सहायता पर पूर्णतः आश्रित थे। विगत वर्षों में महत्वपूर्ण लेखांकन और वित्तीय मुद्दों से संबंधित लेखापरीक्षा आक्षेपों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना, उनके निस्तारण के तरीकों और माध्यमों में राज्य सरकार की कम रूचि को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 1.1 से 1.12)

2. पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितम्बर 2005 में अधिनियमित किया। राजस्थान में यह अधिनियम प्रारम्भ में छः जिलों में फरवरी 2006 से लागू किया और अप्रैल 2008 तक सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया। अधिनियम को अक्टूबर 2009 से पुनः नामकरण 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) किया गया। अधिनियम के अधीन, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान अधिसूचित की। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों का सुनिश्चित श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर, आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

चयनित जिलों में मनरेगा के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि ग्राम सभा द्वारा वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट को समय पर अनुमोदित नहीं किया गया था और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन हेतु कोरम पूरा नहीं किया गया था, अनुमोदित कार्यों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं की गई थी। लाइन-विभागों के साथ अभिसरण बहुत कम था।

घर-घर सर्वेक्षण आयोजित नहीं किए गए, जॉब कार्ड नवीनीकृत नहीं किए गए, श्रमिकों को उनके काम के मांग की रसीद नहीं दी गई, दिव्यांग व्यक्तियों को मात्र 29 से 36 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में अनेक कमियां पायी गयीं और कुल मिलाकर 37.05 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे।

राज्य में मात्र 52.02 दिवस प्रति परिवार रोजगार उपलब्ध करवाया गया, कुल 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल में शून्य उपस्थिति दर्ज थी, श्रमिकों की उपस्थिति दैनिक आधार पर चिन्हित नहीं की गई थी। ₹ 704.37 करोड़ की मजदूरी और सामग्री के उत्तरदायित्व लम्बित थे। पेयजल सुविधा के अतिरिक्त अन्य श्रमिक सुविधाएं और पात्र गारंटीशुदा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। अतिरिक्त सामग्री घटक, व्यक्ति दिवसों, प्रशासनिक लागत इत्यादि की राशि ₹ 628.89 करोड़ पुनर्भरण नहीं की गयी थी।

राज्य रोजगार गारंटी परिषद नियमित बैठकें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पृथक नियमों के अभाव में उचित रूप से नहीं कर रही थी। नरेगा-सॉफ्ट पर सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया जा रहा था, 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निपटान परिवेदना सेल द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया, आवधिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा था और निरीक्षण प्रतिवेदनों और कार्यों की अनुश्रवण पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.1)

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना का उद्देश्य राजस्थान के पांच जिलों (अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद) की 14 पंचायत समितियों में सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत विकास करना था। इस योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियां जैसे समग्र ग्राम विकास के लिए भावी योजना, जल-निकासी योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे।

योजना के अन्तर्गत 2012-17 के दौरान उपलब्ध ₹ 202.34 करोड़ की निधियों में से केवल ₹ 21.81 प्रतिशत (औसत) का उपयोग किया गया और इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.29 करोड़ का वृहद अव्ययित अवशेष रहा। वित्तीय प्रबंधन कमजोर था, क्योंकि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को समय पर जमा नहीं करवाया गया और विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किए बिना निधियां आवंटित की गईं। अग्रेतर, निधियां अन्य योजनाओं को भी विपथन की गयी थीं।

योजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन की गति धीमी थी, 4,772 कार्यों में से 31.29 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे। योजना के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन मान-दंड के अनुसार नहीं किया गया और सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण नालियों और अपेक्षित परतों के बिना किया गया था। विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि अनिष्पादित मदों के लिए भुगतान किए गए और विभिन्न सृजित परिसम्पत्तियों का अभिप्रेत प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था। अग्रेतर, योजना के अन्तर्गत संधारण हेतु 15 प्रतिशत निधियों की उपलब्धता के बावजूद सृजित परिसम्पत्तियों का संधारण नहीं किया गया। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी कमजोर था क्योंकि तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2)

पंचायत समिति, शिव (बाड़मेर) बकाया किराया ₹ 89.13 लाख की वसूली में विफल रही।

(अनुच्छेद 2.3)

जिला परिषद, सवाई माधोपुर में छात्रावास भवनों (ईसरदा और बामनवास) के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप छात्र उचित छात्रावास सुविधाओं से वंचित रहे।

(अनुच्छेद 2.4)

भाग-ब

शहरी स्थानीय निकाय

3. शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

शहरी स्थानीय निकायों के निजी संसाधन पर्याप्त नहीं थे और वे केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण पर मुख्यतया निर्भर थे। निर्धारित प्रारूपों में लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव और लेखों के प्रमाणीकरण में सुस्त दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप हितधारक लेखांकन की सही जानकारी से वंचित रहे। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान वांछनीय 190 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों के प्रमाणीकरण के विरुद्ध केवल 122 शहरी स्थानीय निकायों (64 प्रतिशत) के लेखों को ही प्रमाणित किया गया था। इसी तरह, वर्ष 2015-16 के लिए 22 शहरी स्थानीय निकायों और वर्ष 2016-17 के लिए 70 शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखें निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। 48 शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखे अभी भी उपार्जन आधार के अलावा परम्परागत नकद आधार पर तैयार किए जा रहे थे। लेखापरीक्षा आक्षेपों के बकाया रहने तथा उनके निपटान में बहुत विलम्ब था। लेखापरीक्षा आक्षेपों के समय पर निस्तारण की विफलता से अनियमितताओं/कमियों की निरन्तरता का जोखिम अन्तर्निहित है।

(अनुच्छेद 3.1 से 3.13)

4. शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अपशिष्ट प्रबंधन

राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के लिए बढ़ते शहरीकरण और बदलती जीवन-शैली के साथ, अपशिष्ट उत्पादन और उसका उचित निस्तारण एक चुनौती बन गया है। केन्द्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के हथालन एवं प्रबंधन के लिए विविध नियम जारी किए। यह नियम राज्यों पर भी लागू होते हैं। राज्य में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विविध नियमों के क्रियान्वयन में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रवृत्त है। अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का विषय है और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के निष्पादन हेतु स्थानीय निकाय उत्तरदायी है। अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि :

उत्पन्न अपशिष्ट, भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित अपशिष्ट का अनुमान, श्रम-शक्ति और वाहनों की आवश्यकता एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न जोखिम का आकलन राज्य स्तर पर तथा जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में और सभी जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर नहीं किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार ने 2015-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को केवल ₹ 292.81 करोड़ जारी किए, जारी राशि में से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवंटित निधियों का केवल 20.69 प्रतिशत उपयोग किया और जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केवल 7.27 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया था।

यद्यपि पर्याप्त अधिनियम, नियम एवं नीतियां उपलब्ध थी, अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट को 'कम करने, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण' के लिए कोई प्रभावी नीतियां/योजनाएं नहीं थी। अग्रेतर, शास्ति उद्ग्रहण के लिए उप-नियमों और नामांकित प्राधिकारियों के अभाव में नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत ने अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति नहीं लगाई थी। राजस्थान सरकार ने ई-अपशिष्ट के क्रियान्वयन हेतु एकीकृत योजना तैयार नहीं की थी।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 55.41 प्रतिशत शहरी वार्डों में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया गया था। जांच की गई सभी शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट को न तो पृथक्करण और न ही संसाधित किया जा रहा था और असंसाधित नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था। अग्रेतर, 22 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल तीन में अपशिष्ट हेतु भूमि-भरण स्थल निर्मित किये गये थे, तथापि इन भूमि-भरण स्थलों का भी उपयोग नहीं किया जा रहा था।

जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, हथालन, भण्डारण, परिवहन और निस्तारण के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था।

(अनुच्छेद 4.1)

प्रीमियम, लीज किराया, रूपान्तरण एवं बाह्य विकास प्रभार की राशि ₹ 2.49 करोड़ की कम वसूली।

(अनुच्छेद 4.2)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सड़क कटाव प्रभार ₹ 2.45 करोड़ की वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 4.3)

नगर निगम, अजमेर द्वारा साइनेज बोर्डों की स्थापना हेतु स्थलों का चयन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़ की राजस्व हानि।

(अनुच्छेद 4.4)

नगर निगम, बीकानेर एवं नगर परिषद, नागौर द्वारा भवनों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर आवेदकों से ₹ 1.98 करोड़ के बेहतरी प्रभार की कम वसूली/वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 4.5)

नगर निगम, उदयपुर में विद्युत खंभों पर डिस्प्ले बोर्ड एवं युनिपोल/साइनेज पर कुल ₹ 1.44 करोड़ का निष्फल व्यय एवं राजस्व की हानि।

(अनुच्छेद 4.6)

स्वायत्त शासन विभाग के अनुमोदन के बिना वार्षिक अनुमति शुल्क को स्वेच्छा से घटाए जाने एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली के अभाव के परिणामस्वरूप विवाह स्थलों से ₹ 97.12 लाख की कम वसूली।

(अनुच्छेद 4.7)

भाग-अ

पंचायती राज संस्थाएं

अध्याय-I

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र
एवं
वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

अध्याय-I

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 पंचायती राज के नए स्वरूप की पुष्टि करता है जो कि स्थानीय स्वायत्त निकायों की जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर और अधिक शक्तियों के विकेन्द्रण के साथ त्रिस्तरीय¹ संरचना हेतु प्रावधान करता है।

तिहत्तरवें संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, माह अप्रैल 1994 से अस्तित्व में आया। यह पंचायती राज संस्थाओं को शासन के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उनके कार्यों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों को निरूपित करता है। तत्पश्चात, पंचायती राज संस्थाओं के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उसके अधीन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 निगमित किए गए।

मार्च 2017 तक राज्य में 33 जिला परिषदें, प्रत्येक जिला परिषद दो प्रकोष्ठों सहित अर्थात् ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायत प्रकोष्ठ, 295 पंचायत समितियां और 9,894 ग्राम पंचायतें कार्यरत थीं।

राजस्थान देश में आकार और विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जिसमें से 5.15 करोड़ (75.18 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय रूपरेखा के साथ राज्य की तुलनात्मक जन सांख्यिकीय एवं विकासात्मक रूपरेखा निम्न तालिका 1.1 में दर्शाई गई है :

तालिका 1.1

सूचक	इकाई	जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े	
		राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
जनसंख्या	करोड़	6.85	121.06
जनसंख्या (ग्रामीण)	करोड़	5.15	83.35
जनसंख्या (शहरी)	करोड़	1.70	37.71
जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	200	382
दशकीय विकास दर	प्रतिशत	21.30	17.70
लिंगानुपात	प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाएं	928	943
कुल साक्षरता दर	प्रतिशत	66.10	73.00

1. जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।


सूचक	इकाई	जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े	
		राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
महिला साक्षरता दर	प्रतिशत	52.10	64.60
पुरुष साक्षरता दर	प्रतिशत	79.20	80.90
कुल साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	61.40	67.77
महिला साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	45.80	57.93
पुरुष साक्षरता दर (ग्रामीण)	प्रतिशत	76.20	77.15
जन्म दर	प्रति 1,000 मध्य वर्ष जनसंख्या पर	24.8 (2015)	20.8 (2015)
मृत्यु दर	प्रति 1,000 मध्य वर्ष जनसंख्या पर	6.3 (2015)	6.5 (2015)
शिशु मृत्यु दर	प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर	43 (2015)	37 (2015)
मातृ मृत्यु दर	प्रति लाख जीवित जन्मों पर	244 (2011-13)	167 (2011-13)

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों को देखते हैं, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है :

चार्ट 1.1



1.3 पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 (xvii) पंचायती राज संस्था को इस अधिनियम के अधीन, किसी ग्राम या ब्लॉक या जिले के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व-शासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है। जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर केन्द्रीय एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्था के कार्य, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की प्रथम अनुसूची में वर्णित किए गए हैं, जिनमें कृषि, लघु सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े सामान्य प्रशासनिक कार्यों जैसे 33 कार्य सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार, पंचायत समितियों (30 कार्य) एवं जिला परिषदों (19 कार्य) के कार्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची में वर्णित किए गए हैं।

1.3.1 पंचायती राज संस्थाओं की निधियों, कार्यों तथा कार्मिकों का हस्तांतरण

तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के अनुसरण में, राज्य सरकार द्वारा जून 2003 एवं अक्टूबर 2010 में हस्तांतरण आदेश जारी किए गए। तदनुसार, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के सन्दर्भ में हस्तांतरित किए जाने वाले 29 कार्यों में से 28 कार्य प्रारम्भिक रूप से हस्तान्तरित किए गए। तथापि, मात्र 20 विषयों से संबंधित निधियों एवं कार्मिकों को हस्तांतरित किया गया (*परिशिष्ट-1*)। तदुपरांत, पंचायती राज विभाग से जनवरी 2004 में जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक-निर्माण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित पांच विषयों की निधियों, कार्यों तथा कार्मिकों के हस्तांतरण को वापस ले लिया गया।

प्रारंभ से कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति में कोई अतिरिक्त बदलाव नहीं आया है।

1.4 पंचायती राज संस्थाओं की विविध समितियों का गठन

1.4.1 जिला आयोजना समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अनुसरण में राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजन समिति का गठन किया। जिला कलेक्टर, जिला आयोजना समिति का एक सदस्य है और वह या उसके द्वारा नामित अधिकारी जिला आयोजना समिति की बैठक में उपस्थित होता है। जिला आयोजना समिति की बैठक की गणपूर्ति के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में से 33 प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक है।

जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजना को समेकित करना, सम्पूर्ण जिले के लिए विकासात्मक योजना का एक प्रारूप तैयार करना और इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करना है।

2016-17 के दौरान, जिला आयोजना समितियों की बैठकों में जिले की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन/समीक्षा, योजनाओं की त्रैमासिक/वार्षिक भौतिक/वित्तीय प्रगति, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तथापि, 33 जिलों में से केवल तीन जिलों भीलवाड़ा, झुन्झुनूं एवं कोटा ने ही जिला आयोजना समिति की चार बैठकें आयोजित की, 19 जिलों ने दो या तीन बैठकें आयोजित की तथा शेष 11 जिलों ने वर्ष में निर्धारित चार बैठकों के बजाय केवल एक ही बैठक आयोजित की।

1.4.2 स्थायी समितियां

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 55क, 56 एवं 57 में निहित प्रावधानों के अनुसार क्रमशः प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निम्नलिखित विषय समूहों (क) प्रशासन एवं स्थापना, (ख) वित्त और कराधान, (ग) विकास और उत्पादन कार्यक्रम जिनमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग और अन्य सहबद्ध विषयों से संबंधित कार्यक्रम सम्मिलित है, (घ) शिक्षा, (ङ) ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामदान, सूचना, कमजोर वर्गों का कल्याण और सहबद्ध विषय थे।

इन स्थायी समितियों की अध्यक्षता क्रमशः संबंधित संस्था के निर्वाचित सदस्य अथवा निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा स्थायी समितियों के गठन और कार्यशैली की वास्तविक स्थिति उपलब्ध नहीं करवाई गई।

1.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 75(4) विहित करती है कि किसी पंचायती राज संस्था में संधारित सभी लेखाओं का अंकेक्षण निदेशक,

2. नौ जिला परिषदों (अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जालोर, जोधपुर, राजसमंद, सीकर) द्वारा तीन बैठकें, 10 जिला परिषदों (अजमेर, बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर) द्वारा दो बैठकें और 11 जिला परिषदों (बारां, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, गंगानगर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, नागौर, और प्रतापगढ़) द्वारा एक बैठक आयोजित की गई।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन³ में पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण पर दो अध्याय सम्मिलित किए जाते हैं अर्थात् प्रथम 'पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की स्थिति' का और द्वितीय 'लेखापरीक्षा निष्कर्ष'। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेदों का परीक्षण राजस्थान विधानसभा द्वारा गठित स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति करती है।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का वर्ष 2015-16 के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के पटल पर 28 मार्च 2017 को उपस्थापित किया जा चुका है।

1.5.1.1 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1955 के नियम 23 (एच) के अनुसार, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा तीन स्तरों अर्थात् जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखे प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। चौदहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए (सितम्बर 2017) कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2015-16 तक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रमाणीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ताकि उन्हें अनुवर्ती वर्षों में निष्पादन अनुदान हेतु योग्य बनाया जा सके।

निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य में 10,222 पंचायती राज संस्थाओं में से 6,413 पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का प्रमाणीकरण किया। इन 6,413 लेखों में से मात्र नौ लेखों के प्रमाण-पत्र बिना किसी शर्त के जारी किए। शेष 6,404 लेखों को शर्तों के साथ प्रमाणित किया गया जो इंगित करता है कि लेखों का संधारण अनुचित और अपूर्ण था। प्रमाणित 6,413 लेखों में से 3,936 लेखे पूर्व वर्षों यथा 2014-15 से संबंधित थे। कुल 10,222 इकाईयों में से शेष 3,809 इकाईयां (37.26 प्रतिशत) अप्रमाणित रही।

यद्यपि वर्ष 2015-16 (2,290 प्रमाणीकरण) से वर्ष 2016-17 (6,413 प्रमाणीकरण) में लेखों के प्रमाणीकरण में वृद्धि हुई, उपर्युक्त उल्लेखानुसार पंचायती राज संस्थाओं की लेखांकन प्रणाली निरन्तर मानदण्डों के अनुसार नहीं रही।

3. राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 18 विहित करती है कि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग लेखापरीक्षित लेखाओं पर अपनी एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में रखे जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

1.5.1.2 स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा की गई अंकेक्षण के बकाया प्रकरण

रिक्त पदों एवं स्टॉफ की निर्वाचन ड्यूटी के कारण मार्च 2017 को पंचायती राज संस्थाओं की कुल 10,222 इकाईयों (जिला परिषदें : 33, पंचायत समितियां : 295 और ग्राम पंचायतें : 9,894) के विरुद्ध 8,809 इकाईयां (जिला परिषदें : 28, पंचायत समितियां : 263 और ग्राम पंचायतें : 8,518) का अंकेक्षण बकाया था। विगत कई वर्षों की लेखापरीक्षा बड़ी मात्रा में बकाया थी जैसा कि पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई थी, तथापि, विभाग द्वारा कोई रचनात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

मार्च 2017 तक निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए कुल 6,575 निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें 60,335 अनुच्छेद सम्मिलित थे, निस्तारण हेतु लंबित थे। इनमें से, ₹ 24.48 करोड़ के 7,421 अनुच्छेद गबन से संबंधित थे।

इस प्रकार, बड़ी मात्रा में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुच्छेद उत्तरदायित्व की ओर पहल के अभाव को इंगित करता है।

1.5.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम⁴, 1994 की धारा 75 की उपधारा (4) (दिनांक 27 मार्च 2011 को यथा संशोधित) के अनुसार की जाती है जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा करने एवं राज्य सरकार को राज्य विधानसभा में रखे जाने हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए भी प्राधिकृत करती है।

1.5.2.1 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग/पर्यवेक्षण की क्रियान्विति

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसरण में, वित्त विभाग (अंकेक्षण), राजस्थान सरकार द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की सभी स्तरों पर किए जाने वाले अंकेक्षण पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग/पर्यवेक्षण के 13 बिंदुओं को अंगीकृत करने हेतु दिनांक 2 फरवरी 2011 को अधिसूचना जारी की गई। राजस्थान सरकार की अधिसूचना (25 अप्रैल 2016) द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20)

4. किसी पंचायती राज संस्था द्वारा संधारित किए जा रहे सभी लेखों का वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जितना जल्दी संभव हो, राज्य के निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा तथा राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के प्रावधान लागू होंगे परन्तु यह भी कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भी ऐसे लेखों की नमूना जांच कर सकेंगे।

को आवृत करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग/पर्यवेक्षण उन्हीं नियम और शर्तों पर बढ़ा दिया गया।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित चार तथ्यात्मक विवरण एवं दो ड्राफ्ट अनुच्छेदों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग/पर्यवेक्षण के अन्तर्गत टिप्पणियों से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया गया।

वर्ष 2016-17 की अवधि में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा टिप्पणियों के लिए कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रेषित नहीं किया गया।

1.6 लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर

1.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों का प्रत्युत्तर

मार्च 2017 तक, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों (ग्राम पंचायत सहित) से संबंधित कुल 2,562 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 23,959 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे, विवरण निम्न तालिका 1.2 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.2

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2008-09 तक	1,303	9,846
2009-10	157	2,242
2010-11	112	1,123
2011-12	213	2,801
2012-13	189	2,587
2013-14	185	1,830
2014-15	178	1,393
2015-16	161	1,580
2016-17	64	557
योग	2,562	23,959

वृहद संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के भाग पर तुरन्त कार्यवाही करने के अभाव को इंगित करते हैं।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर

(i) गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 2015-16 में सम्मिलित राशि ₹ 27.65 करोड़ के सात अनुच्छेद मार्च 2018 तक राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में लम्बित थे।

(ii) वर्ष 2016-17 में पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समिति की केवल तीन बैठक आयोजित की गयी, जबकि लेखापरीक्षा समिति की आठ बैठकें आयोजित की जानी चाहिये थी।

1.6.3 समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परीक्षण और विचार-विमर्श हेतु स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान विधानसभा में गठित की गई है। फरवरी 2018 तक, समिति द्वारा वर्ष 2005-06 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विचार-विमर्श हेतु प्रक्रियाधीन है।

अनुशंसाएं :

1. लंबित अनुच्छेदों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लंबित अनुच्छेदों की अनुपालना एवं निपटान हेतु नियमित रूप से लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के संचालन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दे

जवाबदेही तंत्र

1.7 सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंकेक्षण नियम⁵, 2011 द्वारा लागू किया गया। ये नियम, सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन के तरीके एवं क्रियाविधि निर्धारित करते हैं।

अग्रेतर सरलता के लिए, विभिन्न पदाधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपने और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने 2012 में सामाजिक अंकेक्षण के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। राजस्थान में, निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण का गठन (सितम्बर 2009) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत किया गया। निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण राज्य

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंकेक्षण नियम, 2011 अधिसूचित किए गए (30 जून 2011)।

में योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण दिशा-निर्देश 2012 के प्रावधानानुसार करने के लिए उत्तरदायी है।

निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवृत करने हेतु वर्ष के प्रारम्भ में दो भागों में छः माही अवधि का वार्षिक कैलेंडर तैयार करता है। कार्यकारी अभिकरणों, लाइन विभागों और भुगतान प्राधिकरणों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है और निदेशालय और राज्य सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण ने अवगत कराया (जुलाई 2017) कि लक्षित 9,894 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध, वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम छः माही में 9,361 ग्राम पंचायतों और द्वितीय छः माही में 9,296 ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन किया गया था। वर्ष 2016-17 के प्रथम छः माही में सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने 59 शिकायतें पंजीकृत की थी, तथापि मार्च 2017 तक किसी का भी निराकरण नहीं किया गया।

1.8 लोकायुक्त

राज्य सरकार के मंत्रियों और उच्चाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और शक्तियों के त्रुटिपूर्ण उपयोग के प्रकरणों के समाधान के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसरण में, लोकायुक्त, राजस्थान का कार्यालय फरवरी 1973 में स्थापित किया गया। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है। जिला परिषद के सभापति एवं उप-सभापति, पंचायत समिति के सभापति एवं उप-सभापति और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा या गठित किसी भी स्थायी समिति के अध्यक्ष लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप-सरपंचों के कृत्य लोकायुक्त के सीधे क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

संयुक्त सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान ने सूचित किया (जून 2017) कि 2011-17 के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के 3,951 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 2,372 प्रकरणों का निपटान किया गया और शेष 1,579 प्रकरण लंबित थे।

1.9 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 284 एवं 286 के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदान के

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अतिरिक्त एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण भी उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अप्रैल 2013 से प्रारम्भ किया गया।

लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संबंधित विकास अधिकारियों/सचिवों द्वारा अलग से तैयार किया जाएगा और संबंधित विभाग के जिला स्तर अधिकारी को भेजा जाएगा, जिनके द्वारा अनुदान जारी किया था। जिला स्तर अधिकारी इसे प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे एवं सीधे ही महालेखाकार, राजस्थान को प्रस्तुत करेगा।

1.9.1 पंचायती राज विभाग

वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 6,379.24 करोड़ का आवंटन किया गया। तथापि विभाग ने आवंटित राशि के लिए कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए।

1.9.2 ग्रामीण विकास विभाग

वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को ₹ 856.54 करोड़ का आवंटन किया। तथापि, विभाग ने विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए।

विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि आवंटित निधियों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

1.10 पंचायती राज संस्थाओं का आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली


राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में यथा उपबंधित प्रावधानानुसार पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1954 के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की पंचायती राज संस्थाओं के लेखों तक पूरी पहुंच है। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा का विस्तार एवं प्रकृति राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 में वर्णित की गई है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की शुद्धता का प्रमाणीकरण भी सम्मिलित है।

1.11 वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दे

1.11.1 निधियों का स्रोत

राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्रोतों से प्राप्तियों एवं व्ययों को पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग-अलग संकलित किया जाता है। पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों द्वारा निष्पादित की जाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं का निधि प्रवाह चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है :

चार्ट 1.2



1.11.1.1 पंचायती राज विभाग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

पंचायती राज संस्थाएं स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व स्रोतों यथा - मेला कर, भवन कर, शुल्क, भूमि एवं भवनों से, जलाशयों इत्यादि से किराया तथा भूमि की बिक्री से पूंजीगत प्राप्तियों के अलावा सामान्य प्रशासन, विकासात्मक योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना सृजन इत्यादि हेतु पंचायती राज संस्थाएं राज्य सरकार एवं भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान/ऋण के रूप में निधियां प्राप्त करती हैं। केन्द्र/राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अधीन भी निधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा संकलित योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं की 2012-17 की अवधि की प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति निम्न तालिका 1.3 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
(अ) राजस्व प्राप्तियां					
निजी कर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
निजी गैर-कर (जिला परिषद)	2.90	4.66	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल निजी राजस्व	2.90	4.66	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राज्य सरकार से सहायतार्थ अनुदान	2,928.48	3,107.37	4,777.81	3,832.57	5,237.27*
तेरहवां वित्त आयोग अनुदान	953.81	1,017.14	1,042.09	1.63	शून्य
चौदहवां वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	1,471.95	2,305.52
कुल प्राप्तियां	3,885.19	4,129.17	5,819.90	5,306.15	7,542.79
(ब) व्यय					
राजस्व व्यय (वेतन एवं भत्ते तथा अनुरक्षण व्यय)	3,863.29	4,083.79	5,403.36	5,047.40	7,499.67
पूंजीगत व्यय	19.00	10.12	1.85	0.56	43.13
कुल व्यय	3,882.29	4,093.91	5,405.21	5,047.96	7,542.80
स्त्रोत : पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।					
* इसमें पांचवें राज्य वित्त आयोग से संबंधित ₹ 2,624.72 करोड़ सम्मिलित है।					

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि :

- गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में कुल प्राप्तियों में 42.15 प्रतिशत⁷ की वृद्धि हुई। इसी अवधि में गत वर्ष की तुलना में राज्य सरकार के अनुदानों में 36.65 प्रतिशत⁸ की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में कुल व्यय में भी 49.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सम्पत्तियों के निर्माण (पूंजीगत व्यय) के बजाए राजस्व व्यय (वेतन एवं रख-रखाव कार्य) पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान सम्पत्तियों के निर्माण पर केवल 0.57 प्रतिशत व्यय किया गया। कई वर्षों से अल्प पूंजीगत व्यय को जारी रखना गंभीर विषय है, क्योंकि सार्वजनिक कल्याण के लिए स्थायी परिसम्पत्ति और बुनायादी ढांचे का सृजन विकास कार्यों के मुख्य उद्देश्यों में से एक था।
- गत कई वर्षों से 'निजी कर' के आंकड़ों की गैर-उपलब्धता, पंचायती राज संस्थाओं की राजस्व उत्पन्न के महत्व की पहचान की कमजोरी को प्रकट करती है। यद्यपि जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में दुकानों के किराए, मत्स्य पालन, नीलामी, निविदा पावती एवं अन्य करों के रूप में राजस्व प्राप्तियां हैं पर इन्हें राज्य स्तर पर संकलित या समेकित नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार और वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों पर पूर्ण निर्भरता निरंतर जारी है। अनुदानों पर पूर्ण निर्भरता और वित्तीय स्वायत्तता की कमी एक गंभीर मामला है, जिसे आधारभूत स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है।

1.11.1.2 ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संकलित ग्रामीण विकास योजनाओं की वर्ष 2013-17 की प्राप्तियों एवं व्यय की स्थिति निम्न तालिका 1.4 में दर्शायी गई है :

-
7. 2016-17 की कुल प्राप्तियां (₹ 7,542.79 करोड़) - 2015-16 की कुल प्राप्तियां (₹ 5,306.15 करोड़) = ₹ 2,236.6 करोड़ / 2015-16 की कुल प्राप्तियां (₹ 5,306.15 करोड़) x 100 = 42.15 प्रतिशत।
 8. 2016-17 में राज्य सरकार के अनुदान (₹ 5,237.27 करोड़) - 2015-16 में राज्य सरकार के अनुदान (₹ 3,832.57 करोड़) = ₹ 1,404.70 करोड़ / 2015-16 की कुल प्राप्तियां (₹ 3,832.57 करोड़) x 100 = 36.65 प्रतिशत।
-

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग	केप्रयो	राप्रयो	योग
प्रारम्भिक शेष	673.29	373.98	1,047.27	823.89	325.44	1,149.33	790.73	329.16	1,119.89	249.68	765.52	1,015.20
प्राप्तियाँ	972.45	647.25	1,619.70	754.30	613.51	1,367.81	662.04	530.78	1,192.82	216.76	639.78	856.54
कुल उपलब्ध निधियाँ	1,645.74	1021.23	2,666.97	1,580.11	938.95	2,519.06	1,457.37	754.48	2,211.85	440.92*	1,103.03*	1,543.95
व्यय	1,006.78	743.88	1,750.66	1,042.46	504.71	1,547.16	1,077.59	652.85	1,730.44	304.16	767.04	1,071.20
अन्तिम शेष	638.96	277.35	916.31	537.65	434.24	971.89	379.77	101.63	481.40	136.76	335.99	472.75
कुल उपलब्ध निधि के समक्ष व्यय की प्रतिशतता	61.17	72.84	65.64	65.97	53.75	61.42	73.94	86.53	78.23	68.98	69.53	69.38

स्त्रोत : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।
 केप्रयो : केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, राप्रयो : राज्य प्रवर्तित योजना
 *विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कुल उपलब्ध निधि में निधि पर ब्याज को शामिल किया गया है तथा अस्वीकृत राशि को शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि :

- 2015-16 के अन्तिम शेष एवं 2016-17 के प्रारम्भिक शेष में ₹ 533.80 करोड़ का अन्तर था। विभाग जिलों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर बजट आंकड़ें उपलब्ध करवा रहा था, जिसमें कई पूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समायोजन लम्बित था। पूर्व वर्ष के अंतिम शेष एवं आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में अन्तर जैसी समरूप विसंगतियों पर टिप्पणियाँ विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी की गई थी लेकिन वे अभी भी अस्तित्व में हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा इन अन्तरों के समाधान हेतु सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
- गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में केन्द्र और राज्य सरकार से कुल प्राप्तियों में 28 प्रतिशत की एवं व्यय में 38 प्रतिशत की कमी थी।
- 2016-17 के दौरान, उपलब्ध निधियों का उपयोग मात्र 69.38 प्रतिशत था, जो कि गत वर्ष की तुलना में 8.85 प्रतिशत कम था।

1.11.2 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं

पांचवा राज्य वित्त आयोग 2015-16 से प्रारम्भ हुआ और उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को पांचवें राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि ₹ 2,624.71 करोड़ उपलब्ध करवाई गई। अनुदान राशि को जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में 5:20:75 के अनुपात में वितरित किया गया था। तदनुसार, जिला परिषदों को ₹ 131.24 करोड़, पंचायत समितियों को ₹ 524.94 करोड़ और ग्राम

9. 2016-17 का प्रारम्भिक शेष (₹ 1,015.20 करोड़) - 2015-16 का अन्तिम शेष (₹ 481.40 करोड़) = ₹ 533.80 करोड़।

पंचायतों को ₹ 1,968.53 करोड़ जारी किए गए। अनुदान के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गये थे। निधियों की उपयोगिता की प्रगति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.11.3 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएं

1.11.3.1 चौदहवां वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग की अवधि 2015-16 से प्रारम्भ हुई। वर्ष 2015-16 से राज्य सरकार को प्राप्त और पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित अनुदान निम्न तालिका 1.5 में दर्शाई गया है :

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

अनुदान का विवरण	विभाग द्वारा प्राप्त निधियां	विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित निधियां
2015-16 के लिए चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान	1,471.95	1,471.95
2016-17 के लिए चौदहवें वित्त आयोग का अनुदान	2,305.52	2,305.52
योग	3,777.47	3,777.47

चौदहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों का उचित और सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला परिषद और पंचायत समिति उत्तरदायी होंगी। निष्पादन अनुदान की मांग के लिए, जिला परिषदें निष्पादन अनुदान के मांग वर्ष से पूर्ववर्ती दो वर्षों के लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करेंगी। जिला परिषदों को गत वर्ष की तुलना में अपने निजी राजस्व में वृद्धि को लेखापरीक्षित लेखों में दर्शाना था।

निधियों के उपयोगिता की प्रगति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.11.4 अप्रयुक्त निधियां

इक्कीस जिला परिषदों¹⁰ के वार्षिक लेखों की संवीक्षा को निम्न तालिका 1.6 में दर्शाया गया है :

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष अप्रैल 2016	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल निधियां	व्यय	अन्तिम शेष मार्च 2017
934.41	1,353.77	2,288.18	1,553.22	734.96
स्त्रोत : जिलों के वार्षिक लेखे।				

10. जिला परिषद : अलवर, अजमेर, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झुन्झुनू, नागौर, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोंही, श्रीगंगानगर एवं टोंक।

शेष राशि में केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोगों से प्राप्त निधियां एवं विभिन्न योजनाओं के लिए अन्य अनुदान शामिल हैं। राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग को पंचायती राज संस्थानों के निधियों के प्रावधानों का विश्लेषण एवं प्राथमिकता और समय पर उनकी सर्वोत्तम उपयोगिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.11.5 अभिलेखों का संधारण

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 245 के अनुसार प्रत्येक पंचायती राज संस्था द्वारा आय और व्यय का एक त्रैमासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना एवं अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, वर्ष के अंत में ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को बजट के प्रत्येक शीर्ष के अधीन अपनी आय और व्यय दर्शाते हुए तत्रैत नियमों के नियम 246 में निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखों का सार तैयार करना और उसे आगामी एक मई तक, जिला परिषद के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। वार्षिक लेखों के सार के साथ, वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान एवं व्यय का विवरण, ऋणों का विवरण एवं बकाया राशि, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये कार्यों की सूची, परिसम्पत्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विवरण दिया जाना आवश्यक है।

अभिलेख यथा रोकड़ बही, सम्पत्ति पंजिका, अग्रिम रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड के संधारण से संबंधित प्रावधान भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में उल्लेखित किए गए हैं।

जांच किए गए 359 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदें : 20, पंचायत समितियां : 45 एवं ग्राम पंचायतें : 294) में प्रकट हुआ कि 16 पंचायत समितियों ने त्रैमासिक लेखें और 10 पंचायत समितियों ने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए थे। विभिन्न योजनाओं के लिए 25 पंचायत समितियां पृथक रोकड़ बही का संधारण नहीं कर रही थी। जांच किए गए 20 जिला परिषदों में से 10 जिला परिषदों ने विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग रोकड़ बही नहीं बनायी, पांच जिला परिषदों (जोधपुर, भरतपुर, चूरु, कोटा और राजसमंद) ने त्रैमासिक लेखे एवं छः जिला परिषदों (जोधपुर, टोंक, झुन्झुनूं, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी) ने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए थे। राज्य में कुल 295 पंचायत समितियों में से 131 पंचायत समितियों ने राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए। शेष 164 पंचायत समितियों ने सितम्बर 2017 तक राज्य सरकार को वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। जांच की गई ग्राम पंचायतों ने आरंभिक त्रैमासिक लेखे विवरणी एवं वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। इनका संधारण आय एवं व्यय विवरणी 'गोश्वारा' के रूप में किया जा रहा था। जांच की गई 294 ग्राम पंचायतों में से 172 ग्राम पंचायतों ने राज्य सरकार को लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे।

अतः पूरी लेखांकन व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर गोश्वारा एवं जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने तक सीमित है जो कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसमें लेखों के विभिन्न प्रारूप निर्धारित किये गए हैं।

1.11.5.1 प्रियासॉफ्ट एक आदर्श लेखांकन व्यवस्था के अन्तर्गत लेखों के संधारण को सुगम बनाने हेतु एक केन्द्रीकृत लेखांकन पैकेज है। डेटा की प्रविष्टि जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर की जाती है एवं राज्य स्तर पर एकीकृत किया जाता है। यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थानों द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग और निर्बन्ध निधि के अनुदानों से संबंधित लेनदेन की प्रविष्टि की जा रही थी। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 33 में से 10 जिला परिषदों, 295 में से 30 पंचायत समितियों एवं 9,894 में से 644 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2016-17 के लिए अपनी वार्षिक बहियों को बंद किया था और छः जिला परिषदों¹¹ ने वर्ष के दौरान प्रियासॉफ्ट में कोई भी प्रविष्टि नहीं की थी। अन्य आठ जिला परिषदों¹² में केवल प्रारम्भिक शेष की प्रविष्टि की गई थी जबकि लेन-देन एवं वाउचरों की प्रविष्टि नहीं की गई थी।

इस वर्ष आंशिक सुधार था क्योंकि गत वर्ष की 282 पंचायती राज संस्थाओं की तुलना में इस वर्ष 684 पंचायती राज संस्थाओं ने अपनी वार्षिक बहियों को बंद किया था। विभाग ने कोई विशिष्ट प्रत्युत्तर नहीं दिया था।

1.11.5.2 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 247(2) के अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद को प्राप्त एवं व्यय के वार्षिक लेखे तैयार करना तथा उनको प्रत्येक वर्ष 15 मई तक राज्य सरकार को भेजना अपेक्षित है। पंचायती राज प्रकोष्ठ के 33 जिला परिषदों में से 21 जिला परिषदों¹³ ने वार्षिक लेखे निर्धारित समय पर प्रेषित किए, जबकि जिला परिषद बाड़मेर एवं भीलवाड़ा ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने वार्षिक लेखे क्रमशः 37 से 45 दिवस की देरी से प्रेषित किए। शेष 10 जिला परिषदों¹⁴ ने अपने वार्षिक लेखे पंचायती राज विभाग को अक्टूबर 2017 तक प्रेषित नहीं किए थे।

जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे ग्रामीण विकास विभाग को 30 सितम्बर 2016 तक प्रेषित किए जाने अपेक्षित थे। 33 जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में से, केवल चार जिला परिषदों

11. बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और करौली।

12. अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरु, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सीकर।

13. अजमेर, अलवर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झुन्झुनूं, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, करौली, सीकर, सिरोंही, टोंक, उदयपुर और प्रतापगढ़।

14. बांसवाड़ा, बारान, भरतपुर, चूरु, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर और सर्वाई माधोपुर।

अर्थात् धौलपुर, जयपुर, टोंक एवं उदयपुर ने वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रेषित किए थे जबकि 27 जिला परिषदों¹⁵ ने अपने वार्षिक लेखे 32 से 361 दिवस की देरी से प्रेषित किए थे। जिला परिषद, बाड़मेर एवं पाली ने वर्ष 2015-16 के अपने वार्षिक लेखे ग्रामीण विकास विभाग को अक्टूबर 2017 तक प्रेषित नहीं किए।

1.11.6 रोकड़ बही के शेषों का बैंक की पास-बुक से मिलान

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 238 उपबन्धित करता है कि पंचायत सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह पंचायत अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक माह में बैंक पास-बुक से जमा और आहरण का मिलान करे और यदि कोई भूल हो तो उन्हें ठीक करे। इसी प्रकार, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रकरण में कोषाध्यक्ष प्रत्येक माह राजकोष के साथ निजी निक्षेप खातों का मिलान करेगा।

चौबीस पंचायती राज संस्थाओं¹⁶ की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2017 को 24 प्रकरणों में राशि ₹ 10.65 करोड़ के अन्तर बैंक/कोषागार लेखों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों से मिलान किए जाने के लिए लंबित थे।

1.11.7 डाटा-बेस एवं पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रारूपों का संधारण

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों द्वारा जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय क्रियान्वयन के लिए लेखांकन हेतु आठ सरल डेटा-बेस प्रारूप (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित) जारी किए (अक्टूबर 2009)। इन प्रारूपों में समेकित वित्तीय स्थिति, आय और कर प्राप्तियां, गैर-कर प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां, व्यय का विवरण और केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोगों के तहत आवंटित धन की भौतिक प्रगति के आंकड़ों को संकलित करना था। इन प्रारूपों को अप्रैल 2011 से विभाग द्वारा क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य रूप से अपनाए जाने पर सहमति हुई थी। ये प्रारूप राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में मई 2015 में एक अधिसूचना के माध्यम से शामिल किए गए थे। तथापि, पंचायती राज संस्थाएं इन प्रारूपों में लेखों के आंकड़ों का संकलन एवं प्रदर्शन नहीं कर रही थी।

15. अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरु, दौसा, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, झुन्झुनूं, करौली, कोटा, नागौर, राजसमंद, सर्वाई माधोपुर, सीकर, सिरौही और प्रतापगढ़।

16. जिला परिषदें (पंचायत प्रकोष्ठ) : तीन, जिला परिषदें (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) : तीन तथा पंचायत समितियां : 18

अनुशंसाएँ :

2. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान अनुदान पर निरंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज संस्थानों को अपने निजी कर एवं गैर-कर स्रोतों के माध्यम से राजस्व पैदा करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता है।
3. पंचायती राज संस्थानों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित आदर्श लेखांकन व्यवस्था और केन्द्रीकृत लेखा पैकेज प्रियासाफ्ट को लागू करने के प्रयास करने चाहिए न कि परम्परागत प्राप्ति एवं व्यय प्रारूप में।

1.12 निष्कर्ष

राज्य में पंचायती राज संस्थानों के उत्तरदायित्व तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग के मुद्दे, एक कमजोर स्थिति में है। अधिकांश पंचायती राज संस्थानों में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आंशिक प्रमाणीकरण चिंता का दूसरा विषय है। कई लेखांकन प्रारूप निर्धारित करने एवं लेखांकन पैकेजों को विकसित किए जाने के बावजूद राज्य सरकार एक सही लेखा प्रणाली विकसित करने में विफल रही है। पंचायती राज संस्थानों द्वारा वार्षिक लेखों को पारम्परिक प्रारूपों में संधारित किया जा रहा था। ग्राम पंचायतें स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्रत्यक्ष निधि अंतरण प्राप्त कर रही थी। इसके बावजूद अभिलेखों और विवरणियों का संधारण नहीं किया गया था।

गत कई वर्षों से पंचायती राज विभाग में 'निजी राजस्व' के आंकड़ों का उपलब्ध नहीं होना पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं की राजस्व आय उत्पन्न करने के महत्व को पहचानने की कमजोरी को दर्शाता है एवं राज्य सरकार व वित्त विभाग से प्राप्त अनुदान पर कुल निर्भरता को व्यक्त करता है। अनुदान पर पूर्ण निर्भरता एवं राजकोषीय स्वायत्ता की कमी गंभीर चिंता का विषय है जिसका प्रारंभिक स्तर पर सुधार करना आवश्यक है। राज्य सरकार पहले से आवंटित अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही पंचायती राज संस्थानों को अनुदान जारी कर रही थी। विगत कई वर्षों में लेखापरीक्षा की आपत्तियों की भारी लंबितता, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण लेखांकन और वित्तीय मुद्दों की आपत्तियों पर जवाब देने एवं उनसे निपटने में रूचि की कमी को दर्शाता है।

अध्याय-II

पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा
निष्कर्ष

अध्याय-II

पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस अध्याय में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा, 'मगरा क्षेत्रीय विकास योजना' की अनुपालना लेखापरीक्षा और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित दो अनुच्छेद शामिल हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

2.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितम्बर 2005 में अधिनियमित किया। राजस्थान में यह अधिनियम प्रारम्भ में छः जिलों में फरवरी 2006 से लागू किया और अप्रैल 2008 तक सभी जिलों में विस्तृत कर दिया गया। अधिनियम को अक्टूबर 2009 से नया नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) दिया गया। अधिनियम के अधीन, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान अधिसूचित की। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हों, मांगने पर वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों का सुनिश्चित श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

चयनित जिलों में मनरेगा के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट को समय पर अनुमोदित नहीं किया गया था और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए कोरम पूरा नहीं हुआ था, अनुमोदित कार्यों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं की गई थी। लाइन विभागों के साथ अभिसरण बहुत कम था, जो कि कार्य निष्पादन पर औसत व्यय का केवल 6.53 प्रतिशत था।

योग्य परिवारों की पहचान के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था और जॉब कार्ड को जारी करने के पश्चात् इनका नवीनीकरण नहीं किया गया। इसके अलावा, श्रमिकों को कार्य के मांग पत्र की रसीद नहीं दी गई थी और दिव्यांग व्यक्तियों को केवल 29 से 36 दिवस का कार्य प्रदान किया गया था। कुल मिलाकर 37.05 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे और स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में कमियां थी।

राज्य में औसत रोजगार प्रति परिवार केवल 52.02 दिवस प्रदान किया गया था और 100 दिवस और अधिक का रोजगार केवल 9.91 प्रतिशत परिवारों को प्रदान किया गया था। कुल मिलाकर 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल शून्य उपस्थिति वाले थे। श्रमिकों की उपस्थिति दैनिक आधार पर चिन्हित नहीं की गई एवं इसकी प्रविष्टि नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज नहीं की गयी। अग्रेतर ₹ 704.37 करोड़ की मजदूरी और सामग्री के उत्तरदायित्व लम्बित थे। पेयजल सुविधा को छोड़कर श्रम सुविधाएं और अन्य गारंटीशुदा सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी।

वित्तीय प्रबंधन कमजोर था क्योंकि राज्य के अंश को जारी करने में देरी/कमी थी और अतिरिक्त सामग्री घटक की अत्याधिक धनराशि राज्य रोजगार गारंटी निधि खाते में आपूर्ति नहीं की गई थी। सभी स्तरों पर कर्मचारियों की अत्याधिक कमी थी और जुलाई 2017 तक, 70.86 प्रतिशत पद रिक्त थे।

योजना के क्रियान्वयन में काफी त्रुटियों के बावजूद, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान बहुत कम टिप्पणियाँ पाई गईं। शिकायत तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया था। इसके अलावा, कार्यों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया था।

2.1.1 परिचय

भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितम्बर 2005 में अधिनियमित किया। राजस्थान में यह अधिनियम प्रारम्भ में छः जिलों¹ में फरवरी 2006 से लागू किया और अप्रैल 2008 तक सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया। अधिनियम को 2 अक्टूबर 2009 से पुनः नामकरण 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (नरेगा) किया गया। अधिनियम के अधीन, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान अधिसूचित की। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों² को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, मांगने पर वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों³ तक का सुनिश्चित श्रम रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

1. जिला : बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरौही और उदयपुर।

2. परिवार का तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्यों से है जो रक्त, विवाह या गोद लेने के रिश्ते से जुड़े हुए हैं और आमतौर पर एक साथ रहते हैं या संयुक्त भोजन बनता है या एक ही कार्ड पर उनके नाम हो।

3. राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 से प्रत्येक वर्ष बारां जिले में 'सहरिया' एवं 'खेरूआ' जनजाति एवं उदयपुर जिले में 'कथोड़ी' जनजाति के परिवारों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की अनुमति दी।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग नोडल संस्था के प्रमुख हैं। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना और कार्य-संबंधी उत्तरदायित्व परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

1. योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी योजना थी;
2. परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया, जॉब कार्ड आवंटन और रोजगार आवंटन प्रभावी और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप था;
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यों का निष्पादन समय पर एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण और संधारण उचित रूप से किया गया;
4. योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार और बेरोजगारी भत्ता एवं श्रमिक सुविधाएं अधिनियम के अनुसार प्रदान की गई थी;
5. वित्तीय और जनशक्ति प्रबंधन प्रभावी था; तथा
6. योजना के विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण हेतु तंत्र मौजूद थे।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मापदण्ड निम्नलिखित पर आधारित थे :

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (अधिनियम) और इस पर संशोधन केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और दिशा-निर्देश।
- मनरेगा परिचलनात्मक दिशा-निर्देश (2008 और 2013)
- मनरेगा तकनीकी दिशा-निर्देश, 2010
- राजस्थान सरकार के वित्तीय एवं लेखा दिशा-निर्देश, 2011
- राजस्थान सरकार की ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996

2.1.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना के अधीन, 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सम्पादित गतिविधियों को शामिल किया।

33 जिलों में से आठ जिलों का चयन वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान शुरू हुए कार्यों की संख्या, व्यय, परिवारों को जारी जॉब कार्ड, पंजीकृत श्रमिकों की संख्या, सक्रिय श्रमिकों की संख्या के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम वर्गीकरण के आधार पर किया गया। तदनुसार, तीन जिले (बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर), तीन जिले (भीलवाड़ा, जोधपुर और नागौर) और दो जिले (जयपुर और जालोर) को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणी से चुना गया था। अग्रेतर प्रत्येक चयनित जिले में 25 प्रतिशत पंचायत समितियां कुल 27 पंचायत समितियां और चयनित पंचायत समितियों में 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतें कुल 222 ग्राम पंचायतों का यादृच्छिक रूप से चयन किया गया। अग्रेतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच प्रतिशत कार्यों की विस्तृत जांच/भौतिक सत्यापन और 10 लाभार्थियों से साक्षात्कार का चयन किया गया। विवरण **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम **परिशिष्ट-IV** में दिए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा कराये गये सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान दो ग्राम पंचायतों⁴ में लेखापरीक्षा दल पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित था।

एक औपचारिक बैठक शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के साथ 28 मार्च 2017 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्य और मानदंडों पर चर्चा की गयी। 20 मार्च 2018 को निर्गम बैठक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के साथ आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई।

2.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उद्देश्य-1: क्या योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी योजना थी

2.1.6.1 वार्षिक विकास योजना

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विकास योजना तैयार करेगी और योजनान्तर्गत किए जाने वाले संभावित कार्यों की सूची का संधारण करेगी।

4. जिला परिषद, भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत दौलतगढ़ (पंचायत समिति आसीद) और चांदरास (पंचायत समिति मांडल)।

प्रत्येक ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ब्लॉक पंचायतों में समेकित और अनुमोदित किया जाएगा। इसी तरह की कार्यवाही जिला स्तर पर भी की जाएगी। अनुमोदित जिला योजना के आधार पर, जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रत्येक कार्य के विस्तृत तकनीकी अनुमानों को तैयार और स्वीकृत करेगा। योजना के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संक्षेपण निम्नानुसार है।

2.1.6.2 ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन हेतु गणपूर्ति का अभाव

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार, ग्राम सभा की बैठक हेतु कुल सदस्यों की संख्या का दसवां भाग गणपूर्ति होगा, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला सदस्य अपनी आबादी के अनुपात में उपस्थित होंगे।

दो सौ बाईस चयनित ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 157 ग्राम पंचायतों (70.72 प्रतिशत) में 2012-17 की अवधि के दौरान ग्राम सभा के लिए आयोजित बैठकों में सदस्यों की संख्या के संदर्भ में गणपूर्ति का अभाव पाया गया।

अग्रेतर, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा का मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा दल ने ग्राम पंचायत दौलतगढ़ (पंचायत समिति आसीद) और ग्राम पंचायत चांदरास (पंचायत समिति मांडल) में 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के दौरान की सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को 'पर्यवेक्षक' के रूप में देखा। यह पाया गया कि ग्राम सभा की अध्यक्षता वयोवृद्ध व्यक्ति की बजाय सरपंच द्वारा की गई और एक तटस्थ स्थान के बजाय सरपंच के गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई थी।

इस प्रकार, योजना में लक्षित सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि संबंधित जिला परिषदों से जानकारी मांगी जा रही है।

2.1.6.3 वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट की स्वीकृति में विलम्ब

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 6.9 और प्रधान परिपत्र 2016-17 के अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शक अर्थात् वार्षिक विकास योजना, समेकित वार्षिक विकास योजना और ब्लॉक वार्षिक विकास योजना क्रमशः ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्धारित समयबद्धता के अनुसार अनुमोदित किए जाने थे। इसके अलावा, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा

5. 65 ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

प्रत्येक वर्ष जिला वार्षिक योजना और श्रम बजट को अनुमोदन हेतु जिला पंचायत को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान :

- जांच की गई कुल 222 ग्राम पंचायतों में प्रकट हुआ कि 176 ग्राम पंचायतों में वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में 356 दिवस तक का विलम्ब हुआ।
- जांच की गई कुल 27 पंचायत समितियों में प्रकट हुआ कि 24 पंचायत समितियों में ब्लॉक वार्षिक विकास योजना के अनुमोदन में 210 दिवस तक का विलम्ब हुआ।
- जांच की गई कुल आठ जिला परिषदों में प्रकट हुआ कि छः जिला परिषदों में जिला वार्षिक योजना एवं श्रम बजट के अनुमोदन में 395 दिवस तक का विलम्ब हुआ।
- जिला स्तर पर समेकित श्रम बजट को राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाना आवश्यक है। आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के मनरेगा श्रम बजट को 43 से 75 दिवस के विलम्ब से भेजा गया। इस प्रकार, वर्ष 2012-13 और 2013-14 की निधियों की प्रथम किश्त भारत सरकार द्वारा 14 मई 2012 और 22 अप्रैल 2013 को जारी की गई थी।

2.1.6.4 जिला भावी योजना तैयार करना

राजस्थान सरकार की अधिसूचित मनरेगा योजना के अध्याय 2(9) एवं परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2008 के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार अग्रिम योजना तैयार करने और जिले में भावी विकास हेतु जिला भावी योजना (पांच वर्ष की समय सीमा) तैयार करने का प्रावधान है।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जांच की गई समस्त जिला परिषदों में जिला भावी योजना तैयार नहीं की गई थी। राजस्थान सरकार (मार्च 2018) ने तथ्य को स्वीकार किया।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) में सचिव ग्रामीण विकास विभाग ने योजना के विभिन्न पहलुओं/योजना का समय-सीमा में निपटान और सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया।

6. जिला परिषद : बाड़मेर, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, जौधपुर एवं नागौर।

2.1.6.5 प्रबंधन सूचना प्रणाली में ग्राम पंचायत-वार कार्यों के विवरण की प्रविष्टि न करना

प्रत्येक वर्ष प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यों की सूची को ग्राम पंचायत-वार पृथक-पृथक कर 15 दिसम्बर तक प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजा जाना चाहिए था। समस्त आठ जिला परिषदों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि समस्त कार्यों को श्रेणीवार प्राथमिकता का उल्लेख एवं परियोजना की सूची की प्रविष्टि प्रबंधन सूचना प्रणाली में नहीं की जा रही थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि श्रम बजट के अनुरूप प्रबंधन सूचना प्रणाली में आंकड़ों की प्रविष्टि करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.1.6.6 ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर अनुमोदित कार्यों की सूची का प्रदर्शित न करना

मनरेगा की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 25 (ए) (3) के अनुसार, ग्राम पंचायत और लाइन-विभाग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची, वर्षवार प्रारम्भ एवं पूर्ण किए गए कार्य, उपलब्ध कराया गया रोजगार, प्राप्त निधि और व्यय, प्रत्येक कार्य हेतु उपयोग में ली गई सामग्री मात्रा सहित, सामग्री के क्रय की दर को ग्राम पंचायत कार्यालय के पट्ट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए था।

जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में प्रकट हुआ कि, 220 ग्राम पंचायतों⁷ में स्वीकृत कार्यों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं की गयी थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि अनुमोदित कार्यों की सूची को प्रदर्शित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.1.6.7 मनरेगा के साथ अभिसरण

भारत सरकार ने मनरेगा के साथ अभिसरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पंचायतों और अन्य लाइन-विभागों के अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों की स्थाई परिसम्पत्तियां बनाने और ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सहायता ली जा सकती है।

(i) राज्य अभिसरण योजना

भारत सरकार ने लाइन-विभागों के साथ परामर्श में चिन्हित किए गए अभिसरण के कुछ संभावित क्षेत्रों को केन्द्रित करते हुए संशोधित राज्य अभिसरण योजना तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश (मई 2014) जारी किए थे। राज्य अभिसरण योजना

7. दो ग्राम पंचायतों भांदासर एवं नेगड़िया के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

को राज्य रोजगार गारंटी परिषद या वैकल्पिक रूप से राज्य स्तर पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना था। उक्त निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार ने (जून 2014) में राज्य में अन्य योजनाओं के साथ मनरेगा अभिसरण के लिए ₹ 747.99 करोड़ (मनरेगा से ₹ 408.12 करोड़ और लाइन-विभागों से ₹ 339.87 करोड़) के अनुमानित व्यय का संशोधित कार्यक्रम भेजा। उक्त राज्य अभिसरण योजना को भारत सरकार द्वारा (26 जून 2014) अनुमोदित किया गया।

आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने लाइन-विभागों को निर्देश (18 जून 2014) दिए कि प्रत्येक लाइन-विभाग से ₹ 20 करोड़ का प्रावधान करके भारत सरकार को एक अस्थायी अभिसरण योजना भेजी जा रही थी। उन्होंने संबंधित विभाग को मुख्य सचिव की मंजूरी के साथ कम से कम ₹ 20 करोड़ का प्रावधान करके वास्तविक अभिसरण योजना प्रस्तुत करने का आग्रह किया। तथापि, वास्तविक अभिसरण योजना तैयार नहीं की गई। 2015-16 और 2016-17 की राज्य अभिसरण योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी। वर्ष 2014-15 की राज्य अभिसरण योजना के विरुद्ध लाइन-विभागों द्वारा मनरेगा निधि से ₹ 191.92 करोड़ रूपये व्यय किए गए थे, यद्यपि, लेखापरीक्षा को लाइन-विभाग का अंशदान उपलब्ध नहीं कराया गया।

- वर्ष 2016-17 में राजस्थान सरकार द्वारा लाइन-विभागों के मनरेगा के साथ अभिसरण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य (₹ 3,900 करोड़ लक्षित व्यय वाले 1,352 लाख मानव दिवस) तय किए गए थे। यद्यपि, 2016-17 के दौरान मनरेगा निधि से लाइन-विभागों द्वारा केवल ₹ 304.63 करोड़ (कुल लक्ष्य का 7.81 प्रतिशत) व्यय किया गया था।

(ii) लाइन विभागों के साथ मनरेगा के अभिसरण का क्रियान्वयन

2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों (पंचायती राज संस्थाओं) द्वारा निष्पादित कार्यों पर व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का औसत 93.47 प्रतिशत था। अन्य लाइन-विभागों (पंचायती राज संस्थाओं के अलावा) द्वारा निष्पादित कार्यों पर व्यय मनरेगा के तहत किए गए कुल व्यय का केवल 6.53 प्रतिशत था। मनरेगा के साथ कुछ प्रमुख लाइन-विभागों के अभिसरण पर निम्न तालिका 2.1 में चर्चा की गई है :

तालिका 2.1

क्र.स.	विभाग	विषय
(i)	लोक निर्माण, जल संसाधन और वन विभाग के साथ अभिसरण	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विकास और वन विभाग को मनरेगा के कुल व्यय में से 15 प्रतिशत कार्य करने का आग्रह किया गया था। 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल आवश्यक अभिसरण 15 प्रतिशत के विरुद्ध वास्तविक औसत अभिसरण केवल 2.69 प्रतिशत (लोक निर्माण विभाग), 1.39 प्रतिशत (जल संसाधन विभाग) और 2.21 प्रतिशत (वन विभाग) का था।
(ii)	कृषि विभाग के साथ अभिसरण	भारत सरकार ने दिशा-निर्देश (जून 2013) जारी किए कि कृषि विभाग की वार्षिक योजना इस तरह से तैयार की जा सकती है कि दोनों योजना एक-दूसरे की पूरक हो। कृषि विभाग द्वारा 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान वास्तविक औसत अभिसरण मनरेगा के तहत किए गए कुल व्यय का केवल 0.01 प्रतिशत था।
(iii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के साथ अभिसरण	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं का मनरेगा के साथ अभिसरण करने हेतु राजस्थान सरकार ने मार्च 2015 में 'शामलात पहल योजना' ⁸ के दिशा-निर्देश जारी किये। मनरेगा और अन्य योजनाओं का ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक ही विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने के बावजूद 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान अभिसरण मनरेगा के अधीन किए गए कुल व्यय के एक प्रतिशत से नीचे था।
(iv)	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के साथ अभिसरण	जांच की गई समस्त जिला परिषदों में न तो नए कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव और न ही किसी भी जलग्रहण प्रबंधन कार्य को वार्षिक विकास योजना में शामिल किया।
(v)	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ अभिसरण	भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण से पूर्व ⁹ एवं पश्चात् ¹⁰ निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए अभिसरण दिशा-निर्देश जारी किए (नवंबर 2013)। जांच की गई समस्त जिला परिषदों में न तो कार्यों की जिले-वार परियोजना तैयार की गई एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इकाई के साथ साझा की गई और न ही अभिसरण का कोई कार्य निष्पादित किया।

8. ग्रामीण विकास विभाग : एमएलएलैड, एमपीलैड, मगरा, मेवात, बीएडीपी, ग्रामीण योगदान योजना, स्वविवेक एवं श्री योजना इत्यादि, पंचायती राज विभाग : बीआरजीएफ, एसएफसी, टीएफसी, संयुक्त निधि योजना, आरजीपीएसए, इत्यादि।
9. पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्य : मिट्टी का कार्य एवं संयोजन/समेकन प्रदान करने वाले कार्य।
10. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पश्चात कार्य स्थायित्व (संधारण) एवं मूल्य वृद्धि कार्य (सड़क के किनारों पर वृक्षारोपण, जल संचयन संरचना)।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रमुख लाइन-विभागों के साथ अभिसरण बहुत कम था। निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि “लाइन-विभाग मनरेगा के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। वे मनरेगा की मस्टर-रोल व्यवस्था के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं। तथापि अन्य विभागों एवं शामिलता पहल योजना के साथ अभिसरण बढ़ाने के प्रयास किए जायेंगे”।

निष्कर्ष

क्रियान्वयन के लिए योजना

मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वार्षिक विकास योजना, जिसे निचले स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदन के माध्यम से तैयार किया जाना था, में समस्त तीन स्तरों पर देरी हुई। अग्रेत्तर वार्षिक विकास योजना की तैयारी में आम लोगों की भागीदारी पर्याप्त नहीं थी क्योंकि 70.72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सदस्यों की गणपूर्ति को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को वार्षिक योजना और श्रम बजट देरी से प्रस्तुत किए गए। जिला परिषद स्तर पर पांच वर्षीय जिला भावी योजना भी तैयार नहीं की गई थी। राज्य अभिसरण योजना, जिसे अन्य लाइन-विभागों के साथ अभिसरण के संभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना था, वास्तविक आंकलन के आधार पर नहीं बनाई गई। 2014-15 में जहां अभिसरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अन्य विभागों द्वारा निष्पादित कार्यों पर व्यय का औसत प्रतिशत केवल 6.53 प्रतिशत रहा है, जो कि मनरेगा के अधीन किए गए कुल व्यय में बहुत कम अभिसरण दर्शाता है।

अनुशंसाएं

1. राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त स्तरों यथा ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत और जिला, द्वारा योजना की गतिविधियों को समय पर प्रारम्भ और पूर्ण किया जाए ताकि वार्षिक विकास योजना और श्रम बजट को भारत सरकार को भेजने में देरी ना हो साथ ही साथ ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
2. राजस्थान सरकार को अभिसरण कम होने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो नीति में बदलावों पर विचार करें, जिससे अन्य कार्यक्रम/योजनाओं के उपलब्ध संसाधनों के साथ स्थायी एवं दीर्घकालीन परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके।

उद्देश्य-2: क्या परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया, जॉब कार्ड आवंटन और रोजगार आवंटन प्रभावी और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप था।

2.1.7 जॉब कार्ड और रोजगार आवंटन

2.1.7.1 जॉब कार्ड के पंजीकरण हेतु घर-घर सर्वेक्षण

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.1.1 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाना था, ताकि ऐसे पात्र परिवारों का निर्धारण किया जा सके जो छूट गए थे, और अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहते हैं। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 की अवधि के दौरान जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों¹¹ में से 166 ग्राम पंचायतों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत होने से छूट गए एवं पंजीकृत हेतु इच्छुक योग्य परिवारों की पहचान नहीं की गई। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जॉब कार्ड के पंजीकरण के लिए रोजगार दिवस आयोजित किया जा रहा है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे अनुच्छेद 2.1.7.4 में की गई चर्चा अनुसार यह निर्धारित किया जा सके कि रोजगार दिवसों के दौरान पात्र परिवार पंजीकृत किए गए थे।

2.1.7.2 पांच वर्ष पश्चात् जॉब कार्ड का नवीनीकरण एवं सत्यापन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II (संशोधित 3 जनवरी 2014) के अनुच्छेद 3 के अनुसार जारी किया गया जॉब कार्ड कम से कम पांच वर्ष के लिए मान्य होगा, तत्पश्चात् सत्यापन के उपरान्त नवीनीकृत किया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 157 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2008 और इसके पश्चात् जारी किए गए जॉब कार्ड नवीनीकृत नहीं किए गए थे। 12 ग्राम पंचायतों¹² में जॉब कार्ड नवीनीकृत किए गए और 53 ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जॉब कार्ड के नवीनीकरण और सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

11. 56 ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

12. 12 ग्राम पंचायतों श्यामपुरा, चिमाना, जॉम्बा, कॉलन सिंह की सीर, नारायणपुरा, भालू राजवा, डेरिया, आउ, देनोक, इन्दों का वास, मोतिया नगर, सियोल नगर, में जॉब कार्ड नवीनीकृत किए गए।

2.1.7.3 समस्त भूमिहीन अस्थिर श्रमिकों के परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011 के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत प्रत्येक इच्छुक भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवार को जॉब कार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2016)। तदनुसार, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना परिवारों एवं व्यक्तियों के आंकड़ों को नरेगा-सॉफ्ट के आंकड़ों के साथ प्रतिचित्रण करने के संदर्भ में नरेगा-सॉफ्ट¹³ में प्रावधान किया गया, और आंकड़ों को 15 जनवरी 2017 तक सर्वेक्षण कर अद्यतन किया जाना था।

नरेगा-सॉफ्ट में उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वेक्षित भूमिहीन अस्थिर श्रमिक, प्रतिचित्रण, अप्रतिचित्रण और अप्रतिचित्रण इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने की स्थिति नीचे तालिका 2.2 में दर्शायी गयी है :

तालिका 2.2

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार नरेगा-सॉफ्ट पर प्रदर्शित गए कुल भूमिहीन अस्थिर श्रमिक	सर्वेक्षित कुल परिवार	असर्वेक्षित परिवार (कॉलम 1-2)	सर्वेक्षित परिवारों से प्रतिचित्रित कुल परिवार	सर्वेक्षित परिवारों से अप्रतिचित्रित परिवार (कॉलम 2-4)	जॉब कार्ड हेतु इच्छुक परिवार	जॉब कार्ड हेतु इच्छुक नहीं परिवार (कॉलम 5-6)	जॉब कार्ड प्राप्त इच्छुक परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
19,99,505	15,46,964, (77.37 प्रतिशत)	4,52,541 (22.63 प्रतिशत)	9,47,881 (61.27 प्रतिशत)	5,99,083 (38.73 प्रतिशत)	57,811	5,41,272	2,959 (5.12 प्रतिशत)

स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़े 7 सितंबर 2017 तक

इस प्रकार, अप्रतिचित्रित 5,99,083 (38.73 प्रतिशत) परिवारों में से कुल 57,811 परिवारों ने जॉब कार्ड की इच्छा जाहिर की थी। तथापि, 7 सितम्बर 2017 तक 2,959 परिवारों (5.12 प्रतिशत) को जॉब कार्ड जारी किए गए और 54,852 इच्छुक भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवारों को जॉब कार्ड से वंचित रहना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, नरेगा-सॉफ्ट की प्रबंधन सूचना प्रणाली में भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवारों के आंकड़ों और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पर दर्शाए गए आंकड़ों में अन्तर पाया गया। परिवारों की संख्या में अंतर (-) 93,388 (अलवर) और (+) 5,134 (जयपुर) के मध्य था। इस प्रकार नरेगा आंकड़ों के साथ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों का प्रतिचित्रण व्यक्तिगत परिवारों के संदर्भ में सही और पूर्ण नहीं था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि

13. भारत सरकार ने कार्य प्रवाह पर आधारित वेब एनेबल्ड एप्लीकेशन विकसित की थी जिसके द्वारा नरेगा की समस्त गतिविधियों को केन्द्र/राज्य/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर अभिग्रहण करना था।

भूमिहीन अस्थिर श्रमिक परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

2.1.7.4 कार्य के लिए आवेदन-पत्र

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.2 के अनुसार, कार्य के लिए आवेदन-पत्र सादा कागज या मुद्रित प्रोफार्मा पर जो कि ग्राम पंचायतों पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। कार्य के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को ग्राम पंचायत द्वारा पदनामित विविध माध्यमों¹⁴ से सतत् रूप से जारी रखा जाएगा। ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी, जैसा प्रकरण हो, कार्य के लिए वैध आवेदन-पत्र स्वीकार करने और आवेदक को दिनांकित रसीद जारी करने के लिए बाध्य होंगे। कार्य के लिए संयुक्त आवेदनों के प्रकरणों में, ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदक को कार्य आवेदन की अलग-अलग दिनांकित रसीद जारी की जानी थी। मनरेगा अधिनियम के अनुसूची-I के अनुच्छेद 8 के अनुसार, मौखिक या लिखित रूप में कार्य की मांग करने पर जॉब कार्ड धारक को किसी भी वार्ड या ग्राम पंचायत स्तर पर माह में कम से कम एक बार आयोजित रोजगार दिवस पर पंजीकृत किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा, साथ ही साथ भौतिक सत्यापन और श्रमिकों से साक्षात्कार में पाया गया कि :

- जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 99 ग्राम पंचायतों में विविध माध्यमों पर कार्य आवेदन फार्म उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थी अपनी मांग को ठीक ढंग से पंजीकृत कराने में समर्थ नहीं थे।
- जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 170 ग्राम पंचायतों के समूह में कार्य आवेदन-पत्र मेट¹⁵ के माध्यम से जमा किए गए थे लेकिन ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदक को कार्य आवेदन की दिनांकित प्राप्ति पृथक-पृथक जारी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा 218 ग्राम पंचायतों में आयोजित 2,180 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 78 प्रतिशत लाभार्थियों को कार्य की मांग (परिशिष्ट-IV) के संबंध में रसीद नहीं दी गयी इससे कार्य की मांग की रसीद प्राप्त करने के श्रमिकों को दिए गए अधिकार का उद्देश्य विफल रहा।
- जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 170 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस के आयोजन से संबंधित अभिलेख (कार्य की मांग, पंजीकरण इत्यादि) संधारित/उपलब्ध नहीं थे और लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सके।

14. वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी सदस्य, स्कूल अध्यापक, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तर राजस्व कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केन्द्र।

15. कार्य स्थल सहायक।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

2.1.7.5 रोजगार आवंटन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II का अनुच्छेद 16 उपबन्धित करता है कि आवेदक जिसे कार्य आवंटित किया गया है, को लिखित सूचना उसके जॉब कार्ड के पते पर पत्र द्वारा दी जाएगी या ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर के कार्यालय पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायेगी। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 17 के अनुसार व्यक्तियों की सूची जिन्हें कार्य आवंटित किया गया है, को ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट एवं कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि:

(i) नमूना जांच 222 ग्राम पंचायतों में से 168 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक आवेदक को कार्य आवंटित करने की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रदान नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि व्यक्तियों की सूची जिन्हें कार्य प्रदान किया गया, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं की गयी थी। जिसका कार्यस्थल पर श्रमिकों की अनुपस्थिति में भी योगदान हो सकता था, क्योंकि 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल में श्रमिकों की शून्य उपस्थिति रही, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है :

(ii) शून्य उपस्थिति के मस्टर रोल

राज्य में 2013-14 से 2016-17 के दौरान, अकुशल श्रमिकों के लिए जारी किए गए 1,27,93,428 मस्टर रोल में से 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल निम्न तालिका 2.3 के अनुसार शून्य उपस्थिति के रहे :

तालिका 2.3

वर्ष	अकुशल हेतु मस्टर रोल की संख्या			
	जारी	उपस्थिति दर्ज	शून्य उपस्थिति दर्ज	कुल भरे मस्टर रोल
2013-14	25,97,211	22,11,348	3,68,538	25,79,886
2014-15	26,63,365	21,96,272	4,36,488	26,32,760
2015-16	35,24,124	29,34,078	5,63,573	34,97,651
2016-17	40,08,728	32,27,469	6,55,634	38,83,103
योग	1,27,93,428	1,05,69,167	20,24,233	1,25,93,400
प्रतिशत		82.61	15.82	98.43

स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर प्रबंधन सूचना प्रणाली आंकड़े

(iii) जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों एवं नरेगा-सॉफ्ट पर उपलब्ध जानकारी के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- **दैनिक उपस्थिति को अंकित न करना** : कार्यस्थल पर मेट द्वारा प्रतिदिन उपस्थिति को अंकित करके मस्टर रोल का संधारण किया जा रहा था, परन्तु दैनिक उपस्थिति का विवरण संगणक प्रणाली में दैनिक आधार पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों की उपस्थिति केवल मजदूरी सूची तैयार करते समय ही अंकित की जा रही थी। अग्रेतर, चाकसू ब्लॉक (जिला परिषद जयपुर) में भी देखा गया था, कि श्रमिकों की उपस्थिति लगातार अवकाशों में भी अंकित की गई थी।
- **मस्टर रोल का श्रमिकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न होना** : नियमानुसार मस्टर रोल समापन के अंतिम दिवस पर मस्टर रोल प्रत्येक श्रमिक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा था।
- **अपूर्ण मस्टर रोल नियंत्रण रजिस्टर**: पंचायत समिति स्तर पर एक मस्टर रोल नियंत्रण रजिस्टर का संधारण किया जा रहा था। यद्यपि, वित्तीय स्वीकृति, मस्टर रोल प्राप्तकर्ता के नाम और हस्ताक्षर, मस्टर रोल जमा करने की दिनांक, मस्टर रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक को सौंपने की दिनांक इत्यादि निर्दिष्ट प्रविष्टियां रजिस्टर में अपूर्ण थी।
- **श्रमिकों के समूह द्वारा बिल या वाउचर के सत्यापन/प्रमाणीकरण न किया जाना** : कार्यस्थल पर श्रमिकों के समूह द्वारा साप्ताहिक सत्यापन और बिल या वाउचर के प्रमाणीकरण का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि राजस्थान सरकार श्रमिकों को कार्य आवंटन की सूचना मोबाईल फोन पर लघु संदेश सेवा (एसएमएस) द्वारा दिए जाने की योजना बना रही है। विभाग शून्य उपस्थिति मस्टर रोल को कम करने के प्रयास भी कर रहा है।

(iv) परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अध्याय 9 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को एक समन्वयक (कमजोर समूह) के रूप में नामित करना चाहिए जो विशेष श्रेणियों की मांग एवं आवश्यकताओं का विशेष रूप से देखभाल करेगा और उक्त को मनरेगा कार्यों में समावेश करने के लिए योग्य शर्तों को तैयार करेगा।

वर्ष 2012-17 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों में से 16.33 से 26.76 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों पर ही विचार किया गया था, इस प्रकार दिव्यांग व्यक्तियों को औसतन केवल 29 से 36 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

अग्रेतर, जांच की गई जिला परिषदों में किसी भी जिला परिषद में कोई भी समर्पित अधिकारी, एक समन्वयक (कमजोर समूह) के रूप में विशेष श्रेणियों की

मांग और आवश्यकताओं की विशेष रूप से देखभाल करने और मनरेगा कार्यों में शामिल करने हेतु योग्य शर्तों को तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नामित नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि यथोचित निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

निष्कर्ष

जॉब कार्ड और रोजगार आवंटन

योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार जो छूट गए थे और पंजीकृत होना चाहते हैं, का निर्धारण करने के लिए, घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा, जॉब कार्ड जारी होने के पश्चात नवीनीकृत नहीं किए गए थे। इच्छुक भूमिहीन परिवारों की पहचान कर जॉब कार्ड जारी करने के लिए सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था। कार्य आवेदन करने के लिए फॉर्म की अनुपलब्धता के कारण, श्रमिक अपनी कार्य की मांग पंजीकृत नहीं करा पाए। अग्रेतर, श्रमिकों को उनकी मांग के लिए रसीद नहीं दी गई थी और कार्य आवंटित किए जाने पर भी उन्हें सूचित नहीं किया गया था। पंजीकृत दिव्यांग व्यक्तियों को केवल 29 से 36 दिवस का औसत कार्य प्रदान किया गया था।

कुल 1,27,93,428 मस्टर रोल जारी किए गए, जिसमें 15.82 प्रतिशत मस्टर रोल श्रमिकों की शून्य उपस्थिति वाले थे। मस्टर रोल नियंत्रण रजिस्टर उचित प्रकार से संधारित एवं मस्टर रोल को प्रत्येक श्रमिक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था। सूचना प्रबंधन प्रणाली में मजदूरों की उपस्थिति को न तो दैनिक आधार पर अंकित नहीं किया जा रहा था और न ही तिथिवार उपस्थिति दर्ज की गई थी।

अनुशंसाएं

3. योजना के अन्तर्गत कार्य आवंटन पर विचार करने के लिए पात्र परिवारों का पंजीकरण, पूर्व अपेक्षित शर्त थी। राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो परिवार पंजीकृत होना चाहते हैं, की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए।

4 राजस्थान सरकार को जॉब कार्ड का नवीनीकरण और सत्यापन समय पर सुनिश्चित करना चाहिए।

5 राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य आवेदन पत्र उपलब्ध हों, ताकि श्रमिक आसानी से कार्य की मांग को पंजीकृत करा सकें।

उद्देश्य-3: क्या मनरेगा कार्यों को समय पर निष्पादित और स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं संधारण उचित रूप से किया गया था।

2.1.8 कार्यों का निष्पादन

2.1.8.1 अपूर्ण कार्य

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010¹⁶ के अनुच्छेद 22.10 के अनुसार, कार्य कार्यकारी अधिकरण द्वारा नौ महीने की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। राज्य में आरम्भ से 2016-17 तक कुल 15,77,141 कार्य शुरू किए गए, इनमें से 5,84,321 (37.05 प्रतिशत) कार्य 7 जुलाई 2017 तक अपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त 2,54,184 अपूर्ण कार्य 2015-16 या पूर्व की अवधि से संबंधित थे। इसके अलावा चार जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और पाली) में कार्य पूर्ण होने की दर 50 प्रतिशत से कम थी। चूंकि मनरेगा के अन्तर्गत अधिकांश कार्य जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि विकास से संबंधित है इसलिए उनकी धीमी प्रगति गांवों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस प्रकार इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए सावधानीपूर्वक अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि 2016 तक स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.8.2 स्वीकृति जारी में विलम्ब

ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 का अनुच्छेद 22 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु 10 दिवस निर्धारित करता है। जांच की गई चार जिला परिषदों¹⁷ के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जिला परिषद ने निर्धारित समय-सीमा में वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की और इसमें 232 दिवस तक का विलम्ब हुआ। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर पर स्वीकृतियां समय पर जारी करने के लिए संबंधित जिला परिषदों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

16. राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 27 मई 2010 के अनुसार केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुसार किया जाएगा।

17. जिला परिषद जयपुर : कार्यों की संख्या - 40 (14 से 190 दिवस का विलम्ब), बाड़मेर : कार्यों की संख्या - आठ (39 से 232 दिवस का विलम्ब), डूंगरपुर : कार्यों की संख्या - 52 (38 से 104 दिवस का विलम्ब) और जोधपुर : कार्यों की संख्या - 52 (33 से 197 दिवस का विलम्ब)।

2.1.8.3 मजदूरी भुगतान के लिए कार्यों की माप

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 का अनुच्छेद 7.10.1 (iii) उपबन्धित करता है कि मनरेगा के अन्तर्गत कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व, कार्य के सुगम निष्पादन, मापन और कामगारों को मजदूरी की उचित गणना करने के लिए कामगारों को चार से छः व्यक्तियों के समूहों में बांट दिया जाना चाहिए। माप पुस्तिका में दर्ज माप से कार्य के मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए उसे नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज करने की आवश्यकता है। नरेगा-सॉफ्ट पर उपलब्ध सूचना एवं नमूना जांच 27 पंचायत समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

(i) इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका का उपयोग करके माप पुस्तिका का कंप्यूटरीकरण मजदूरी भुगतान के लिए नहीं किया जा रहा था और नरेगा-सॉफ्ट में सम्पत्ति पंजिका में केवल माप पुस्तिका के क्रमांक का उल्लेख किया जा रहा था।

(ii) यद्यपि एक कार्य करने के लिए कार्यस्थल पर विभिन्न समूहों का गठन किया गया था, लेकिन प्रत्येक समूह के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों पर विचार किए बिना श्रमिकों को भुगतान समान रूप से वितरित किया जा रहा था और विभिन्न समूहों के प्रदर्शन का अलग से पृथक मूल्यांकन किए बिना सदस्यों को मजदूरी का भुगतान समान रूप से किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, यदि एक समूह ने 20 प्रतिशत कार्य किया और दूसरे समूह ने 80 प्रतिशत कार्य किया, तो दोनों समूह को प्रत्येक समूह के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा पर विचार किए बिना समान रूप से भुगतान किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि नरेगा-सॉफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका को अपलोड करने और समूह कार्य के आधार पर श्रमिकों को भुगतान किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.8.4 मनरेगा के अन्तर्गत सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I के अनुच्छेद 3(ए) के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित गुणवत्ता और स्थायी उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना था। 27 पंचायत समितियों की 222 ग्राम पंचायतों में 670 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन विभागीय अधिकारियों के साथ अप्रैल-अक्टूबर 2017 में आयोजित किया गया था।

(क) जांच की गई सात जिला परिषदों¹⁸ में तालाब/ तलाई/ बावडी/ नाडा/ नाडी/ नदी/ जोहड़/ नाला/ माईनर/ केनाल/ नहर/ एनीकट के निर्माण से संबंधित 40 कार्य मार्च 2008 और मई 2016 के बीच स्वीकृत किए गए और अक्टूबर



18. बाड़मेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, जोधपुर एवं नागौर।

2012 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 3.73 करोड़ व्यय कर पूर्ण किए गए। 40 कार्यों के (परिशिष्ट-V) संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गई :

- तालाब में असमान गड्ढे थे, जो कि असुरक्षित थे।
- पत्थर लगाना/सुरक्षा दीवार कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया था।
- कार्य स्थल पर प्रदर्शन पट्ट उपलब्ध नहीं थे।

कुछ मामलों का विवरण निम्न प्रकार है:

1: ग्राम मुंद्राहेड़ी, ग्राम पंचायत हरिपुरा (पंचायत समिति चाकसू)		
कार्य का नाम	तालाब खुदाई दयालसागर मुंद्राहेड़ी	
स्वीकृत राशि	₹ 9.97 लाख	
व्यय	₹ 8.03 लाख	
कार्य पूर्ण	6 जुलाई 2016	
भौतिक सत्यापन	30 मई 2017	
टिप्पणियां	तालाब की मिट्टी की दीवार (पाल) एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसने तालाब में जल संग्रहण करने की संभावना को रोक दिया था और इस प्रकार तालाब के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।	
प्रकरण 2: ग्राम पंचायत चतरपुरा (पंचायत समिति आसीद), भीलवाड़ा		
कार्य का नाम	रामपुर की सीमा पर जल-संरक्षण ढांचे का निर्माण	
स्वीकृत राशि	₹ 9.51 लाख	
व्यय	₹ 4.92 लाख	
कार्य पूर्ण	31 मार्च 2017	
भौतिक सत्यापन	14 सितम्बर 2017	
टिप्पणियां	केवल कच्चा कार्य किया गया/संरचना में जल नहीं था और इसका कोई भराव क्षेत्र नहीं था।	
प्रकरण 3: ग्राम पंचायत कुम्हारियावास (पंचायत समिति चाकसू)		
कार्य का नाम	तालाब खुदाई, सुरक्षा दीवार और पत्थर पिचिंग कार्य	
स्वीकृत राशि	₹ 14.00 लाख	
व्यय	₹ 8.68 लाख	
कार्य पूर्ण	15 मई 2013	
भौतिक सत्यापन	13 जून 2017	
टिप्पणियां	केवल मिट्टी कार्य निष्पादित किया गया था। पत्थर पिचिंग और सुरक्षा दीवार का कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। इसके अलावा, तालाब में असमान खाई के समान गड्ढे थे।	

प्रकरण 4: ग्राम पंचायत सिवाना, पंचायत समिति-सिवाना		
कार्य का नाम	राडिया वाला में राता नाडी के निर्माण का कार्य	
स्वीकृत राशि	₹ 12.79 लाख	
व्यय	₹ 12.59 लाख	
कार्य पूर्ण	मार्च 2013	
भौतिक सत्यापन	28 जुलाई 2017	
टिप्पणियां	नाडी को 4.5 मीटर गहराई तक खोदा जाना था, जबकि खुदाई केवल 0.3 मीटर तक की गई थी। इसलिए नाडी खोदने का उद्देश्य विफल रहा क्योंकि मानसून के मौसम में भी नाडी में जल नहीं था।	
प्रकरण 5: ग्राम पंचायत गोलिया, पंचायत समिति-सिवाना		
कार्य का नाम	खुरीश्वर नाडी की खुदाई का कार्य	
स्वीकृत राशि	₹ 9.93 लाख	
व्यय	₹ 9.67 लाख	
कार्य पूर्ण	जुलाई 2015	
भौतिक सत्यापन	26 जुलाई 2017	
टिप्पणियां	पर्वत की नींव पर नाडी का निर्माण किया गया था, तथापि वर्तमान में कोई संरचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ऐसा लगता था कि वह बह गया। इस प्रकार जल संरक्षण के लिए नाडी के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।	

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि उपचारात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित को निर्देश जारी किए गए हैं।

(ब) पंचायत समिति कुशलगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण के तीन कार्यों (प्रत्येक कार्य में 10,000 पौधे) को (गड्ढे खोदने, पौधरोपण, चेक बांध का निर्माण और इन पौधों के रख-रखाव को सम्मिलित करते हुए) ₹ 0.99 करोड़¹⁹ में ग्राम पंचायत मोहकमपुरा, बस्सी और झीकली में (जुलाई 2012) में स्वीकृत किए गए और पौधों के रोपण और खुदाई पर ₹ 0.43 करोड़²⁰ का व्यय किया गया था। वन विभाग (क्रियान्वयन विभाग) द्वारा उक्त कार्य पांच वर्षों के अंतराल के पश्चात् भी मई 2017 तक प्रगति पर दर्शाया गया था।

पांच वर्ष के अंतराल के पश्चात् कोई भी पौधा जीवित नहीं पाया गया, इस प्रकार से वृक्षारोपण का उद्देश्य विफल रहा।

19. ग्राम पंचायत : मोहकमपुरा (₹ 21.23 लाख-जुलाई 2012), बस्सी (₹ 45.58 लाख-जुलाई 2012) और झीकली (₹ 31.92 लाख-मई 2012)।

20. ग्राम पंचायत : मोहकमपुरा (व्यय ₹ 13.41 लाख-अप्रैल 2016), बस्सी (₹ 12.01 लाख-मई 2014) और झीकली (₹ 17.52 लाख-मई 2016)।

		
10,000 पौधे लगाने का कार्य सुंदरीपुरा, ग्राम पंचायत मोहकमपुरा (पंचायत समिति कुशलगढ़)	कुल 50 हेक्टर में 10,000 पौधे लगाने का कार्य चोरवाड़, ग्राम पंचायत बस्सी (पंचायत समिति कुशलगढ़)	10,000 पौधे लगाने का कार्य ग्राम पंचायत झीकली (पंचायत समिति कुशलगढ़)

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।

(स) जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ में पांच प्रकार के फलों के पौधे 'पंच फल योजना' के 10 कार्य ₹ 2.64 करोड़ (पंचायत समिति, डूंगला के लिए मई 2011 एवं मार्च 2012 में ₹ 1.55 करोड़ + पंचायत समिति राशमी के लिए जून 2011 एवं जनवरी 2014 में ₹ 1.09 करोड़) के चारागाह भूमि पर स्वीकृत किए गए। कार्यों में गड्डे खोदना, बाड़ लगाना, वृक्षारोपण, पौधों को पानी देना और पौधों का रख-रखाव सम्मिलित था और कार्यों को पांच वर्षों में पूर्ण किया जाना था। मार्च 2017 तक पंचायत समिति डूंगला के छः वृक्षारोपणों और पंचायत समिति राशमी में चार वृक्षारोपणों पर ₹ 0.83 करोड़²¹ का व्यय किया गया था। एक भी फल का पौधा उपलब्ध नहीं पाया गया। इस प्रकार, पांच वर्षों में ₹ 0.83 करोड़ के व्यय के पश्चात भी, 'पंच फल योजना' निष्फल रही।

(द) वृक्षारोपण द्वारा 'चारागाह भूमि के विकास' के दो कार्यों को जून 2013 और मई 2015 के दौरान ₹ 0.17 करोड़²² में ग्राम पंचायत भीमदियावास और चिताम्बा (पंचायत समिति, मांडल) में स्वीकृत किया गया। कार्य ₹ 0.16 करोड़²³ के व्यय के साथ अगस्त 2016 में पूर्ण हुए। यह पाया गया कि वृक्षारोपण कार्यों को निष्पादित नहीं किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।

(य) जिला परिषद, भीलवाड़ा और जोधपुर में चरागाह भूमि की मेडबंदी के निर्माण के दो कार्य ₹ 0.16 करोड़ के स्वीकृत (मई 2015) एवं पूर्ण (मई 2016) हुए।

21. पंचायत समिति : डूंगला (₹ 0.41 करोड़) एवं राशमी (₹ 0.42 करोड़)।



22. ग्राम पंचायत : भीमदियावास (₹ 9.17 लाख-जून 2013) एवं ग्राम पंचायत चिताम्बा (₹ 8.48 लाख-मई 2015)।

23. ग्राम पंचायत, भीमदियावास : ₹ 8.13 लाख (अप्रैल 2016) एवं ग्राम पंचायत चिताम्बा : ₹ 8.08 लाख (अगस्त 2016)।

यह पाया गया कि दोनों कार्य विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गए थे और मवेशी चारागाह (चारागाह भूमि) के अंदर चराई कर रहे थे। इस प्रकार, चारागाह में मेडबंदी के निर्माण का उद्देश्य ₹ 0.14 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं हुआ।


(र) जिला परिषद, बांसवाड़ा और जयपुर में पक्का फर्श, मूत्र टैंक, मवेशियों और बकरी हेतु चारा और आश्रय स्थल के चार कार्यों के लिए ₹ 4.74 लाख²⁴ स्वीकृत (सितम्बर 2013 से मई 2017) और ₹ 3.31 लाख व्यय किए गए।

यह पाया गया था कि पक्का फर्श, मूत्र टैंक और मवेशियों के लिए चारे के स्थान पर आवासीय उद्देश्य के लिए एक कमरा बनाया गया था जो कि मनरेगा के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं था। अग्रेतर यह भी पाया गया कि बकरी आश्रय स्थल का निर्माण रूपरेखा के अनुरूप नहीं किया गया था। इसके अलावा निर्मित संरचना को बकरी स्थल के स्थान पर भण्डार कक्ष के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जो कि मनरेगा के अन्तर्गत अनुमत्य नहीं था।

	
<p>बकरी आश्रय स्थल का निर्माण लाभार्थी चुन्नीलाल/बोदूराम बलाई के लिए ग्राम पंचायत लखना में (पंचायत समिति सांगानेर)</p>	<p>मवेशियों हेतु पक्का फर्श, मूत्र टैंक और चारे के स्थान का निर्माण लाभार्थी पांचू राम/ग्यारसा के लिए ग्राम पंचायत झापदा कलां (पंचायत समिति चाकसू)</p>

(ल) जिला परिषद भीलवाड़ा, डूंगरपुर और जोधपुर में ग्रेवल सड़क के निर्माण के 18 कार्य मार्च 2008 से अक्टूबर 2016 के दौरान ₹ 2.49 करोड़ में स्वीकृत और ₹ 1.50 करोड़ के व्यय के साथ जुलाई 2012 से अगस्त 2017 के दौरान पूर्ण हुए। यह पाया गया कि किसानों द्वारा ग्रेवल सड़कों पर अतिक्रमण/अवरोध किया गया था जिससे अधिनियम में निहित गावों को जोड़ने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। यह इंगित करता है कि कार्यों को स्वीकृत करने से पूर्व विभाग द्वारा सड़क क्षेत्र का आवश्यक सीमांकन नहीं किया गया।

24. पंचायत समिति, आनन्दपुरी (दो कार्य) : ग्राम पंचायत छाजा (गणेश/गंजी में पशु आश्रय स्थल का निर्माण : ₹ 1.50 लाख (सितम्बर 2013) - व्यय ₹ 1.38 लाख (जून 2015) संतुकपुरा में पशु आश्रय स्थल का निर्माण : ₹ 1.50 लाख (सितम्बर 2013) - व्यय ₹ 1.37 लाख (जून 2015), पंचायत समिति चाकसू - झापदाकलां (पांचूराम/ग्यारसा में पशु आश्रय स्थल का निर्माण : ₹ 1.29 लाख (सितम्बर 2016) - व्यय ₹ 0.13 लाख (मार्च 2017), पंचायत समिति सांगानेर - ग्राम पंचायत लखाना (चून्नी लाल/बोदूराम में बकरी आश्रय स्थल का निर्माण - ₹ 0.45 लाख (मार्च 2017) - व्यय ₹ 0.43 लाख (मई 2017)।

	
<p>ग्रेवल सड़क का निर्माण शम्भूलाल नाई के मकान से लक्ष्मण/करंग होकर भगोरा चौराहा तक (कार्य पूर्णता तिथि जुलाई 2012)</p>	<p>गणेश नगर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रोड़ रामरख भोपा की ढाणी तक ग्राम पंचायत-जांबा (पंचायत समिति बाप) जिला परिषद जोधपुर निर्मित ग्रेवल सड़क को फेंसिंग कर अवरुद्ध/अतिक्रमण किया गया (कार्य पूर्णता तिथि अक्टूबर 2015)</p>

(व) जिला परिषद भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और नागौर में ग्रेवल सड़कों के निर्माण के 27 कार्य ₹ 4.28 करोड़ में स्वीकृत (मार्च 2009 से दिसम्बर 2015) और ₹ 1.31 करोड़ में पूर्ण (मार्च 2013 से मार्च 2017) हुए।

यह पाया गया कि केवल मिट्टी के कार्यों को निष्पादित किया गया और ग्रेवल नहीं बिछायी गई। इस प्रकार मिट्टी के कार्य पर हुआ व्यय ₹ 1.31 करोड़ निष्फल रहा और जोड़ने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(i) तकनीकी दिशा-निर्देश 2010 की अनुसूची-I की धारा 17 अनुबंधित करती है कि, ग्रेवल सड़क 20 सेंटीमीटर की मोटाई में बिछायी जानी चाहिए और इसकी मोटाई व्यवस्थित करने के पश्चात 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिला परिषद जालोर की पंचायत समिति चित्तवालाना और जिला परिषद नागौर की पंचायत समिति जायल और मकराना में ग्रेवल सड़कों के निर्माण के आठ कार्य ₹ 0.97 करोड़ में स्वीकृत (अप्रैल 2010-मार्च 2016) और ₹ 0.81 करोड़ व्यय कर (मई 2013-जुलाई 2016) पूर्ण हुए।

आठ ग्रेवल सड़कों (14,096 मीटर की कुल लम्बाई) में 8,810 घन मीटर ग्रेवल की कुल आवश्यकता के समक्ष 11,331.55 घन मीटर की ग्रेवल का उपयोग माप पुस्तिका में दर्शाया गया। जबकि, ग्रेवल सड़कों पर केवल 7,440.42 घन मीटर सामग्री का उपयोग किया गया था। इस प्रकार 3,891.13 घन मीटर (अर्थात 11,331.55 - 7,440.42) की अतिरिक्त ग्रेवल सामग्री माप पुस्तिका में दर्ज की गई थी।

2.1.8.5 गैर-अनुमत्य कार्यों का निष्पादन

(i) वन क्षेत्र में पक्की चार दीवारी का निर्माण

तकनीकी दिशा-निर्देश 2010 के परिशिष्ट के अनुच्छेद 20 और 21 उपबन्धित करते हैं कि, वन क्षेत्र में अवैध चराई और अतिक्रमण को रोकने हेतु शुष्क पत्थर चिनाई दीवार का निर्माण किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने अग्रेत्तर स्पष्ट किया (जून 2015) कि मनरेगा के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पक्की दीवार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

पंचायत समिति जसवंतपुरा, जिला परिषद जालोर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि गोलाणा गांव की वन रैंज ग्राम पंचायत कलापुरा में 'पर्यावरण संतुलन और भूजल संरक्षण कार्य' हेतु ₹ 40.71 लाख स्वीकृत (अगस्त 2014) किए। जिसमें से, तकनीकी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर, वन विभाग द्वारा पक्की चार दीवार के निर्माण पर ₹ 10.29 लाख खर्च किए गए थे।

(ii) नहर के साथ-साथ ग्रेवल कार्य

राजस्थान सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत नहरों के साथ-साथ ग्रेवल कार्य के निर्माण की अनुमति नहीं दिए जाने के निर्देश जारी किए (नवंबर 2010)। पंचायत समिति जसवंतपुरा के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ग्राम पंचायत थुर में बांदीसिंधरा बांध के वार्षिक रख-रखाव और मरम्मत के कार्य के लिए ₹ 36.06 लाख स्वीकृत (दिसंबर 2012) किए। स्वीकृति में ₹ 5.40 लाख नहर के साथ-साथ ग्रेवल कार्य के भी सम्मिलित थे जिसमें से ₹ 3.64 लाख का व्यय नहर के पास ग्रेवल बिछाने पर किया गया। उपरोक्त कार्य तकनीकी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित किया गया था। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि दोषी अधिकारियों से वसूली और कार्यवाही के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

निष्कर्ष

मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों में विलम्ब हुआ, क्योंकि 2016-17 तक 15,77,141 कार्य प्रारम्भ हुए जिसमें से 5,84,321 कार्य (37.05 प्रतिशत) जुलाई 2017 तक पूर्ण नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा दलों द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित स्थायी परिसम्पत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में तालाबों, वृक्षारोपण, चरागाह भूमि के विकास, ग्रेवल सड़कों इत्यादि के निर्माण में कई कमियां पायी गईं। इससे मनरेगा के माध्यम से स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।

अनुशंसाएं

6. राजस्थान सरकार को अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के उपायों को प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ करना चाहिए जिससे इन परिसम्पत्तियों से समुदाय लाभान्वित हो सके।

7. स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में कई कमियां पायी गईं, इसलिए राजस्थान सरकार को उन उपायों को प्रारम्भ करना चाहिए जिससे स्थायित्व के लिए उच्च गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियां तैयार हों और उनका दीर्घावधि तक रख-रखाव किया जा सके।

उद्देश्य-4: क्या योजना के अन्तर्गत 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रदान किया गया था और बेरोजगारी भत्ता और श्रम सुविधाएं अधिनियम के अनुसार प्रदान की गई थी।

2.1.9 मनरेगा के अन्तर्गत प्रदान किया गया रोजगार

अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का सुनिश्चित श्रम रोजगार प्रदान करना था। वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान राज्य के जिलों में मनरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत परिवारों, सक्रिय जॉब कार्ड और प्रदान किए गए रोजगार की स्थिति निम्न तालिका 2.4 में दर्शायी गयी है :

तालिका 2.4

वर्ष	जॉब कार्ड परिवार		कुल उपस्थिति का प्रतिशत मध्य में							कुल उपस्थिति		प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस	
	पंजीकृत	सक्रिय	1-10 दिवस	11-20 दिवस	21-30 दिवस	100 दिवस तक	101-150 दिवस	सुखा प्रभावित क्षेत्रों में (101-150) दिवस	150 दिवस से ज्यादा	संख्या (लाखों में)	संख्या (लाखों में)		
													परिवार
	(लाखों में)												सुजित व्यक्ति दिवस
2013-14	98.30	55.71	9.24	14.29	13.34	1.30	10.54	0.00	0.50	36.15	1838.56	50.86	
			36.87				11.84						
2014-15	98.46	53.12	10.17	15.16	13.67	5.05	2.55	0.00	0.03	36.86	1685.83	45.74	
			39.00				7.60						
2015-16	99.19	60.06	6.38	11.11	11.36	6.09	4.93	3.68	0.09	42.21	2341.25	55.47	
			28.85				11.02						
2016-17	95.50	60.77	5.65	10.62	11.39	3.31	5.87	5.72	0.03	46.35	2596.82	56.03	
			27.66				9.18						
औसत							9.91						52.02

स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल औसत रोजगार प्रति परिवार केवल 52.02 दिवस था।
- औसत 9.91 प्रतिशत परिवारों को 100 दिवस एवं अधिक दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि मनरेगा मांग संचालित कार्यक्रम है और मांग के अनुसार कार्य प्रदान किया गया था। प्रत्युत्तर स्वीकार्य

नहीं था क्योंकि 218 ग्राम पंचायतों के 2,180 लाभार्थियों से किए गए सर्वेक्षण में 67 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि कार्य केवल तभी प्रदान किया गया जब उपलब्ध था न कि मांग के आधार पर (परिशिष्ट-IV)। इस प्रकार श्रमिकों द्वारा मांग किए जाने पर पर्याप्त रोजगार वास्तव में उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे।

2.1.9.1 मनरेगा के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों को प्रदाय रोजगार

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II के अनुसार, कार्य के आवंटन में महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाएगी कि लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ हों जिन्होंने कार्य के लिए पंजीकरण और अनुरोध किया है। प्रबंधन सूचना प्रणाली की जांच से प्रकट हुआ कि 2012-17 की अवधि के दौरान, योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों की भागीदारी अच्छी रही जो कि 67.03 प्रतिशत एवं 69.02 प्रतिशत के मध्य थी साथ ही क्रमशः 36 और 43 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया था। इस प्रकार राज्य में महिला लाभार्थियों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी।

2.1.9.2 लम्बित देनदारियाँ

नरेगा-सॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार सामग्री बिलों और मस्टर रोल/वाउचर की ₹ 704.37 करोड़ की लम्बित देनदारियाँ 2012-17 के लिए थी जो कि निम्न तालिका 2.5 में दिए अनुसार है :

तालिका 2.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मस्टरोल की संख्या (अकुशल)	राशि	सामग्री बिलों की संख्या	राशि	मस्टरोल/वाउचर की संख्या (कुशल/अकुशल)	राशि	कुल देयता
2012-13	211	0.14	1,597	6.29	1,717	0.48	6.91
2013-14	2,016	0.46	2,973	9.78	4,068	1.37	11.61
2014-15	7,023	1.01	1,398	5.09	2,602	1.02	7.12
2015-16	36,538	5.56	1,187	4.07	2,894	1.15	10.78
2016-17	1,52,485	37.65	72,046	547.38	1,26,574	82.92	667.95
योग	1,98,273	44.82	79,201	572.61	1,37,855	86.94	704.37
कुल देयता का प्रतिशत		6.36		81.30		12.34	
स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर 19 अप्रैल 2017 को प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों।							

निर्गम बैठक (मार्च 2018) में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकार किया कि बजट के कम आवंटन के कारण मजदूरी/सामग्री भुगतान के संबंध में देनदारियाँ लम्बित हैं।

2.1.9.3 देय भुगतान और क्षतिपूर्ति

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-II का अनुच्छेद 29 के अनुसार, मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिवस से अधिक अवधि के विलम्ब पर प्रति दिवस अवैतनिक मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्बित क्षतिपूर्ति का हकदार है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों (जून 2014) के अनुच्छेद 4 के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी क्षतिपूर्ति लागू होने से 15 दिवस के भीतर यह निर्धारित करेगा कि क्षतिपूर्ति जिसे स्वचालित रूप से नरेगा-सॉफ्ट द्वारा गणना की गई है, देय है या नहीं।

(i) मनरेगा श्रमिकों को विलम्ब से भुगतान

ग्रामीण विकास विभाग और सूचना प्रबंधन प्रणाली आंकड़ों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2013-17 की अवधि के दौरान मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में अत्याधिक विलम्ब हुआ क्योंकि मजदूरी के कुल भुगतान के 51.67 प्रतिशत भुगतानों में निर्धारित अवधि से अधिक का विलम्ब था जैसा कि निम्न तालिका 2.6 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.6

(₹ करोड़ में)

वर्ष	देरी से भुगतान								देरी से कुल भुगतान		वित्तीय वर्ष के लिए कुल भुगतान	
	15-30 दिवस		30-60 दिवस		60-90 दिवस		90 दिवस से अधिक		लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि
	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि	लेनदेन	राशि				
2013-14	58,61,376	620.70	63,98,443	682.31	22,42,454	239.77	11,33,126	123.85	1,56,35,399	1666.63	18352057	1,959.66
2014-15	73,78,106	775.50	26,79,113	269.67	3,61,946	35.36	1,03,851	10.08	1,05,23,016	1090.61	17185507	1,836.65
2015-16	94,82,781	1,103.68	24,10,528	269.55	4,05,988	44.83	4,22,303	49.04	1,27,21,600	1467.10	23211254	2,718.47
2016-17	55,63,764	710.44	5,18,214	69.12	1,07,356	14.47	1,01,834	13.39	62,91,168	807.42	24891602	3223.19
योग	2,82,86,027	3,210.32	1,20,06,298	1,290.65	31,17,744	334.43	17,61,114	196.36	4,51,71,183	5,031.76	8,36,40,420	9,737.97
देरी से कुल भुगतान का प्रतिशत	63.80		25.65		6.65		3.90		51.67			

स्रोत: नरेगा-सॉफ्ट पर 20 अप्रैल 2017 को प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ें।

लेखापरीक्षा द्वारा 218 ग्राम पंचायतों में 2,180 लाभार्थियों के साथ आयोजित किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि 64 प्रतिशत लाभार्थियों को 15 दिवस (परिशिष्ट-IV) में मजदूरी नहीं मिली थी।

(ii) मजदूरी के विलम्बित भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान

नरेगा-सॉफ्ट पर प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना स्वचालित रूप से नरेगा-सॉफ्ट द्वारा की गई थी। 2013-14 से 2016-17 के दौरान कुल देय क्षतिपूर्ति राशि का 98.38 प्रतिशत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। सूचना प्रबंधन प्रणाली पर सूचीबद्ध क्षतिपूर्ति की राशि को अस्वीकृत करने के लिए बताए गए कारण थे (i) क्षतिपूर्ति देय नहीं (26.13 प्रतिशत), (ii) अपर्याप्त निधि

(2.93 प्रतिशत), (iii) प्राकृतिक आपदा (41.78 प्रतिशत) एवं (iv) अन्य (29.16 प्रतिशत) (परिशिष्ट-VI)।

क्षतिपूर्ति को अस्वीकृत करने के लिए उद्धृत 'प्राकृतिक आपदा' जैसे कारण अनुचित प्रतीत होते हैं और 'अन्य' के कारण अस्पष्ट थे क्योंकि कार्यक्रम अधिकारी ने उचित सत्यापन/साक्ष्य के बिना क्षतिपूर्ति को अस्वीकृत कर दिया था।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक लाभार्थी सर्वेक्षण में पाया गया कि 73 प्रतिशत लाभार्थियों (परिशिष्ट-IV) को मजदूरी के विलम्ब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं मिली थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि नियमों के अनुसार विलम्बित भुगतान पर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूर्ति को उचित सत्यापन/साक्ष्य के बिना मनमाने ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया था।

(iii) नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के उपरान्त भी लाभार्थियों को विलम्बित भुगतान

निधि जारी करने की प्रणाली को व्यवस्थित करने और निधि जारी करने के कई स्तरों से बचने के लिए मनरेगा में इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली को प्रारम्भ किया गया। क्रियान्वयन अभिकरण (ब्लॉक/ग्राम पंचायत), कार्य और मस्टर रोल के उचित सत्यापन के बाद, राज्य स्तर के खाते को डेबिट कर लाभार्थी खातों में सीधे मजदूरी को स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण आदेश तैयार करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाभार्थियों के खातों में दो कार्य दिवसों के भीतर मजदूरी का हस्तांतरण कर देता है। यद्यपि निधि राज्य स्तर पर केन्द्रीकृत रहती है, लेकिन व्यय करने का निर्णय क्षेत्रीय स्तर पर लिया जाता है।

यह पाया गया कि 1 अप्रैल 2016 से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत के बाद, यद्यपि विलम्बित भुगतान की स्थिति में कमी आई है, फिर भी लाभार्थियों के खातों में निधि हस्तांतरण आदेश के जारी होने के दो कार्य दिवसों के भीतर मजदूरी जमा करके केवल 17.80 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश को समय पर संसाधित किया गया था। इसके अलावा 23.55 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश का भुगतान तीन से चार दिवस के मध्य किया गया था। 58.64 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश का भुगतान 48 घंटों की निर्धारित सीमा के पांच दिवस के पश्चात किया गया था।

(iv) निधि हस्तांतरण आदेश उत्पन्न होने के पश्चात और लाभार्थी के खाते में मजदूरी जमा होने के मध्य के समय के विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति का अभाव

मनरेगा अधिनियम की संशोधित अनुसूची-II के अनुच्छेद 29(1)(सी) के अनुसार मस्टर रोल को बंद करने और श्रमिकों के खातों में मजदूरी जमा करने की दिनांक के आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निधि हस्तांतरण आदेश उत्पन्न होने के पश्चात एवं मजदूरी, श्रमिकों के खाते में जमा होने के मध्य के समय का मुआवजा 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से लाभार्थियों को नहीं दिया गया। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि विलम्ब से भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।

2.1.9.4 श्रमिकों को औसत श्रम दर का भुगतान

योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मनरेगा की धारा 6 (1) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित श्रम दर पर मजदूरी पाने का हकदार है। कार्यस्थल पर अधिसूचित श्रम दर भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

यद्यपि, तकनीकी दिशा-निर्देश 2010 के अनुच्छेद 16.8 के अनुसार किसी भी पखवाड़े में श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत दैनिक मजदूरी²⁵ ₹ 70 से कम होने के मामलों में कार्यवाही होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-17 के दौरान 182, 284, 127 और 52 ग्राम पंचायतों में औसत वेतन का भुगतान ₹ 70 से कम था। तथापि, जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों में पाया गया कि दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित कारणों का विश्लेषण करने के लिए उच्च अधिकारियों (कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

2.1.9.5 श्रमिकों को वेतन रसीद जारी करने अभाव

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 7.15 के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत वेतन रसीद दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत वेतन रसीद नरेगा-सॉफ्ट के माध्यम से वेतन आदेश के साथ जारी की जाएगी। जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वेतन आदेश के साथ नरेगा-सॉफ्ट के माध्यम से व्यक्तिगत वेतन रसीद या मजदूरी जारी नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि मजदूरी का भुगतान अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मजदूरों के बैंक खाते में

25. दर ₹ 120 राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 19 जनवरी 2016 द्वारा संशोधित।

स्थानांतरित/हस्तांतरित किया जा रहा है इसलिए श्रमिकों को वेतन रसीद जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 में निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत रसीद या मजदूरी रसीद दी जानी चाहिए, जबकि मजदूरी इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जा रही हो।

2.1.9.6 बेरोजगारी भत्ता

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 3.5 एवं साथ ही अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अगर आवेदक को रोजगार मांगने के आवेदन के 15 दिवस के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। नरेगा-सॉफ्ट अभिलेखों और प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2015-16 के दौरान केवल एक प्रकरण में ग्राम पंचायत-सरोट (पंचायत समिति-भीम, जिला परिषद-राजसमंद) में राशि ₹ 1,564 का बेरोजगारी भत्ता भुगतान किया गया। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

यद्यपि, तथ्य यह है कि 2012-17 के दौरान केवल एक प्रकरण में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया था।

2.1.9.7 श्रम सुविधाएं और अन्य अधिकार

मनरेगा अधिनियम 2005 के अनुसूची-II के अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार सुरक्षित पेयजल की सुविधाएं, श्रमिकों और बच्चों के लिए छाया, मामूली चोटों और कार्य से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के लिए आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ प्राथमिक उपचार पेटी कार्यस्थल पर प्रदान की जाएगी।

(अ) श्रमिकों के लिए श्रम सुविधाएं एवं अन्य अधिकार

● **श्रमिकों हेतु कार्यस्थल पर सुविधाएं :** जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 220 ग्राम पंचायतों (दो ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए) के अभिलेखों की संवीक्षा एवं भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि कार्यस्थल पर श्रमिकों को केवल पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही थी एवं श्रमिकों और बच्चों के लिए छाया जैसी अन्य कार्यस्थल सुविधाएं, मामूली चोटों और अन्य स्वास्थ्य खतरों के लिए आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री वाली प्राथमिक उपचार पेटी प्रदान नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

- **श्रमिकों की धारणा** - मनरेगा कई माध्यमों और प्रावधानों के द्वारा श्रमिकों को कई विधिक अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए अधिकारों और हकों पर श्रमिकों की संतुष्टि के स्तर का पता लगाने के लिए, एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई थी। अप्रैल से अक्टूबर 2017 के दौरान 218 चयनित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुये ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दलों द्वारा लाभार्थी सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। 2,180 श्रमिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को निम्न दर्शाया गया है:

लाभार्थी सर्वेक्षण और प्राप्त प्रतिक्रियाएं (अधिकार-6)

क्र.सं.	अधिकार-6: कार्यस्थल पर सुविधा प्राप्त करने का अधिकार	
(i)	चिकित्सा सहायता	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर चिकित्सा सहायता सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(ii)	पेयजल	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर पेयजल सुविधा प्रदान की गई थी।
(iii)	छाया	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर छाया सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(iv)	शिशु पालन गृह	100 प्रतिशत ने बताया कि बच्चों के लिए शिशु पालन गृह सुविधा कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
(v)	5/6 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था।	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्यस्थल पर 5/6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया था।
(vi)	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बीमा	97 प्रतिशत ने बताया कि उनका मनरेगा श्रमिकों के लिए किसी भी योजना के तहत बीमा नहीं किया गया है।

लाभार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया भी यह इंगित करती है कि चिकित्सा सुविधाओं, छाया सुविधाओं, उनके बच्चों के लिए शिशु पालन गृह आदि जैसी सुविधाओं की कमी थी एवं मजदूरों को पर्याप्त रूप से सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी।

(ब) मनरेगा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 8.9 में प्रावधान अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 15 दिवस से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिकों को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। श्रमिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए हकदार श्रमिकों/परिवारों की एक सूची मनरेगा-सॉफ्ट में उपलब्ध है। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जनश्री बीमा योजना/राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत मनरेगा श्रमिकों के नामांकन के संबंध में आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी। अग्रेतर, जांच की गई आठ जिला परिषदों और 27 पंचायत समितियों में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। श्रमिकों का बीमा आवरण के प्रावधानों से संबंधित दिशा-निर्देशों की अनुपालना की जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि कार्यस्थल पर श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना और अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियों को पूरा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

निष्कर्ष

100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार एवं श्रम सुविधाएं

राज्य में औसत रोजगार सिर्फ 52.02 दिवस प्रति परिवार प्रदान किया गया था। केवल औसत 9.91 प्रतिशत परिवारों को 100 और अधिक दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया था। महिला लाभार्थियों को प्रदान किया गया रोजगार महत्वपूर्ण था क्योंकि यह 2012-17 की अवधि के दौरान 68.20 प्रतिशत था, जो कि निर्धारित स्तर 33.34 प्रतिशत से काफी अधिक था।

श्रम और सामग्री के ₹ 704.37 करोड़ के भुगतान लम्बित थे। मजदूरी के 51.67 प्रतिशत भुगतानों में विलम्ब हुआ। प्रति व्यक्ति प्रति दिवस अर्जित औसत मजदूरी अधिसूचित औसत मजदूरी दर से काफी कम थी।

2012-17 के दौरान बेरोजगारी भत्ता केवल एक प्रकरण में भुगतान किया गया था क्योंकि श्रमिकों को कार्य आवेदन की दिनांकित रसीद जारी नहीं की जा रही थी। पेयजल सुविधाओं को छोड़कर श्रम सुविधाओं और अन्य सुनिश्चित सुविधाएं श्रमिकों को उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी।

अनुशंसाएं

8. राजस्थान सरकार को कम मजदूरी दरों के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और श्रमिकों द्वारा अर्जित औसत मजदूरी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से कम न हों यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।
9. राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त श्रम सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जायें।

उद्देश्य-5: क्या वित्तीय और जनशक्ति प्रबंधन प्रभावी था

2.1.10 वित्तीय प्रबंधन

मनरेगा के दिशा-निर्देशानुसार भारत सरकार का अंश अप्रशिक्षित श्रमिकों के मजदूरी के भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय (योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले व्यय का छः प्रतिशत) का 100 प्रतिशत और सामग्री लागत का 75 प्रतिशत था। राज्य का अंश सामग्री लागत का 75 प्रतिशत था और बेरोजगारी भत्ता और राज्य गांरटी रोजगार परिषद के प्रशासनिक व्यय का 100 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के वर्षों के दौरान मनरेगा की वित्तीय प्रगति निम्न तालिका 2.7 में दर्शाई गई है :

तालिका 2.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य निधि की स्थिति					कुल व्यय
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जारी निधि		विविध आय	निधि की कुल उपलब्धता	
		केन्द्रीय	राज्य			
2012-13	157.22	2,585.34	270.38	10.84	3,023.78	3,271.27
2013-14	76.99	2,059.43	299.91	11.51	2,447.84	2,624.73
2014-15	11.29	2,976.10	322.90	-	3,310.29	3,251.35
2015-16	101.24	2,695.83	223.42	-	3,020.49	3,267.38
2016-17	84.61	4,818.17	342.67	-	5,245.45	5,155.41
योग		15,134.87	1,459.28	22.35	17,047.85	17,570.14

स्रोत : सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन (वित्तीय विवरण)।

2.1.10.1 राज्य अंश जारी होना

भारत सरकार ने अनुमोदित श्रम बजट में किए गए अनुमानों के अनुसार राज्य को धन राशि जारी की। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता जारी करने की दिनांक के उपरान्त आने वाले पखवाड़े में अपना अंश जारी करना चाहिए। अप्रैल 2014 से, केन्द्रीय अंश प्राप्त होने की दिनांक के तीन दिवस में राज्यांश जारी किया जाना चाहिए था और निधि के हस्तांतरण नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार निधि हस्तांतरण में हुए विलम्ब अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

- 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 11,963.33 करोड़²⁶ के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने वास्तव में मैचिंग अंश

26. 2016-17 के दौरान मजदूरी भुगतान के विरुद्ध भारत सरकार की एनइएफएमएस से जारी निधि के अतिरिक्त।

₹ 1,532.06 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,235.89 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप राज्य का ₹ 296.17 करोड़ मैचिंग अंश कम जारी हुआ।

- तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 के दौरान ₹ 141 करोड़ राज्य अंश जारी करने में 30 से 57 दिवस का विलम्ब हुआ था। 2014-17 की अवधि के लिए राज्य का अंश कम जारी (₹ 228.34 करोड़)/विलम्ब से जारी (₹ 199.67 करोड़) के लिए ₹ 44.02 करोड़ ब्याज देय हुआ।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि वित्तीय मुद्दों की जांच की जाएगी।

2.1.10.2 लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के प्रावधानानुसार पंचायत समिति/जिला परिषद को जारी अनुदान के मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे। वित्त और लेखा दिशा-निर्देश 2011 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी/कार्यकारी अभिकरण को जारी निधि को अग्रिम राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए और उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर समायोजित किया जाना चाहिए।

आयुक्त रोजगार गारंटी परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2016 तक ₹ 72.56 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे, यद्यपि, इसका उपयोग क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा कर लिया गया था एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने शेष थे। इसके अतिरिक्त, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल ₹ 72.56 करोड़ में से ₹ 55.05 करोड़ (75.86 प्रतिशत) 10 जिला परिषदों²⁷ के विरुद्ध बकाया चल रहे थे। राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

2.1.10.3 अव्ययित शेष का मनरेगा खाते में अहस्तान्तरण

(i) राष्ट्रीय आहार कार्य कार्यक्रम एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को वर्ष 2006 में समस्त अप्रयुक्त शेष/संसाधनों के साथ मनरेगा में विलय कर दिया गया था और कार्यों को मनरेगा के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना था। फरवरी 2014 में राजस्थान सरकार ने समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया कि जिला परिषद एवं लाईन-विभागों के पास अप्रयुक्त पड़े शेष को राज्य स्तरीय मनरेगा खातों में हस्तांतरित करें।

27. बूंदी : ₹ 4.28 करोड़, चित्तौड़गढ़ : ₹ 3.99 करोड़, दौसा: ₹ 3.69 करोड़, झालावाड़ : ₹ 4.99 करोड़, करौली : ₹ 11.24 करोड़, कोटा : ₹ 3.18 करोड़, पाली : ₹ 6.42 करोड़, राजसमन्द : ₹ 4.29 करोड़, टोंक : ₹ 4.83 करोड़ एवं उदयपुर : ₹ 8.14 करोड़।

आयुक्त रोजगार गारंटी परिषद के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

- नौ जिलों द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की राशि ₹ 4.28 करोड़²⁸ 31 मार्च 2016 तक स्थानांतरित नहीं की थी ।
- जिला परिषदों और लाइन-विभागों के पास शेष कुल ₹ 57.40 करोड़²⁹ 31 मार्च 2016 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि मामलों की जांच और जिलों/विभागों/डाक-घरों में अप्रयुक्त शेष राज्य रोजगार गारंटी निधि खाते में स्थानांतरित किया जावेगा।

2.1.10.4 प्रशासनिक व्यय/अन्य देनदारियों की गैर-आपूर्ति

(i) आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-17 के दौरान मनरेगा निधि खाते से भुगतान की गई निम्न देनदारियां राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जानी थी, जिन्हें अतिरिक्त निधि आवंटन द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा किया जाना था, जिन्हें निम्न तालिका 2.8 द्वारा संक्षेप में दर्शाया गया है :

तालिका 2.8

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य की देयताएं	वर्ष					योग
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
1.	अतिरिक्त सामग्री घटक	116.19	82.96	139.74	58.96	-	397.85
2.	अतिरिक्त व्यक्ति दिवसों पर व्यय की गई राशि (किसी भी परिवार के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमत्य दिवसों से अधिक)	4.80	109.82	7.05	4.87	0.29	126.83
3.	प्रशासनिक व्यय	-	49.61	27.53	26.78	-	103.92

28. अजमेर : ₹ 0.28 करोड़, बांरा : ₹ 0.007 करोड़, बूंदी : ₹ 0.08 करोड़, चित्तौड़गढ़ : ₹ 0.23 करोड़, चूरू : ₹ 0.0003 करोड़, झालावाड़ : ₹ 0.68 करोड़, नागौर : ₹ 0.15 करोड़, राजसमंद : ₹ 0.52 करोड़ एवं उदयपुर : ₹ 2.33 करोड़।
29. ₹ 57.40 करोड़ (कुल ₹ 45.01 करोड़ सभी 33 जिलों के पास 31 मार्च 2016 तक लम्बित थे। जिसे नकद के रूप में मनरेगा निधि के सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित वित्तीय लेखों में दर्शाया गया है। मनरेगा निधि के सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित वित्तीय लेखों के अनुसार कुल ₹ 11.19 करोड़ 31 मार्च 2016 तक 13 जिलों में डाक विभाग के पास लम्बित थे एवं सनदी लेखाकार रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2016 तक 12 जिलों के लाईन-विभागों के पास ₹ 1.20 करोड़ लम्बित थे।

क्र. सं.	राज्य की देयताएं	वर्ष					योग
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
4.	अन्य देनदारियां	-	-	-	-	-	-
(i)	बेरोजगारी भत्ता	-	-	-	0.00	-	0.00*
(ii)	मजदूरी के विलम्ब से भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति	-	-	0.01	0.19	0.09	0.29
(iii)	राज्य रोजगार गारंटी परिषद पर व्यय	-	-	-	-	-	-
योग		120.99	242.39	174.33	90.80	0.38	628.89
* 2015-16 की अवधि के दौरान एक मामले में बेरोजगारी भत्ते के रूप में भुगतान ₹ 1,564 से संबंधित है।							
स्रोत : आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।							

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि में ₹ 628.89 (103.92 + 524.97) करोड़ की प्रतिपूर्ति करनी थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि राजस्थान सरकार के अंश के आधिक्य प्रशासनिक व्यय और अन्य देनदारियों को जमा करने का मामला विचाराधीन था।

2.1.11 मानव संसाधन प्रबंधन

मनरेगा, 2005 की धारा 18 के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक कर्मचारी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर साथ ही साथ पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबन्ध आधारित सहायक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।

2.1.11.1 श्रमशक्ति का अभाव

● आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य/जिला/पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत पद, कार्यरत कर्मचारियों पद 7 जुलाई 2017 को निम्न तालिका 2.9 में दर्शाये अनुसार है :

तालिका 2.9

स्तर	स्वीकृत	कार्यरत कर्मचारियों प्रतिनियुक्ति/अनुबन्ध	रिक्तियां	प्रतिशत रिक्ति में
राज्य स्तर	342	66	276	80.70
जिला स्तर	1,209	281*	928	76.76
पंचायत समिति स्तर	7,978	3,517**	4,461	55.92
ग्राम पंचायत स्तर	18,354	4,261***	14,093	76.78
योग	27,883	8,125	19,758	70.86
* अनुबन्ध आधार पर भरे हुए 170 पद शामिल हैं।				
** अनुबन्ध आधार पर भरे हुए 3,221 पद शामिल हैं।				
*** अनुबन्ध आधार पर भरे हुए 4,261 पद शामिल हैं।				
स्रोत : रोजगार गारंटी योजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।				

कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने एवं अतिरिक्त कार्यभार देने से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर नकारात्मक असर पड़ता है।

- **प्रशिक्षण पश्चात बेयरफुट तकनीशियन की नियुक्ति एवं परिनियोजन :** मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर पूर्ण माप करने के लिए तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त करे और श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षित करे या कुशल व्यक्तियों को बेयरफुट तकनीशियन नियुक्त करे।

आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुल 623 बेयरफुट तकनीशियन प्रशिक्षित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 509 बेयरफुट तकनीशियन ने प्रशिक्षण पूरा किया, जिनमें से 457 बेयरफुट तकनीशियन प्रमाणित किए गए थे और 27 सितंबर 2017 तक 295 बेयरफुट तकनीशियन नियुक्त किए गए थे। चिन्हित किए गए 162 प्रमाणित बेयरफुट तकनीशियन अभी भी समूहों में नियुक्त किए जाने थे और 114 बेयरफुट तकनीशियन को अभी तक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया कि रिक्त पदों को भर दिया जाएगा और स्पष्ट किया कि 30 मई 2016 के आदेश के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा नए भर्ती 7,765 कनिष्ठ लिपिक पदों की मनरेगा के तहत प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई थी। यद्यपि, उपरोक्त कनिष्ठ लिपिक की सेवाएं मनरेगा के अन्तर्गत लगातार ली जा रही हैं।

2.1.11.2 जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश 2013 के अनुच्छेद 5.2.4 के अनुसार, एक जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई जिला स्तर पर स्थापित की जानी है, जिसमें पूर्णकालिक समर्पित सक्षम व्यक्ति सम्मिलित है जो मनरेगा के लिए मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, जो खण्ड और उप-खण्ड क्रियान्वयन समूहों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षेत्र फील्ड आधारित हाथ से सहायता प्रदान करेंगे। आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि समस्त जांच की गई जिला परिषदों में 2012-17 की अवधि के दौरान जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई स्थापित नहीं की गई थी। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि जिला मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

2.1.11.3 पूर्ण रोजगार में आजीविका के लिए परियोजना

पूर्ण रोजगार आजीविका (लाइफ-मनरेगा) परियोजना आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना, कौशल-आधार में सुधार और मनरेगा श्रमिकों की आजीविका में सुधार करने हेतु

बनायी गयी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/राज्य प्रधान कौशल मिशन को नरेगा-सॉफ्ट पर अपलोड करने हेतु ऐसे ग्रामीण परिवारों की एक सूची तैयार करनी थी, जिनके सदस्यों ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत कम से कम 15 दिवस का कार्य पूर्ण किया था। अग्रेतर, निर्धारित किया गया कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिवस के रोजगार को पूर्ण करने वाले 1,91,568 परिवारों का एक सर्वेक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया था और यह पाया गया कि 1,19,090 परिवार आजीविका कौशल, स्व-रोजगार और आजीविका उन्नयन में रूचि रखते थे। तदनुसार भारत सरकार ने 1,49,625 युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, ग्रामीण स्व रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद/राज्य नोडल कौशल मिशन द्वारा आयोजित कराए गए प्रशिक्षणों का विवरण निम्न तालिका 2.10 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.10

आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया							
कौशल के लिए विकल्प	आजीविका में रूचि रखने वाले श्रमिक	अभिकरण	भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य 2015-16	2015-16 के दौरान प्रदाय प्रशिक्षण	लक्ष्य 2016-17* (2015-16 के शेष सहित)	2016-17 के दौरान प्रदाय प्रशिक्षण
मजदूरी हेतु कुशलता	87,085	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	86,000	25,800	शून्य	(7,079+25,800) 32,879	शून्य (0.00%)
स्व-रोजगार के लिए कौशल	36,841	ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान	35,346	8,238	214 (2.60%)	(22,245+8,024) 30,269	5,299 (17.51%)
आजीविका उन्नयन	36,662	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद / राज्य नोडल कौशल मिशन	28,279	8,484	72 (0.85%)	(17,067+8,412) 25,479	2,042 (8.01%)
कुल	1.60,588		1,49,625	42,522	286 (0.67%)	(46,391+42,236) 88,627	7,341 (8.28%)
मार्च 2017 तक कुल लक्ष्य के समक्ष कुल उपलब्धि 8.58 प्रतिशत*							
* प्रशिक्षण प्रदान किया गया: कुल लक्षित (2015-16) 42,522 + (2016-17) 46,391 = 88,913 और कुल उपलब्धि (2015-16) 286 + (2016-17) 7,341 = 7,627 (7,627 / 88,913 × 100) = 8.58 प्रतिशत							
स्रोत : आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।							

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि :

- वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः मात्र 286 (0.67 प्रतिशत) और 7,341 (8.28 प्रतिशत) युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान 'मजदूरी हेतु कुशलता' घटक के तहत राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किसी को प्रशिक्षित नहीं किया गया था।
- पूर्ण रोजगार आजीविका (लाइफ-मनरेगा) परियोजना से कुल उपलब्धि मार्च 2017 तक कुल लक्ष्य का 8.58 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों के लिए सतत् आजीविका बनाने का उद्देश्य अब तक इस परियोजना के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

वित्तीय प्रबंधन

2012-17 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 296.17 करोड़ कम और ₹ 199.67 करोड़ विलम्ब के साथ जारी किए गए थे, जिसके लिए ₹ 44.02 करोड़ ब्याज देय था।

इसके अलावा मार्च 2016 तक ₹ 72.56 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे। जिला परिषदों एवं लाईन-विभाग के पास पड़े राशि ₹ 61.68 करोड़ के अप्रयुक्त शेष को योजना खाते में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

अतिरिक्त सामग्री घटकों, व्यक्ति दिवस, प्रशासनिक लागत, बेरोजगारी भत्ते और मजदूरी के विलम्ब से भुगतान की क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 628.89 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि में हस्तान्तरित नहीं की गई थी।

श्रम-शक्ति प्रबंधन

राज्य/जिला/पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की अत्याधिक कमी थी और जुलाई 2017 तक 70.86 प्रतिशत पद रिक्त थे।

ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी आजीविका बनाने का उद्देश्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इच्छुक युवाओं में से केवल 8.58 प्रतिशत लोगों को आजीविका के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

अनुशंसाएं

10. अप्रयुक्त शेष के समायोजन हेतु विभिन्न कार्यकारी अभिकरणों के साथ प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

11. राजस्थान सरकार को ₹ 628.89 करोड़ की लम्बित देनदारियों को राज्य रोजगार गारंटी कोष में जमा कराना चाहिए।

उद्देश्य 6: क्या योजना के विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तंत्र मौजूद था।

2.12 योजना अनुश्रवण

2.1.12.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यप्रणाली

मनरेगा अधिनियम, 2005 राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन और अलग-अलग नियमों³⁰ को तैयार करने, बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया का आदेश देता है। प्रशासनिक सुधार विभाग (राजस्थान सरकार) ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया (मार्च 2006)। राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थी। राज्य रोजगार गारंटी परिषद को योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कर्तव्य और कार्य सौंपे³¹ गए थे।

आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-13 से 2016-17 के दौरान आवश्यक 10 बैठकों के विरुद्ध केवल दो बैठकें (16 मई 2012 और 5 जुलाई 2016 को) आयोजित की गई थी। योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार और राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किए गए, यद्यपि वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो कि एक आवश्यकता थी।

2.1.12.2 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सहायता के लिए कार्यकारी समिति का गठन और इसकी बैठक आयोजित करना

राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सहायता के लिए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार ने मनरेगा (जुलाई 2006) में प्रावधान किए। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति की बैठकें हर तीन माह या आवश्यकतानुसार परिषद द्वारा निर्धारित करने पर आयोजित की जानी चाहिए। आयुक्त रोजगार गारंटी योजना के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012-17 की अवधि के दौरान कार्यकारी समितियों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई। बैठकें आयोजित करने में आने

30. धारा 12(2) के अनुसार नियम और शर्तें जिसके द्वारा राज्य परिषद के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और राज्य परिषद की बैठक का समय स्थान और प्रक्रिया (इन बैठकों में कोरम सहित) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

31. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के कर्तव्य एवं कार्य में शामिल है - (अ) राज्य सरकार योजना और इसके क्रियान्वयन के संबंध में सभी विषयों पर सलाह देना (ब) वरियता वाले कार्यों का निर्धारण (स) अनुश्रवण एवं निवारण तंत्र की समय-समय पर समीक्षा करना एवं उसमें सुधार की अनुशंसा करना (द) इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत योजना के बारे में सूचना का अधिकतम प्रसार करना (य) अधिनियम और योजना का राज्य में अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन एवं इस क्रियान्वयन का केन्द्रिय परिषद के साथ समन्वय (र) राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर रखी जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करना (ल) अन्य कोई कर्तव्य या कार्य जो केन्द्रिय परिषद और राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए।

वाली बाधाओं का विश्लेषण करने एवं कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बैठकें प्रभावी अनुश्रवण के लिए आवश्यक है।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि राज्य रोजगार गारंटी परिषद और इसकी सहायता के लिए गठित कार्यकारी समिति की समय-समय पर बैठकों के आयोजन के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.1.12.3 सामाजिक लेखापरीक्षा

सामाजिक लेखापरीक्षा औपचारिक रूप से मनरेगा योजना में मनरेगा लेखापरीक्षा नियम, 2011 के माध्यम से लाई गई थी। मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन छः माह में एक बार करना अनिवार्य है। तदनुसार, राजस्थान सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभिन्न कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों सौंपने के लिए विस्तृत सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश वर्ष 2012 में तैयार किए गए। सामाजिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य परियोजनाओं, विधियों नियमों और नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था।

(i) सामाजिक लेखापरीक्षा में कमी

मनरेगा लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 के नियम 3 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम छः माह में मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत किए गए कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करेगी। आयोजित की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्न तालिका 2.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.11

वर्ष	कुल ग्राम पंचायते	की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा की संख्या	प्रथम चरण, ग्राम सभा द्वारा आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा	द्वितीय चरण ग्राम सभा द्वारा आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा	कमी	कमी का प्रतिशत
2012-13	9,177	18,354	-	867	17,487	95.28
2013-14	9,177	18,354	7,976	-	10,378	56.54
2014-15	9,177	18,354	8,649	8,433	1,272	6.93
2015-16	9,894	19,788	9,102	9,237	1,449	7.32
2016-17	9,894	19,788	9,324	8,923	1,541	7.79

स्रोत : निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यद्यपि 2012-17 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन का रूझान बढ़ रहा था। तथापि, वर्ष 2016-17 में 7.79 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं हुआ।

(ii) सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता

जांच की गई 222 ग्राम पंचायतों में से 141 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जहां सामाजिक अंकेक्षण इकाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए, वहां सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य के आयोजन के दौरान सामाजिक अंकेक्षण इकाई प्रतिवेदन में बहुत कम टिप्पणियां अंकित पायी गईं और कार्य संतोषजनक बताया गया जबकि ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन एवं योजना के क्रियान्वयन में बहुत कमियां थीं।

अग्रेतर यह भी पाया गया कि :

- सामाजिक लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश 2012 के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को नरेगा-सॉफ्ट पर सात दिवस में अपलोड करने के लिए निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा उत्तरदायी होगा। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नरेगा-सॉफ्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थीं।

- मनरेगा लेखापरीक्षा योजना नियम 2011 के नियम 3(2) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का सारांश राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना था। 2012-17 की अवधि के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उक्त प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.1.12.4 शिकायत निवारण तंत्र

मनरेगा अधिनियम की धारा 23 (6) यह निर्धारित करती है कि कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को संधारित की गई शिकायत पंजिका में दर्ज करेगा और शिकायत प्राप्ति के सात दिवसों में उनका निपटान करेगा।

शिकायतों के निपटान में विलम्ब

यद्यपि मनरेगा के अनुसार सात दिवसों में शिकायतों/विवादों का निपटान किया जाना था, 'राजस्थान सम्पर्क'³² वेबसाइट द्वारा मात्र 15 दिवसों एवं उससे अधिक के

32. नागरिकों को उचित सेवा सुनिश्चित करने के लिए 'राजस्थान सम्पर्क' को एक ऑन-लाइन शिकायत निवारण तंत्र के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया गया है।

दिवसों में निपटान के बारे में जानकारी दर्शायी गई। 'राजस्थान सम्पर्क' के माध्यम से मनरेगा के संबंध में पंजीकृत शिकायतों की 7 जुलाई 2017 की स्थिति निम्न तालिका 2.12 में दर्शायी गयी है :

तालिका 2.12

वर्ष	प्राप्ति	निपटान	बकाया	समय सीमा में निपटान (15 दिवस)	समय सीमा के पश्चात निपटान (माह में)				योग	प्रतिशत
					एक	तीन	छः	छः से अधिक		
2014-15*	159	159	शून्य	18	36	53	23	29	141	88.68
2015-16	129	127	2	19	37	42	17	12	108	85.04
2016-17	5,180	5,042	138	1,198	1,850	1,297	567	130	3,844	76.24
योग	5,468	5,328	140	1,235	1,923	1,392	607	171	4,093	-
प्रतिशत			2.56							76.82

* जून 2014 से

स्रोत : आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि औसत 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निपटान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि सर्वेक्षित लाभार्थी में से 68 प्रतिशत (**परिशिष्ट-IV**) को शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ हेल्प-लाइन नम्बरों के संबंध में जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त आयुक्त रोजगार गारंटी योजना द्वारा ऑफ-लाइन शिकायतें भी प्राप्त की गयी थी। वर्ष 2012-17 के दौरान कुल 730 शिकायतें³³ प्राप्त की गईं, जिनमें से कुल 326 शिकायतें³⁴ 7 जुलाई 2017 तक लम्बित थी।

2.1.12.5 लोकपाल की नियुक्ति और अपीलीय प्राधिकरण का गठन

मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-I की धारा 30 के अनुसार, राज्यों को प्रत्येक जिले में शिकायतें प्राप्त करने, निर्णय की जांच और स्वीकृत करने हेतु एक लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के दिशा-निर्देश (जनवरी 2014) के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार लोकपाल के निर्णय से असंतुष्ट किसी भी पक्ष के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को भी स्थापित किया जाना था।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान 33 जिलों में लोकपाल की स्थिति क्रमशः 7, 19, 20, 16 एवं 15 थी। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने

33. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रमशः 226, 63, 213, 188 एवं 40 शिकायतें प्राप्त हुईं।

34. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रमशः 18, 17, 124, 150, और 17 शिकायतें लम्बित थीं।

दिशा-निर्देशानुसार लोकपाल के निर्णयों से असंतुष्ट किसी भी पक्ष के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण की अब तक स्थापना नहीं की थी।

निर्गम बैठक (मार्च 2018) के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने आश्वासन दिया कि शिकायतों के समय पर निवारण हेतु प्रयास और हर जिले में लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे।

2.1.12.6 आवधिक निरीक्षण

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि :

(i) वर्ष 2012-17 के दौरान जांच की गई समस्त 27 पंचायत समितियों में निरीक्षण प्रतिवेदन और कार्यों की अनुश्रवण पंजिका का संधारण नहीं किया गया।

(ii) जांच की गई समस्त आठ जिला परिषदों में न तो आंतरिक गुणवत्ता पर्यवेक्षण टीम के गठन के अभिलेख उपलब्ध थे और न ही नरेगा-सॉफ्ट पर अपलोड किए गए थे। अतः 2012-17 की अवधि के दौरान दिशा-निर्देश में निर्धारित आंतरिक गुणवत्ता प्रबंधन नहीं किया गया था।

(iii) वर्ष 2012-17 के दौरान जांच की गई समस्त आठ जिला परिषदों में से प्रत्येक जिले के लिए राज्य गुणवत्ता अनुश्रवण जिला परिषदों के स्तर पर नियुक्त नहीं किए गए थे।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि (मार्च 2018) मामले की समीक्षा की जा रही है।

निष्कर्ष

सामाजिक लेखापरीक्षा, शिकायत और निरीक्षण

राजस्थान सरकार को योजना के क्रियान्वयन के परामर्श के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा कर्तव्यों और कार्यों का उचित ढंग से पालन नहीं किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त, योजना के क्रियान्वयन में कई कमियों के बावजूद सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजन के दौरान बहुत कम टिप्पणियां पायी गयी एवं नरेगा-सॉफ्ट वेबसाइट पर सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपलोड नहीं किए जा रहे थे।

शिकायत तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि निर्धारित समय-सीमा में 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निपटान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त शिकायतें प्राप्त करने, निर्णयों की जांच करने और स्वीकृत करने के लिए लोकपाल की संख्या पर्याप्त नहीं थी।

न तो प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों के आवधिक निरीक्षण किए गए और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुश्रवण पंजिका संधारित की गई।

अनुशांसाएं

12. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार को राज्य रोजगार गारंटी परिषद की समय पर बैठकें आयोजित हो यह सुनिश्चित करना चाहिए।

13. शिकायत निवारण तंत्र को निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों का निपटान करके अधिक प्रभावी किया जाना चाहिए और प्रत्येक जिले में लोकपाल की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

14. योजना के क्रियान्वयन और निष्पादन को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनरेगा कार्यों का आवधिक निरीक्षण प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारियों, आंतरिक और बाहरी अनुश्रवकों द्वारा किया जाए।

2.1.13 निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मूल उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अप्रशिक्षित शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का सुनिश्चित श्रम रोजगार प्रदान करके ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजन के परिणाम प्रकट करते हैं कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी नहीं थी क्योंकि समस्त स्तरों पर योजना की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ था, योजना में निम्न से उच्च स्तर के दृष्टिकोण की पालना नहीं की गयी थी और अन्य लाइन-विभागों के साथ अभिसरण की कमी थी। यद्यपि जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे थे, उन्हें नवीनीकृत नहीं किया जा रहा था और योग्य परिवार जो छूट गए थे और पंजीकृत होने के इच्छुक थे, की पहचान नहीं की गई थी। रोजगार आवंटन प्रभावी नहीं था क्योंकि श्रमिकों को कार्य आवंटन की सूचना नहीं दी गयी थी। 2012-17 के दौरान मात्र एक मामले में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया था क्योंकि श्रमिकों को कार्य आवेदन की दिनांकित रसीद जारी नहीं की जा रही थी।

इस योजना के तहत निष्पादित कई कार्यों में विलम्ब हुआ और स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में कमियां थी। राज्य में प्रदान किया गया कुल औसत

रोजगार मात्र 52.02 दिवस प्रति परिवार था और यह 100 दिवस के गारंटीकृत रोजगार से बहुत कम था। अग्रेतर, श्रमिकों को प्रदान की जानी वाली श्रम सुविधाएं और अन्य गारण्टीकृत अधिकारों में मात्र पेयजल की सुविधा को छोड़कर अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी।

वित्तीय प्रबंधन कमजोर था क्योंकि राज्य अंश विलम्ब से/कम जारी किया गया था और अधिक्य सामग्री घटक की बड़ी राशि राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा नहीं की गई थी। सभी स्तरों पर कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी और जुलाई 2017 तक 70.86 प्रतिशत पद रिक्त थे। योजना के क्रियान्वयन में कई त्रुटियों के बावजूद सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान बहुत कम टिप्पणियां की गईं। शिकायत तंत्र प्रभावी नहीं था क्योंकि 76.82 प्रतिशत शिकायतों का निपटान निर्धारित समय-सीमा ने नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्यों का आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया था।

उपर्युक्त चर्चा किए गए निष्कर्षों और लाभार्थी सर्वेक्षण ने इस तथ्य को इंगित किया कि श्रमिकों को 10 में से आठ अधिकारों के मामलों में संतोषजनक रूप से उनके अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे थे अर्थात् (2) मांग करने के 15 दिवस के भीतर काम प्राप्त करने का अधिकार (3) बेरोजगारी भत्ता के अधिकार (4) योजनाओं को तैयार कर उनका शेल्फ तैयार करना (6) कार्य-स्थल पर सुविधाओं का अधिकार (7) मजदूरी दर अधिसूचित करने का अधिकार, (8) 15 दिवस में मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, (9) मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार और (10) शिकायतों, सामाजिक लेखापरीक्षा का समयबद्ध शिकायत निवारण। जमीनी स्तर पर मनरेगा के कामकाज में कमी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार योजना के क्रियान्वयन में विभाग को होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अनुपालना के कारणों का विश्लेषण कर सकती है।

अनुपालन लेखापरीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग

2.2 मगरा क्षेत्रीय विकास योजना

2.2.1 प्रस्तावना

मगरा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु मगरा क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की गई (अगस्त 2005)। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ सामाजिक-आर्थिक एवं मूलभूत ढांचागत विकास करना था। जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों (मार्च 2015) के अनुसार निधियों का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर 'श्री योजना' में शामिल पांच आधारभूत

सुविधाओं (स्वच्छता, स्वास्थ्य, ग्रामीण सम्पर्क, शिक्षा और चिकित्सा एवं ऊर्जा) पर किया जाना था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग है और पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल अभिकरण है।

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना राज्य के तीन संभागों³⁵ के पांच जिलों की 14 पंचायत समितियों³⁶ में क्रियान्वित की जा रही है।

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के कार्यान्वयन का अवधि 2012-13 से 2016-17 हेतु अप्रैल से सितम्बर 2017 के दौरान चयनित इकाईयों में अभिलेखों की नमूना जांच संपादित की गई। पांच जिलों में से तीन जिलों यथा भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद का चयन व्यय के आधार पर किया गया। अग्रेतर, छः पंचायत समितियों³⁷ (50 प्रतिशत) को यादृच्छिक रूप से चुना गया था और 60 ग्राम पंचायतों³⁸ (25 प्रतिशत) का उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.2 आयोजना

ग्रामीण विकास विभाग एवं चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि न तो आधारभूत संरचना के

35. **संभाग, अजमेर** : अजमेर और भीलवाड़ा, **जोधपुर**: पाली, **उदयपुर**: चित्तौड़गढ़ और राजसमंद।
36. **जिला, अजमेर** : जवाजा और मसूदा, **भीलवाड़ा**: असीद, मांडल और रायपुर, **चित्तौड़गढ़**: निम्बाहेड़ा, **पाली** : मारवाड़ जंक्शन, रायपुर और **राजसमंद** : अमेट, भीम, देवगढ़, खमनोर, कुम्भलगढ़ और राजसमंद।
37. **पंचायत समिति** : आसीद और मांडल (जिला भीलवाड़ा), मारवाड़ जंक्शन (जिला पाली) और भीम, देवगढ़ और राजसमंद (जिला राजसमंद)।
38. **पंचायत समिति, आसीद** : 10 ग्राम पंचायतें (बदनोर, भात्सी, भोजपुर, चैनपुरा, चतरपुरा, जालरिया, कटार, मोगर, ओझियाणा, रतनपुरा (भा)) **भीम** : 10 ग्राम पंचायतें (बाघाना, बली, बरार, भीम, डूंगरखेड़ा, कोकरखेड़ा, कुशलपुरा, समेलिया, थानेटा एवं टोगी) **देवगढ़** : 10 ग्राम पंचायतें (आंजना, जीरण, कालेसारिया, कुन्दवा, माद, नाराणा, पारडी, सागवास, स्वादडी और ताल) **मांडल** : 10 ग्राम पंचायतें (भभाना, धुवाला (के), गोवर्धनपुर, करेड़ा, मोटा का खेड़ा, नरेली, निम्बाहेड़ा जाटन, सेनुन्दा, शिवपुर और उमेरी) **मारवाड़ जंक्शन** : 10 ग्राम पंचायतें (बनसोर, भगोडा, बोरनदी, बोरीमदा, चोकड़ीया, झिन्झाड़ी, कनटलिया, फुलड, सारण और सिरीयारी) और **राजसमंद** : 10 ग्राम पंचायतें (बामन टुकारा, भाना, भटोली, भावा, बोरज, फरारा, महसतियो की मदरी, मुन्डोल, पासून्द और पीपाली अचरीयान)।

अन्तर की पहचान की गई और न ही समग्र ग्रामीण विकास कार्य योजना तैयार की गई थी। अग्रेतर, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रत्याशित योजना, जल-निकासी योजना मय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/समेकित परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार नहीं की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि वित्त विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति नहीं दी गई थी।

2.2.3 वित्तीय प्रबंधन

यह योजना राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित थी। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार, 50 प्रतिशत राशि का आंवटन गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष किया जाना था तथा शेष 50 प्रतिशत राशि³⁹ का आंवटन जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर क्षेत्र की साक्षरता दर को राज्य की साक्षरता दर से घटाने के आधार पर किया जाना था। 50 प्रतिशत राशि की प्रथम किश्त को वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में जारी किया जाना था और द्वितीय किश्त को पूर्व वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि के 90 प्रतिशत एवं वर्तमान वर्ष में हस्तांतरित राशि के 60 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जारी किया जाना था। इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य पाये गए थे :

2.2.3.1 निधियों का उपयोजन

(i) अवधि 2012-17 के दौरान राज्य स्तर पर निधियों के आंवटन एवं व्यय को तालिका 2.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.13

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आंवटित निधि		कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अन्तिम शेष	कुल उपलब्ध निधि के निमित्त व्यय का प्रतिशत
		राज्य सरकार	अन्य प्राप्तियां				
2012-13	21.1	20.00	0.02	41.12	1.56	39.56	3.79
2013-14	39.56	50.00	0.04	89.60	24.26	65.34	27.08
2014-15	65.34	49.65	0.03	115.02	16.83	98.19	14.63
2015-16	98.19	38.66	0.04	136.89	34.47	102.42	25.18
2016-17	102.42	44.03	0.01	146.46	56.17	90.29	38.35
योग		202.34	0.14		133.29		21.81

39. (राज्य की साक्षरता दर - जिले की साक्षरता दर) X जिले में ग्राम पंचायत की संख्या X 100 / कुल आंवटित राशि।

अवधि 2012-17 के दौरान व्यय 3.79 प्रतिशत से 38.35 प्रतिशत तक विस्तारित था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2017 तक अव्ययित शेष राशि ₹ 90.29 करोड़ अनुपयोगी रहा।

जांच की गई जिला परिषदों में 2012-17 के दौरान आवंटित राशि और किए गए व्यय के स्थिति को निम्न तालिका 2.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आवंटित निधि		कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अन्तिम शेष	कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत
		राज्य सरकार	अन्य प्राप्तियां				
2012-13	19.45	17.97	0.02	37.44	0.78	36.66	2.08
2013-14	36.66	44.93	0.04	81.63	20.95	60.68	25.66
2014-15	60.68	44.62	0.01	105.31	13.43	91.88	12.75
2015-16	91.88	34.37	0.01	126.26	29.08	97.18	23.03
2016-17	97.18	39.65	0.00	136.83	52.63	84.20	38.46
योग		181.54	0.08		116.87		20.40

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार।

अवधि 2012-17 के दौरान व्यय 2.08 प्रतिशत से 38.46 प्रतिशत तक विस्तारित था। वृहद अव्ययित राशि ₹ 84.20 करोड़ मार्च 2017 तक अनुपयोगी रही।

जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद ने अवगत कराया (मई-अगस्त 2017) कि कार्यों की धीमी प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण निधियों का कम उपयोग हुआ।

(ii) उपयोगिता प्रमाण-पत्र / पूर्णता प्रमाण-पत्र जमा कराना और द्वितीय किश्त जारी करना :

जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2017 तक राशि ₹ 48.92 करोड़⁴⁰ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/पूर्णता प्रमाण-पत्र बकाया थे। इसके बावजूद ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पांच जिलों⁴¹ को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना राशि ₹ 19.15 करोड़ जारी कर दी गई थी।

ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि चल रहे कार्यों को पूर्ण करने के लिए द्वितीय किश्त को जारी करना आवश्यक था। उपयोगिता

40. राजसमंद : ₹ 26.13 करोड़, भीलवाड़ा : ₹ 16.63 और पाली : ₹ 6.16 करोड़।

41. अजमेर : ₹ 1.11 करोड़, भीलवाड़ा : ₹ 2.70 करोड़, पाली : ₹ 2.70 करोड़, राजसमंद : ₹ 11.43 करोड़ और चित्तौड़गढ़ : ₹ 1.21 करोड़।

प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना द्वितीय किश्त के आंवटन के संबंध में, दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के संबंध में उत्तर मूक है।

(iii) **निधियों का विपथन** : आधारभूत संरचनाओं के लिए आरक्षित ₹ 99.17 करोड़⁴² राशि के आंवटन के विरुद्ध कोई व्यय नहीं हुआ था। तथापि, इन निधियों में से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत, जो एक पृथक राज्य पोषित योजना थी, जल निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹ 4.84 करोड़ वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आंवटित की गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान को निधियों के विपथन की पुष्टि की (अप्रैल 2017)।

(iv) **इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन नहीं करना** : संशोधित दिशा-निर्देश, 2015 के पैरा 11.4 के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है और आवश्यक प्रशिक्षण राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग एवं चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि न तो वित्तीय नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मौजूद थी और न ही प्रशिक्षण दिया गया था।

(v) **असमायोजित अग्रिम**

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 215(2) प्रावधित करता है कि कार्य या अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम को तीन माह के भीतर समायोजित किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राशि ₹ 44.11 करोड़⁴³ माह मार्च 2017 तक विभिन्न कार्यों हेतु कार्यकारी अभिकरणों के पास बकाया थी। तथ्यों को स्वीकारते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने अवगत कराया (मई 2017) कि समस्त जिला परिषदों को बकाया अग्रिमों के निर्धारित समय में समायोजन हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.2.4 निष्पादन

ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना (निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को शामिल करते हुए) पंचायत समिति को प्रस्तुत की जाती है और पंचायत समिति की समेकित वार्षिक योजना, प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी के लिए आगे जिला परिषद को अग्रेषित की जाती है वार्षिक योजना संबंधित जिला परिषद द्वारा अनुमोदित की जानी थी।

42. 2015-16: ₹ 49.67 करोड़ और 2016-17: ₹ 49.50 करोड़, राशि ₹ 19.83 करोड़ (2015-16: ₹ 9.93 करोड़ और 2016-17: ₹ 9.90 करोड़)।

43. जिला परिषद, अजमेर : ₹ 1.35 करोड़, भीलवाड़ा : ₹ 8.68 करोड़, चित्तौड़गढ़ : ₹ 0.23 करोड़, पाली : ₹ 5.38 करोड़ और राजसमंद : ₹ 28.47 करोड़

2.2.4.1 भौतिक निष्पादन

2012-17 के दौरान, नमूना जांच किए गए जिलों की 241 ग्राम पंचायतों में ₹ 195.46 करोड़ के 4,772 कार्य स्वीकृत किए गए। जांच की गई जिला परिषद भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद द्वारा 4,772 कार्यों में से ₹ 194.53 करोड़ के 4,716 कार्यों की जानकारी दी गई।

2012-17 के दौरान ग्रामीण सम्पर्क मार्ग हेतु ₹ 91.81 करोड़⁴⁴ के 2,272 कार्य (48 प्रतिशत) के साथ स्वास्थ्य हेतु ₹ 39.15 करोड़⁴⁵ के 829 कार्य (17 प्रतिशत), शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु ₹ 29.37 करोड़⁴⁶ के 738 कार्य (16 प्रतिशत), स्वच्छता हेतु ₹ 21.10 करोड़⁴⁷ के 454 कार्य (10 प्रतिशत), ऊर्जा हेतु ₹ 1.29 करोड़⁴⁸ के 56 कार्य (एक प्रतिशत) और अन्य गतिविधियों हेतु ₹ 11.81 करोड़⁴⁹ के 367 कार्य (आठ प्रतिशत) स्वीकृत किए गए। जांच की गई तीन जिला परिषदों भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में यह पाया गया कि :

(i) 2012-17 के दौरान स्वीकृत 4,772 कार्यों में से ₹ 76.43 करोड़ के 1,493 कार्य (31.29 प्रतिशत) अपूर्ण थे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अन्य दो मगरा क्षेत्र जिलों (जिला परिषद चित्तौड़गढ़ और अजमेर) की भौतिक निष्पादन की सूचना मांगे जाने (अप्रैल 2017) के पश्चात भी उपलब्ध नहीं करवायी गयी। जांच की गई जिला परिषदों ने अवगत कराया (मई-अगस्त 2017) कि कार्यों की धीमी प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों/पूर्णता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत न करने के कारण कार्य अपूर्ण रहे।

(ii) जिला परिषद भीलवाड़ा और राजसमंद में 2012-16 की अविध के दौरान सोलर लाईट लगाने/सीमेंट कंक्रीट सड़क, चारदीवारी, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आदि

-
44. **ग्रामीण सम्पर्क मार्ग** - (2,272 कार्य : ₹ 91.81 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (744 कार्य : ₹ 28.62 करोड़), पाली (196 कार्य : ₹ 9.92 करोड़) और राजसमंद (1,332 कार्य : ₹ 53.27 करोड़)।
45. **स्वास्थ्य** - (829 कार्य : ₹ 39.15 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (307 कार्य : ₹ 10.69 करोड़), पाली (60 कार्य : ₹ 3.15 करोड़) और राजसमंद (462 कार्य : ₹ 25.31 करोड़)।
46. **शिक्षा और चिकित्सा** - (738 कार्य : ₹ 29.37 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (191 कार्य : ₹ 7.84 करोड़), पाली (42 कार्य : ₹ 1.78 करोड़) और राजसमंद (505 कार्य : ₹ 19.75 करोड़)।
47. **स्वच्छता** - (454 कार्य : ₹ 21.10 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (81 कार्य : ₹ 3.64 करोड़), पाली (119 कार्य : ₹ 6.11 करोड़) और राजसमंद (254 कार्य : ₹ 11.35 करोड़)।
48. **ऊर्जा** - (56 कार्य : ₹ 1.29 करोड़), जिला परिषद भीलवाड़ा (50 कार्य : ₹ 1.13 करोड़) और पाली (छः कार्य : ₹ 0.16 करोड़)।
49. **अन्य गतिविधि** - (367 कार्य : ₹ 11.81 करोड़), जिला परिषद, भीलवाड़ा (182 कार्य : ₹ 5.49 करोड़), पाली (21 कार्य : ₹ 0.94) और राजसमंद (164 कार्य : ₹ 5.38 करोड़)।

हेतु ₹ 2.71 करोड़⁵⁰ के 90 कार्य संबंधित जिला परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए थे। तत्पश्चात विवादित कार्य स्थल, अन्य योजनाओं में निष्पादित कार्य, दोहरी स्वीकृति और तकनीकी समस्याओं की शिकायतों के कारण इन कार्यों को रद्द कर दिया गया था।

(iii) जिला परिषद भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में अवधि 2012-16 के दौरान संबंधित जिला परिषदों द्वारा स्वीकृत 591 कार्य⁵¹ पूर्णता की नौ महीने की निर्धारित अवधि के अंतराल के बाद भी अपूर्ण रहे, जबकि मार्च 2017 तक इन कार्यों पर ₹ 23.47 करोड़ व्यय हो चुका था। जिला परिषद पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद ने अवगत कराया (अप्रैल-अगस्त 2017) कि कार्यों की धीमी प्रगति के कारण कार्य अपूर्ण रहे।

(iv) जिला परिषद राजसमंद ने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अमेट में अवधि 2016-17 के दौरान राशि ₹ 61 लाख के पांच कार्यों⁵² को जिला परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जो कि अमेट दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम या ग्राम पंचायत में अधिसूचित नहीं थे। जिला परिषद राजसमंद ने अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य स्वीकृत किए गए थे। प्रत्युत्तर युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि योजना की परिधि से अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किए गए थे।

(v) जिला परिषद भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में सीमेंट कंक्रीट सड़क/पेवर इंटर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क मय जल-निकास हेतु नाली के ₹ 1.29 करोड़⁵³ की लागत के 29 कार्य स्वीकृत किए गए थे। यद्यपि उपरोक्त 29 सड़क कार्यों के अनुमानों में जल-निकास हेतु नालियों के प्रावधान किए गए थे, लेकिन इन कार्यों में सड़कों को बिना नालियों के निर्माण के ₹ 1.23 करोड़⁵⁴ के व्यय के साथ पूरा किया गया था।

(vi) जिला परिषद, राजसमंद में, सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुमान में सीमेंट कंक्रीट की दो परतों, 1:4:8/1:3:6 एवं 1:2:4 के प्रावधान के

50. जिला परिषद, राजसमंद : 2012-13 (23 कार्य): ₹ 0.70 करोड़, 2013-14 (नौ कार्य): ₹ 0.24 करोड़, 2014-15 (19 कार्य): ₹ 0.51 करोड़ और 2015-16 (सात कार्य): ₹ 0.32 करोड़ और भीलवाड़ा (32 कार्य): ₹ 0.94 करोड़।

51. जिला परिषद, राजसमंद (354 कार्य): ₹ 13.13 करोड़, पाली (101 कार्य): ₹ 4.62 करोड़ और भीलवाड़ा (136 कार्य): ₹ 5.72 करोड़।

52. चार दीवारी का निर्माण (दो कार्य): ₹ सात लाख और दुकान का निर्माण (तीन कार्य): ₹ 54 लाख।

53. जिला परिषद, भीलवाड़ा (आठ कार्य): ₹ 0.37 करोड़ और पाली (छ: कार्य): ₹ 0.37 करोड़ और राजसमंद (15 कार्य): ₹ 0.55 करोड़।

54. जिला परिषद, भीलवाड़ा (आठ कार्य): ₹ 0.36 करोड़ और पाली (छ: कार्य): ₹ 0.34 करोड़ और राजसमंद (15 कार्य): ₹ 0.53 करोड़।

साथ राशि ₹ 46 लाख⁵⁵ के नौ सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे (अगस्त 2013-दिसम्बर 2014)। माप-पुस्तिका के अनुसार सड़कों का निर्माण सड़कों की लम्बाई (तीन सड़कों), चौड़ाई और मोटाई (छः सड़कों) को बढ़ाकर, दो परतों के स्थान पर केवल सीमेंट कंक्रीट की 1:2:4 एक परत बिछायी गयी। जिला परिषद, राजसमंद ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

2.2.4.2 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन

जांच की गई 60 ग्राम पंचायतों के 1,604 कार्यों में से 292 कार्यों⁵⁶ का कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत सचिव के साथ लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-सितम्बर 2017) किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित है :

(अ) गैर-निष्पादित मदों के लिए भुगतान

जिला परिषद, भीलवाड़ा और राजसमंद में संबंधित जिला परिषदों द्वारा अवधि अगस्त 2013 से दिसम्बर 2014 तक सीमेंट कंक्रीट सड़क मय नालियों/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इन्टर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क, सीमेंट कंक्रीट की दो परतों के प्रावधान सहित ₹ 27.50 लाख के लागत के पांच कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन सड़क कार्यों को ₹ 27.50 लाख के व्यय के साथ पूर्ण किया गया था। प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क के लिए आधार परत) में गैर-निष्पादित कार्यों के लिए राशि ₹ 9.63 लाख का भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट-VII** में दर्शाया गया है। पंचायत समिति, भीम, देवगढ़, मांडल और राजसमंद द्वारा तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कार्य के मूल्यांकन के बाद कार्य पूर्णता-प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसी प्रकार, जिला परिषद, भीलवाड़ा पाली और राजसमंद में सीमेंट कंक्रीट सड़क मय जल-निकास हेतु नालियों/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/इन्टर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क निर्माण हेतु राशि ₹ 49 लाख के आठ कार्य स्वीकृत किए गए (अगस्त 2013-अगस्त 2015) एवं ₹ 47.81 लाख के व्यय के साथ पूर्ण किए गए (सितम्बर 2013-जून 2016)। ₹ 8.49 लाख का अनियमित भुगतान उन कार्यों के लिए किया गया जिनको निष्पादित नहीं किया था तथापि माप-पुस्तिका में दर्ज किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-VIII** में दर्शाया गया है।

ध्यान में लाए जाने (जून-सितम्बर 2017) पर पंचायत समिति आसीद, भीम, देवगढ़, मांडल, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया।

55. पंचायत समिति, भीम (पांच कार्य): ₹ 33 लाख, कुम्भलगढ़ (तीन कार्य): ₹ 11 लाख और खम्मोर (एक कार्य): ₹ दो लाख।

56. 292 कार्य: (जिला परिषद, भीलवाड़ा : 120 कार्य, पाली : 41 कार्य और राजसमंद : 31 कार्य)।

(ब) जिला परिषद भीलवाड़ा एवं राजसमंद में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क मय जल निकास हेतु नालियों/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/इन्टर-लॉकिंग ब्लॉक सड़क के आठ कार्यों हेतु राशि ₹ 53.00 लाख स्वीकृत किए गए (अगस्त 2013-अगस्त 2015) एवं राशि ₹ 52.64 लाख के व्यय के साथ पूर्ण किए गए (जनवरी 2014-जनवरी 2016)। यह पाया गया कि माप-पुस्तिका में दर्ज सड़क की लम्बाई वास्तव में निष्पादित मात्रा से काफी अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.94 लाख का अनियमित भुगतान हुआ जैसा कि (परिशिष्ट-IX) में दर्शाया गया है।

ध्यान में लाए जाने पर पंचायत समिति भीम, देवगढ़, मांडल और राजसमंद द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया (मई से सितम्बर 2017)।

(i) **सृजित परिसम्पत्तियों का अनुपयोग**

(अ) जिला परिषद, भीलवाड़ा और राजसमंद में आयुर्वेद और पुस्तकालय भवन, सरकारी उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर और सामुदायिक केन्द्र आदि के निर्माण के 17 कार्य, लागत राशि ₹ 0.90 करोड़ फरवरी 2012 से जून 2015 में स्वीकृत एवं ₹ 0.84 करोड़ के व्यय के साथ जनवरी 2013 से मार्च 2017 तक पूर्ण किए गए (परिशिष्ट-X)।

यह पाया गया था कि ये आयुर्वेद और पुस्तकालय भवन, सरकारी उप-स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर और सामुदायिक केन्द्र उपयोग में नहीं लाए जाने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।



(ब) जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में भू-स्तर जलाशय और पानी के टैंक, पाइप-लाइन के बिछाने और जोड़ने सहित के सात कार्य, लागत राशि ₹ 24 लाख स्वीकृत (सितम्बर 2013-सितम्बर 2016) एवं राशि ₹ 22.91 लाख के व्यय से पूर्ण किए गए (दिसम्बर 2013 - दिसम्बर 2016) विवरण (परिशिष्ट-XI) में दर्शाया गया है।

यह पाया गया था कि भू-स्तर जलाशय और पानी के टैंक का निर्माण पानी के स्रोत को सुनिश्चित किए बिना किया गया था और इसलिए निर्माण के बाद से अनुपयोगी रहे।

(स) जिला परिषद, भीलवाड़ा में लिफ्ट सिंचाई योजना का एक कार्य, मोटर टैंक कनेक्शन एवं भू-स्तर जलाशय के साथ लागत राशि ₹ आठ लाख सितम्बर 2013 में स्वीकृत किया गया (ग्राम पंचायत सेनूड़ा, पंचायत समिति मांडल)। माह जुलाई 2017 तक भू-स्तर जलाशय एवं पाइप-लाईन के बिछाने पर ₹ पांच लाख व्यय किए गए। सब-मर्सिबल मोटर पम्प सेट को न लगाने के कारण लिफ्ट सिंचाई योजना अनुपयोगी पड़ी थी। ध्यान में लाए जाने पर पंचायत समिति मांडल द्वारा सब-मर्सिबल मोटर पम्प सेट नहीं लगाए जाने के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया (सितम्बर 2017)।

(द) जिला परिषद पाली में ग्राम पंचायत बोरनाड़ी, बोरीमाड़ा, झिन्झारी और सारण (पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन) में 2013-14 के दौरान 58 सोलर लाईट⁵⁷ राशि ₹ 12.68 लाख की लागत से क्रय की एवं लगाई गई। यह पाया गया कि राशि ₹ 58 में से ₹ 11.59 लाख की 53 सोलर लाईट⁵⁸ जनवरी 2015 से खराब पड़ी थी। ग्राम पंचायत बोरनाड़ी, बोरीमाड़ा, झिन्झारी और सारण ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि रख-रखाव के अभाव और धन की कमी के कारण सोलर लाईट खराब पड़ी थी। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जैसा कि अनुच्छेद 2.2.4.3 में बताया गया है कि रख-रखाव के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध थी।

(य) जिला परिषद पाली में ग्राम पंचायत भागोरा एवं फुलाड (पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन) एवं जिला परिषद राजसमंद में ग्राम पंचायत भगाना (पंचायत समिति भीम) में रपट एवं रास्ते के सुदृढीकरण, आंगनबाड़ी केन्द्र और राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चारदीवारी के निर्माण के तीन कार्य⁵⁹ लागत राशि ₹ 8.75 लाख स्वीकृत (नवम्बर 2012-सितम्बर 2013) एवं राशि ₹ 6.01 लाख के व्यय के साथ पूर्ण (मार्च-अक्तुबर 2013) किए गए। यह पाया गया कि सभी तीनों कार्य जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे।

(ii) **स्वीकृत स्थान के बजाए अन्य स्थान पर कार्यों का निष्पादन**

(अ) ग्राम पंचायत, मुंडोल (पंचायत समिति, राजसमंद) में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से भील बस्ती, ग्राम पुथोल तक सीमेन्ट कंक्रीट सड़क मय जल निकास हेतु नाली का निर्माण कार्य, माह दिसम्बर 2013 में राशि ₹ पांच लाख स्वीकृत एवं

-
57. ग्राम पंचायत, बोरीमादा (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख, बारन्दी (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख, झिन्झारी (28 सोलर लाईट): ₹ 6.14 लाख और सारण (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख।
58. ग्राम पंचायत, बोरीमादा (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख, बारन्दी (पाँच सोलर लाईट): ₹ 1.09 लाख, झिन्झारी (28 सोलर लाईट): ₹ 6.14 लाख और सारण (10 सोलर लाईट): ₹ 2.18 लाख।
59. ग्राम पंचायत, फुलाद (रपट और रास्ता की लम्बाई का निर्माण) ₹ तीन लाख, भगोरा (आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण): ₹ 3.75 लाख और बाघाना (राजीव गांधी सेवा केन्द्र की चार दीवारी का निर्माण): ₹ दो लाख।

राशि ₹ पांच लाख का व्यय कर पूर्ण किया गया। यह पाया गया कि सीमेन्ट कंक्रीट सड़क स्वीकृत स्थान अर्थात् राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से भील बस्ती, ग्राम पुथोल के बजाए भील बस्ती से बयान माता मंदिर तक बनाई गई। ध्यान में लाए जाने पर पंचायत समिति राजसंमद ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया (मई 2017)।

(ब) जिला परिषद भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत भभाना, (पंचायत समिति, मांडल) में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में दो कमरे, बरामदे सहित हाल का निर्माण कार्य मार्च 2015 में राशि ₹ 10 लाख स्वीकृत एवं राशि ₹ 10 लाख का व्यय कर नवम्बर 2016 में पूर्ण किया गया। यह पाया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय के परिसर के स्थान पर ग्राम पंचायत भभाना में दो कमरे, बरामदे सहित हाल का निर्माण किया गया। पंचायत समिति, मांडल ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया (सितम्बर 2017)।

2.2.4.3 परिसम्पत्तियों का संधारण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 24.3 के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों का विवरण एक पंजिका (विकास पंजिका) में प्रत्येक जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना अपेक्षित है। अग्रेतर संशोधित दिशा-निर्देशों (2015) का अनुच्छेद 7.5 भी प्रावधित करता है कि उपलब्ध निधियों का 15 प्रतिशत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, संरक्षण, मरम्मत एवं सुदृढीकरण पर उपयोग किया जाएगा।

चयनित जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि :

(i) अवधि 2012-17 के दौरान जांच की गई जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न योजनाओं में सृजित की गयी परिसम्पत्तियों की पंजिका का संधारण नहीं किया जा रहा था।

(ii) अवधि 2015-17 के दौरान, परिसम्पत्तियों के संरक्षण, संधारण, मरम्मत एवं सुदृढीकरण हेतु ₹ 10.49 करोड़ (आंवटित निधि ₹ 69.95 करोड़⁶⁰ का 15 प्रतिशत) की निधियां उपलब्ध थी। तथापि, पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद कोई संरक्षण कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। राज्य सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित रहा (मार्च 2018)।

60. 2015-17 के दौरान जांच की गई जिलों को आंवटित निधि (जिला परिषद राजसंमद): ₹ 38.89 करोड़, (भीलवाड़ा): ₹ 21.90 करोड़ और (पाली): ₹ 9.16 करोड़।

2.2.5 अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा

2.2.5.1 जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास समिति

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 10.2 प्रावधित करता है कि जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास समिति का गठन किया जाना था। यद्यपि, समिति का जिला परिषद, भीलवाड़ा एवं पाली में गठन किया गया परन्तु जिला परिषद, राजसमंद में योजनानुसार वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु अपेक्षित समिति का गठन नहीं किया गया।

2.2.5.2 योजना का मूल्यांकन एवं प्रभावी अध्ययन

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 6.9 प्रावधित करता है कि मगरा क्षेत्र के रहने वाले ग्राम समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रभावी अध्ययन कर मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था। ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2012-17 के दौरान मगरा क्षेत्र में रहने वाले ग्राम समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावी अध्ययन नहीं किया गया। इस प्रकार, ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजना के प्रभावों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.2.5.3 कार्यों का निरीक्षण

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 16.2 और 16.3 प्रावधित करते हैं कि प्रत्येक स्तर पर कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं सहायक अभियन्ता, जिला परिषद के सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाएगा एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण पंजिका संधारित की जानी चाहिए थी।

अवधि 2012-17 से संबंधित आवधिक निरीक्षणों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। यद्यपि, चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने अवगत कराया (अप्रैल-सितम्बर 2017) कि आवधिक निरीक्षण करवाए गए थे। प्रत्युत्तर युक्ति-युक्त नहीं था, क्योंकि ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंजिकाएं संधारित नहीं की गई थी।

2.2.5.4 तृतीय पक्ष निरीक्षण

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 6.6 प्रावधित करता है कि मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण किया

जाना था। ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया तृतीय पक्ष का निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, तृतीय पक्ष के निरीक्षण के अभाव में कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। राजस्थान सरकार एवं जांच की गई जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा तथ्य स्वीकार किए गए।

2.2.5.5 योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7(i) प्रावधित करती है कि ग्राम पंचायत की वार्ड सभा, क्षेत्र में कार्यान्वित समस्त कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग, के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि अवधि 2012-17 के दौरान मगरा क्षेत्रीय विकास योजना का सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं कराया गया। राजस्थान सरकार, द्वारा तथ्य स्वीकार (अप्रैल 2017) किए गए।

2.2.5.6 जीपीएस/जीपीआरएस के माध्यम से कार्यों का अनुश्रवण

संशोधित दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 6.5 प्रावधित करता है कि योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का अनुश्रवण ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस)/जनरल पैकेट रेडिया सर्विस (जीपीआरएस) जैसी आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के अनुश्रवण हेतु (जीपीएस)/(जीपीआरएस) जैसी किसी भी आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार (अप्रैल 2017) किए गए।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.3 बकाया किराए की वसूली का अभाव

पंचायत समिति, शिव (बाडमेर) बकाया किराया ₹ 89.13 लाख की वसूली में विफल रहा।

राजस्थान पंचायती राज नियमों, 1996 का नियम 164 नियत करता है कि तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल अधिकतम तीन वर्ष के लिए खुली निविदा द्वारा पट्टे पर दिए जा सकते हैं। ऐसे परिसर को किराए पट्टे पर देने हेतु अनुबंध किराया राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की शर्त सम्मिलित होगी। पंचायत और पंचायत समिति तीन वर्ष की अवधि के विस्तार के मामले पर समझौता कर सकती है, परन्तु ऐसे प्रकरण में, पारस्परिक सहमति से किराया राशि में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी। यदि परिसर तीन वर्ष की अवधि के पश्चात खाली नहीं किए जाते हैं अथवा अनुबंध की शर्तों के

उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दिए जाते हैं अथवा नियमित रूप से किराया जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित पंचायत अथवा पंचायत समिति द्वारा निवेदन किए जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिसर की बेदखली हेतु कारण बताओ नोटिस देने के बाद परिसर को खाली करवा सकता है।

पंचायत समिति, शिव (बाड़मेर) के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2017) में प्रकट हुआ कि 16 दुकानों को मई 2001 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान नीलामी द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को किराए पट्टे पर दिया गया था। व्यक्तियों को दुकानें अलग-अलग तिथियों एवं विभिन्न दरों पर किराए पर दिया गया था। जनवरी 2017 तक किराए की कुल देय राशि ₹ 114.81 लाख⁶¹ के विरुद्ध केवल ₹ 25.68 लाख (22.37 प्रतिशत) की वसूली की गई थी। विभाग ने दोषियों से सरकारी बकाया की वसूली हेतु न तो कोई कार्यवाही की एवं न ही दुकानों के आवंटन की दिनांक से तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् अनुबंध की अवधि वृद्धि/दुकानों को खाली कराने हेतु कोई कदम उठाया। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2017 तक बकाया किराया राशि ₹ 89.13 लाख लम्बित रही (परिशिष्ट-XII)।

लेखापरीक्षा टिप्पणी (जनवरी 2017) के प्रत्युत्तर में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिव ने अवगत कराया कि दुकानों को खाली करवाने की कार्यवाही की जाएगी और सरकारी मतालबा वसूली अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किराया वसूल किया जाएगा।

इस प्रकार, विभाग किराएदारों से बकाया किराया ₹ 89.13 लाख (77.63 प्रतिशत) की वसूली में विफल रहा एवं नियमानुसार तीन वर्षों के पश्चात भी दुकानों को खाली कराने की कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (मई 2017) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2018) है।

2.4 छात्रावासों के निर्माण पर निष्फल व्यय

जिला परिषद, सवाई माधोपुर में छात्रावास भवनों (ईसरदा और बामनवास) के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप छात्र उचित छात्रावास सुविधाओं से वंचित रहे।

जिला आयोजना समिति, सवाई माधोपुर ने तीन स्थानों पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से छात्रावास भवन निर्माण का निर्णय लिया (सितम्बर 2009)। तदनुसार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ईसरदा (₹ 60 लाख), बामनवास (₹ 60 लाख) और शिवाड़ (₹ 60 लाख) में छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु राशि

61. प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि एवं आवंटन के तीन वर्ष के पश्चात प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि की गणना कर राशि परिणामित की गई।

₹ 1.80 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी (अक्टूबर 2010) की थी। प्रत्येक छात्रावास में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 छात्रों को समायोजित करना था, जो की वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में किराए पर रहते थे।

जिला परिषद, सर्वाई माधोपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2016) में प्रकट हुआ कि :

- शिवाड़ छात्रावास भवन का निर्माण ₹ 60 लाख की लागत से पूर्ण हुआ और फरवरी 2014 में सौंप दिया गया।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा ईसरदा में छात्रावास भवन का निर्माण ट्यूब-वेल की खुदाई और चारदीवारी सहित ₹ 60 लाख के व्यय के साथ पूर्ण (अगस्त 2010) किया गया, तथापि, ट्यूब-वेल में पानी नहीं था और निधियों के अभाव के कारण चारदीवारी का कार्य अनिष्पादित था। लोक निर्माण विभाग के अनुसार (मई 2016), शेष कार्य (ट्यूब-वेल और चारदीवारी) को पूर्ण करने की लागत ₹ 11.48 लाख थी। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना को 2015 के पश्चात् समाप्त कर दिया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पानी की सुविधा और चारदीवारी के अभाव में छात्रावास भवन को लेने से इन्कार कर दिया, छात्रावास अभी तक अप्रयुक्त पड़ा है (जुलाई 2017)।



- बामनवास में छात्रावास भवन का निर्माण छत के स्तर तक पूर्ण (सितम्बर 2011) किया गया था एवं ₹ 25.75 लाख के व्यय पश्चात अपूर्ण (जून 2017) पड़ा था। लोक निर्माण विभाग के अनुसार (जुलाई 2015), शेष कार्य को पूर्ण करने की लागत ₹ 34.25 लाख थी।

इस प्रकार, दोनों छात्रावास भवन छः वर्षों से अधिक समय तक अपूर्ण थे, ईसरदा और बामनवास के छात्र छात्रावास सुविधाओं से वंचित रहे। छात्रावास भवनों को पूर्णरूप से पूरा करने के आवश्यक निधि उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रभावी कार्यवाही नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों का स्वीकारते (फरवरी 2018) हुए अवगत कराया कि प्रकरण का निपटारा किया जा रहा है।

भाग-ब
शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-III

शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही
तंत्र एवं
वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

अध्याय-III

शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दों का विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

1992 में 74वें संशोधन के अनुसरण में भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेडजी जोड़े गए, जिससे राज्य विधान मंडल नगरपालिकाओं को निश्चित शक्तियां एवं कर्तव्य प्रदान कर सके जिससे वे स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह कार्य करने के योग्य बन सके और संविधान की बारहवी अनुसूची में वर्णित मदों सहित उनको प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। शहरी स्थानीय निकायों को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु सभी प्रचलित नगरपालिका कानूनों एवं अधिनियमों को निरस्त करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया।

मार्च 2017 को 190 शहरी स्थानीय निकायों अर्थात् सात नगर निगम¹, 34 नगर परिषद² और 149 नगरपालिका मंडल³ थे। 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण आँकड़े तालिका 3.1 में दिये गये हैं :

तालिका 3.1

सूचक	इकाई	राज्य स्तर	
जनसंख्या	करोड़	6.85	
जनसंख्या (शहरी)	करोड़	1.70	
जनसंख्या घनत्व	व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर	200	
दशकीय वृद्धि दर	प्रतिशतता	21.30	
लिंग अनुपात (शहरी)	1,000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं	914	
कुल साक्षरता दर (शहरी)	प्रतिशतता	पुरुष 87.90 महिला 70.70	
शहरी प्रति व्यक्ति आय	रूपये प्रति वर्ष	65,974	
नगर निगम	संख्या	7	
नगर परिषद	संख्या	34	
नगरपालिका मंडल	(वर्ग-II)	संख्या	13
	(वर्ग-III)		58
	(वर्ग-IV)		78


स्रोत: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2016-17

- नगर निगम : अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर।
- नगर परिषद : अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ़, हिन्डौनसिटी, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनूं, करौली, किशनगढ़, मकराना, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़ और टोंक।
- नगरपालिका मंडल : वर्ग-II (50,000-99,999 जनसंख्या वाले): 13, वर्ग-III (25,000-49,999 जनसंख्या वाले): 58 और वर्ग-IV (25,000 से कम जनसंख्या वाले): 78

3.2 संगठनात्मक ढांचा

स्वायत्त शासन विभाग शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को देखने वाला प्रशासनिक विभाग है। शहरी स्थानीय निकायों के साथ राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी का संयुक्त संगठनात्मक ढांचा चार्ट 3.1 में दिया गया है :

चार्ट 3.1



3.3 शहरी स्थानीय निकायों की कार्यपद्धति

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 45 से 47 में शहरी स्थानीय निकायों के कतिपय मूलभूत कार्यों¹, पर्यावरण की सुरक्षा के अन्य कार्यों, सार्वजनिक

- सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस कचरा प्रबंधन, जल निकासी और सीवरेज, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों, नालियों और सभी रिक्त स्थानों की सफाई, सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और इमारतों पर प्रकाश, आग बुझाने और जब आग लगी हो जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, परिवर्तन एवं संधारण, योजनाबद्ध विकास की व्यवस्था, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण आदि।

स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और संस्कृति, लोक कल्याण, सामुदायिक संबंधों और सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का उल्लेख किया गया है।

3.3.1 शहरी स्थानीय निकायों को निधियों, कार्यों और कार्मिकों का हस्तान्तरण

चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन द्वारा अन्तर्निर्दिष्ट धारा 243 डब्ल्यू में संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 विषयों के संबंध में नगरपालिकाओं को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण चाहा गया था। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, द्वारा दी गई सूचना (सितम्बर 2017) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 16 विषयों (परिशिष्ट-XIII) से संबंधित कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। शेष दो कार्यों के संबंध में 6 फरवरी 2013 की अधिसूचना के अनुसार आठ शहरी स्थानीय निकायों में 'जल आपूर्ति' के कार्य किए जा रहे हैं जबकि 'नगर नियोजन' कार्य को अभी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया जाना शेष है।

3.4 विभिन्न समितियों का गठन

3.4.1 जिला आयोजना समिति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, की धारा 158 के अनुसरण में, राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में जिला आयोजना समिति का गठन करती है। जिला कलेक्टर, जिला आयोजना समिति का सदस्य है और वह या उसके द्वारा नामित अधिकारी जिला आयोजना समिति की बैठक में उपस्थित होता है। जिला आयोजना समिति की बैठक के कोरम के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में से 33 प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक है।

जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा जिले में तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकासात्मक योजना का प्रारूप तैयार करना और इसे राज्य सरकार को अर्पित करना है। जिला आयोजना समिति के कार्यकलापों का विवरण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया था (जनवरी 2018)।

3.4.2 स्थायी समितियां

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। कार्यकारी समिति के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका 10 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर निम्नलिखित समितियों का भी गठन करेगी, (i) वित्त समिति, (ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता

5. राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से आवश्यकता और नगरपालिका के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जैसा की सरकार चाहे, नगरपालिका को ऐसे अन्य कार्य करने होंगे जो कि उसके द्वारा सम्पादित किए जाने हेतु उचित हैं।

समिति (iii) भवन अनुज्ञा और निर्माण समिति (iv) कच्ची बस्ती सुधार समिति (v) नियम और उपविधिक समिति (vi) समझौता और अपराधों का शमन समिति एवं (vii) नगरपालिका के कार्यकलापों की देखरेख के लिए समिति। नगर निगमों के मामले में आठ से अनाधिक, नगर परिषद के मामले में छः से अनाधिक और नगरपालिका मंडलों के मामले में चार से अनाधिक, ऐसी समितियां गठित कर सकेगी जो कि आवश्यक⁶ हों।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अन्तर्गत गठित स्थायी समितियों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में सूचना चाही गई थी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा यह उपलब्ध नहीं करवाई गई (जनवरी 2018)।

3.5 लेखापरीक्षा व्यवस्था

3.5.1 प्राथमिक लेखापरीक्षा

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 4 और राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा नियमावली, 1955 के अन्तर्गत निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक/सांविधिक लेखापरीक्षक है। राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 18 के अनुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग उनका वार्षिक समेकित प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजेगा और सरकार इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के पटल पर 28 मार्च 2017 को प्रस्तुत कर दिया गया। वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन था (जून 2017)।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने 2016-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की केवल 51 इकाईयां (नगर निगम : चार, नगर परिषद : 16 और नगरपालिका मंडल : 31) ही लेखापरीक्षा में आवृत की। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2017) कि लेखापरीक्षा में कमी का कारण रिक्त पद, कार्मिकों का विशेष निरीक्षण कार्य एवं मतदाता सूचियों के अद्यतन कार्य में व्यस्त होना था।

3.5.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

6. राज्य सरकार, नगरपालिका के कार्यों को देखते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकेगी।

किसी राज्य की संचित निधि से अनुदान या ऋण द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित निकायों की लेखापरीक्षा सम्पादित करता है। इसके अलावा, 2011 में यथा संशोधित⁷, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99-क, नगरपालिकाओं के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रदान करती है।

स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच और चर्चा करने के लिए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान विधानसभा में गठित की गई है। समिति द्वारा फरवरी 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2005-06 (तीन अनुच्छेद), 2006-07 (पांच अनुच्छेद), 2007-08 (छः अनुच्छेद), 2012-13 (एक अनुच्छेद) और 2013-14 (17 अनुच्छेद) पर आंशिक चर्चा की जा चुकी है और शेष अनुच्छेदों पर समिति द्वारा चर्चा की जानी है।

3.5.3 तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता/पर्यवेक्षण का क्रियान्वयन

तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार, वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण/सहायता के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की सभी स्तरों की लेखापरीक्षा के तहत 13 मापदंडों को अपनाने के लिए अधिसूचना जारी (2 फरवरी 2011) की।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा मार्च 2017 तक अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित 71 तथ्यात्मक विवरणों और 55 प्रारूप अनुच्छेदों तथा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 10 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण/सहायता के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान द्वारा की गई टिप्पणियों से निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया गया।

3.6 लेखापरीक्षा आक्षेपों का प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए, लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाए जाने एवं/अथवा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बताए जाने पर कमियों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शीघ्र प्रयास किए जाने चाहिए।

3.6.1 वर्ष 2012-13 से 2016-17 अवधि के लिए, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान द्वारा शहरी स्थानीय निकायों

7. नगरपालिकाओं के लेखें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित किए जाएंगे।

को जारी 439 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ₹ 8,597.11 करोड़ की मौद्रिक राशि के 4,131 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित (नवम्बर 2017) थे। इनमें से 77 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 856 अनुच्छेदों की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट भी तालिका 3.2 में दिए गए विवरणानुसार प्रेषित नहीं की गई :

तालिका 3.2

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	बकाया प्रथम अनुपालना	
				निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2012-13	81	651	401.76	2	21
2013-14	95	727	402.97	12	136
2014-15	96	791	988.76	13	119
2015-16	98	1,010	3,092.00	20	181
2016-17	69	952	3,711.62	30	399
योग	439	4,131	8,597.11	77	856

3.6.2 वर्ष 2012-13 से मार्च 2017 की अवधि में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी 20,093 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 2,46,750 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। ₹ 0.66 करोड़ मौद्रिक राशि के 34 गबन के प्रकरण के अंकेक्षण आक्षेप निपटान हेतु लम्बित थे। अग्रेतर, 32 निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना अभी भी तालिका 3.3 में दिए गए विवरणानुसार लम्बित थी :

तालिका 3.3

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	इकाईयों की संख्या जिनकी प्रथम अनुपालना बकाया	गबन के प्रकरण	
				संख्या	मौद्रिक मूल्य (₹ लाख में)
2012-13	4,870	59,920	6	4	9.53
2013-14	4,923	60,650	8	3	0.26
2014-15	5,106	62,572	11	15	14.87
2015-16 (मार्च 2017 तक)	5,194	63,608	7	12	41.63
योग	20,093	2,46,750	32	34	66.29

स्रोत: निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।

इससे नगरपालिका/विभागीय प्राधिकारियों के त्वरित प्रत्युत्तर देने का अभाव इंगित हुआ।

3.6.3 विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी, जबकि लेखापरीक्षा समिति की बैठक हर तिमाही में आयोजित की जानी थी।

3.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के प्रत्युत्तर

गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों⁸ में शामिल ₹ 491.12 करोड़ मौद्रिक राशि के 19 अनुच्छेद फरवरी 2018 तक राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में निपटान हेतु लम्बित थे।

3.6.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर तीन प्रकरणों में ₹ 8.66 लाख की वसूली की गई।

अनुशंसा : 1

बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेदों और निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखते हुए, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करने और बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करवाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।

जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दे

जवाबदेही तंत्र

3.7 लोकायुक्त

राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973, राज्य में 3 फरवरी 1973 को अस्तित्व में आया जो कि नगर निगम के महापौर एवं उप-महापौर, नगर परिषद के सभापति एवं उप-सभापति, नगरपालिका मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 द्वारा या अधीन गठित या गठित मानी गई किसी भी समिति के अध्यक्ष के कार्यों को भी आवृत करता है।

अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग के कर्मियों के खिलाफ पंजीकृत शिकायतों की सूचना प्रतीक्षित (जनवरी 2018) थी।

3.8 सम्पत्ति कर बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर का स्वतंत्र और पारदर्शी प्रक्रिया से आंकलन करने में सहायता के लिए एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड की स्थापना की सिफारिश (फरवरी 2011) की। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि बोर्ड को राज्य में, शहरी स्थानीय निकायों की समस्त सम्पत्तियों

8. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13 (दो अनुच्छेद : ₹ 3.72 करोड़), 2014-15 (सात अनुच्छेद : ₹ 111.88 करोड़ और 2015-16 (10 अनुच्छेद : ₹ 375.52 करोड़)।

की गणना करने या गणना करवाने तथा एक डॉटा-बेस विकसित करने, सम्पत्ति कर तंत्र की समीक्षा करने एवं सम्पत्तियों के उचित मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए उपयुक्त सुझाव देने चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग ने भी शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सम्पत्ति कर पर जोर दिया।

राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड का गठन (फरवरी 2011) किया और निदेशक, स्थानीय निकाय को बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तथापि, 28 अप्रैल 2011 को आयोजित प्रथम बैठक के बाद से बोर्ड गैर-क्रियात्मक था और इस तरह, शहरी स्थानीय निकाय आय के सशक्त स्रोत से वंचित रहा जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता था।

सम्पत्ति कर बोर्ड की वर्तमान स्थिति से संबंधित सूचना प्रतीक्षित (फरवरी 2018) थी।

3.9 अग्नि जोखिम अनुक्रिया

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के निर्गम एवं उपयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या (जनगणना 2001) वाले सभी नगर निगमों को अपने अधिकार क्षेत्र में एक अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना स्थापित करनी थी। संबंधित राज्य सरकार के राजपत्र में इन योजनाओं का प्रकाशन कर इस शर्त की अनुपालना का प्रदर्शन करना होगा।

2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान के तीन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, किन्तु केवल नगर निगम, जयपुर ने अग्नि जोखिम प्रतिक्रिया और शमन योजना तैयार की है और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (21 मार्च 2011) किया गया था।

3.10 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 284 और 286 के अनुसार नगरपालिकाएं उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र को कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा और सहायक निदेशक/उप-निदेशक, स्थानीय निकाय (निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा मनोनीत) को प्रतिहस्ताक्षरित हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को पंचम राज्य वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 895.32 करोड़ एवं

9. जयपुर (30,46,163), जोधपुर (10,33,756) और कोटा (10,01,694)।

₹ 776.73 करोड़ के अनुदान जारी किए गए। शहरी स्थानीय निकायों ने जारी अनुदानों के विरुद्ध क्रमशः राशि ₹ 331.07 करोड़ एवं ₹ 263.33 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए।

पंचम राज्य वित्त आयोग व चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.11 शहरी स्थानीय निकायों का आंतरिक अंकेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली


राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 99 के अनुसार, राज्य सरकार या नगरपालिका दैनिक लेखों की विहित रीति से आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करेगी।

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत (जुलाई 2017) कराया कि विभागीय स्तर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी और शहरी स्थानीय निकायों के आय-व्यय एवं बजट का अनुश्रवण निदेशालय स्तर पर नहीं किया जा रहा था।

3.12 वित्तीय रिपोर्टिंग मुद्दे

3.12.1 निधियों का स्रोत

शहरी स्थानीय निकायों के मूल संसाधन निजी राजस्व, अभ्यर्पित राजस्व, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं ऋणों को निम्न रेखा चित्र में दर्शाया गया है :



3.12.1.1 प्राप्तियां

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की स्थिति तालिका 3.4 में दी गई है :

तालिका 3.4

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियों का स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17**
(क) निजी राजस्व					
(अ) कर राजस्व					
(i) गृह कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) शहरी विकास कर ¹⁰ /सम्पत्ति कर	46.88	45.31	32.61	73.73	59.08
(iii) चुंगी/मार्गस्थ शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) वाहन कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) यात्री कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) सीमान्त कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii) अन्य कर ¹¹	205.41	169.94	178.39	234.17	74.80
(viii) आऊटसोर्सिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल कर राजस्व (अ)	252.29	215.25	211.00	307.90	133.88
(कुल राजस्व का प्रतिशत)	(7.04)	(5.55)	(6.02)	(8.70)	(4.06)
(ब) गैर-कर राजस्व					
(i) उपनिधियों से राजस्व ¹²	416.83	474.33	263.88	222.98	152.62
(ii) सम्पतियों से राजस्व	36.08	31.74	22.65	33.51	21.78
(iii) अधिनियमों से राजस्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) शास्तियों से राजस्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) जल कार्यों से राजस्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) विनियोगो पर ब्याज	26.30	42.42	49.07	52.94	46.15
(vii) विविध गैर-कर राजस्व ¹³	477.90	606.72	462.73	372.04	269.01
(viii) भूमि विक्रय ¹⁴	199.30	139.54	121.04	99.33	60.77
कुल गैर-कर राजस्व (ब)	1,156.41	1,294.75	919.37	780.80	550.33
	(32.27)	(33.37)	(26.24)	(22.05)	(16.69)
कुल निजी राजस्व (क)	1,480.70	1,510.00	1,130.37	1,088.70	684.21
	(39.31)	(38.91)	(32.26)	(30.75)	(20.75)
(ख) अभ्यर्पित राजस्व/मनोरंजन कर	0.01	शून्य	शून्य	5.82	0.04
	(0.00)			(0.16)	(0.00)
(ग) अनुदान एवं ऋण					
(i) सामान्य एवं विशेष अनुदान	1,162.55	1,308.41	1,205.06	1,471.73	1,785.17

10. 24 फरवरी 2007 से गृह कर समाप्त करने पर 29 अगस्त 2007 से शहरी विकास कर प्रारम्भ किया गया था।

11. भूमि राजस्व से आय, विज्ञापन पर कर, तीर्थ कर, अन्य आय इत्यादि।

12. जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र से आय, संकेत विज्ञापन पटल शुल्क, निविदा फार्म शुल्क, विवाह पंजीकरण शुल्क, भवन अनुज्ञा शुल्क, होटल उपविधियों की लाइसेंस शुल्क इत्यादि।

13. सीवरेज कर से आय, मेला शुल्क, आवेदन शुल्क, बकरा मण्डी के अनुबन्ध से आय, मवेशी घर से आय, पट्टे से आय इत्यादि।

14. नागरिक, सरकार और अन्य वाणिज्यिक संगठन को भूमि विक्रय से प्राप्ति।

प्राप्तियों का स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17**
(ii) चुंगी की एवज में अनुदान	965.60	1,062.15	1,168.36	974.30	828.41
(iii) विशेष सहायता एवं अनुदान	47.07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल अनुदान एवं ऋण (ग)	2,175.22	2,370.56	2,373.42	2,446.03	2,613.58
	(60.69)	(61.09)	(67.74)	(69.09)	(79.25)
(घ) विविध अनावर्ती आय¹⁵	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महायोग (क से घ)	3,583.93	3,880.56	3,503.79	3,540.55	3,297.83

स्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (नवम्बर 2017) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।
 नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं।
 * वर्ष 2015-16 के उपरोक्त आंकड़े केवल 166 शहरी स्थानीय निकायों के हैं, जबकि पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2015-16) में केवल 136 शहरी स्थानीय निकायों की सूचना उपलब्ध करवाई थी। शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।
 ** वर्ष 2016-17 के लिए केवल 120 शहरी स्थानीय निकायों के आंकड़े हैं। शेष 70 शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- वर्ष 2016-17 के दौरान कुल राजस्व में कर राजस्व केवल 4.06 प्रतिशत था। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में कर राजस्व में 4.64 प्रतिशत¹⁶ की कमी हुई। कर राजस्व में कमी अन्य करों की मद में भूमि राजस्व एवं अन्य आय की कम वसूली के कारण थी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान कुल राजस्व में गैर-कर राजस्व 16.69 प्रतिशत¹⁷ था। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में गैर-कर राजस्व में 5.36 प्रतिशत¹⁸ की कमी हुई। कमी विविध और भूमि विक्रय मदों के अन्तर्गत गैर-कर राजस्व की कम वसूली के कारण थी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियों में निजी राजस्व (कर एवं गैर-कर) 20.75 प्रतिशत¹⁹ था। यह वर्ष 2015-16 में कुल प्राप्तियों का 30.75 प्रतिशत था। यह शहरी स्थानीय निकायों की अनुदान एवं ऋण पर निर्भरता में महत्वपूर्ण वृद्धि को इंगित करता है।
- गत वर्ष 2015-16 की तुलना में शहरी स्थानीय निकायों को 'अनुदान एवं ऋण' मद के अन्तर्गत 10.16 प्रतिशत²⁰ अधिक राशि प्राप्त हुई थी।

15. इसमें जमा एवं ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली सम्मिलित है।

16. 2015-16 के कुल कर राजस्व की प्रतिशतता (8.70 प्रतिशत) - 2016-17 के कुल कर राजस्व की प्रतिशतता (4.06 प्रतिशत) = 4.64 प्रतिशत।

17. 2016-17 के कुल गैर-कर राजस्व (₹ 550.33 करोड़)/2016-17 के कुल राजस्व (₹ 3,297.83 करोड़) x 100 = 16.69 प्रतिशत।

18. 2015-16 के कुल गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता (22.05 प्रतिशत) - 2016-17 के कुल गैर-कर राजस्व की प्रतिशतता (16.69 प्रतिशत) = 5.36 प्रतिशत।

19. 2016-17 के कुल निजी राजस्व (₹ 684.21 करोड़)/2016-17 के कुल राजस्व (₹ 3,297.83 करोड़) x 100 = 20.75 प्रतिशत।

20. 2016-17 के कुल अनुदानों एवं ऋणों की प्रतिशतता (79.25 प्रतिशत) - 2015-16 के कुल अनुदानों एवं ऋणों की प्रतिशतता (69.09 प्रतिशत) = 10.16 प्रतिशत।

3.12.1.2 व्यय

2012-13 से 2016-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में व्यय की स्थिति तालिका 3.5 में दी गई है :

तालिका 3.5

(₹ करोड़ में)

व्यय की मदे	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17**
(क) आवर्ती व्यय					
सामान्य प्रशासन	1,090.10 (31.19)	1,129.71 (28.56)	1,157.04 (33.33)	1,020.77 (33.21)	848.73 (33.71)
जन-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	772.28 (22.10)	197.30 (4.99)	228.21 (6.57)	103.79 (3.38)	99.91 (3.97)
नागरिक सुविधाओं का संधारण	898.26 (25.70)	862.68 (21.81)	671.97 (19.36)	485.27 (15.79)	261.54 (10.39)
आवर्ती व्यय का योग (क)	2,760.64 (78.99)	2,189.69 (55.36)	2,057.22 (59.27)	1,609.83 (52.38)	1,210.18 (48.07)
(ख) अनावर्ती व्यय					
विकासात्मक कार्यों पर व्यय	518.72 (14.84)	1,401.32 (35.43)	1,150.42 (33.14)	1,280.47 (41.66)	1,303.83 (51.79)
नवीन परिसम्पत्तियों का क्रय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
ऋणों का पुनर्भुगतान	उपलब्ध नहीं	24.22 0.61	31.79 0.92	शून्य	शून्य
विविध अनावर्ती व्यय ²¹	215.66 (6.17)	339.95 (8.60)	231.79 (6.68)	183.29 (5.96)	3.71 (0.15)
अनावर्ती व्यय का योग (ख)	734.38 (21.01)	1,765.49 (44.64)	1,414.00 (40.73)	1,463.76 (47.62)	1,307.54 (51.93)
महायोग (क + ख)	3,495.02	3,955.18	3,471.22	3,073.59	2,517.72
<p>स्त्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (नवम्बर 2017) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार। नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें कुल व्यय से प्रतिशतता दर्शाते हैं। * वर्ष 2015-16 के आंकड़ें केवल 166 शहरी स्थानीय निकायों के हैं। जबकि पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2015-16) में केवल 136 शहरी स्थानीय निकायों की सूचना उपलब्ध करवाई थी। शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। ** वर्ष 2016-17 के लिए केवल 120 शहरी स्थानीय निकायों के आंकड़ें हैं। शेष 70 शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p>					

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- वर्ष 2016-17 में आवर्ती व्यय में गत वर्ष 2015-16 की तुलना में 4.31 प्रतिशत²² की कमी आई। यह मुख्यतः 'नागरिक सुविधाओं के संधारण' मद में विभाग द्वारा व्यय में कमी के कारण थी।

21. इसमें वापसी या जमा, किए गए विनियोग एवं ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण सम्मिलित है।

22. 2015-16 के आवर्ती व्यय की प्रतिशतता (52.38 प्रतिशत) - 2016-17 के आवर्ती व्यय की प्रतिशतता (48.07 प्रतिशत) = 4.31 प्रतिशत।

- 2016-17 में अनावर्ती व्यय में गत वर्ष की तुलना में 4.31 प्रतिशत²³ की वृद्धि हुई, यह मुख्यतः विकासात्मक कार्यों (10.13 प्रतिशत की वृद्धि) में व्यय की वृद्धि की वजह से थी। शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय का श्रेणी-वार विभाजन तालिका 3.6 में दिया गया है :

तालिका 3.6

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी	2015-16*		वृद्धि (+)/ कमी (-)	2016-17*		वृद्धि (+)/ कमी (-)
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
(क) नगर निगम						
(i) अजमेर	124.40	94.49	(+) 29.91	188.34	137.03	(+) 51.31
(ii) बीकानेर	106.00	73.41	(+) 32.59	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(iii) जयपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(iv) जोधपुर	275.93	212.14	(+) 63.79	252.02	219.81	(+) 32.21
(v) कोटा	261.64	197.33	(+) 64.31	306.96	220.58	(+) 86.38
(vi) उदयपुर	140.03	119.92	(+) 20.11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(vii) भरतपुर	58.30	47.58	(+) 10.72	85.21	49.52	(+) 35.69
योग (क)	966.30	744.87	(+) 221.43	832.53	626.94	(+) 205.59
(ख) नगर परिषद	1,146.92	1,086.02	(+) 60.90	1,111.21	945.62	(+) 165.59
(ग) नगरपालिका मंडल	1,427.33	1,242.70	(+) 184.63	1,354.09	945.16	(+) 408.93
महायोग (क+ख+ग)	3,540.55	3,073.59	(+) 466.96	3,297.83	2,517.72	(+) 780.11
<p>स्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (नवम्बर 2017) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।</p> <p>* वर्ष 2015-16 के आंकड़ें केवल 166 शहरी स्थानीय निकायों के हैं। शेष शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p> <p>** वर्ष 2016-17 के आंकड़ें केवल 120 शहरी स्थानीय निकायों के हैं। शेष 70 शहरी स्थानीय निकायों की सूचना निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।</p>						

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- वर्ष 2016-17 के दौरान, नगर निगमों, नगर परिषदों व नगरपालिका मंडलों में व्यय पर प्राप्तियों का ₹ 780.11 करोड़ (23.66 प्रतिशत) समग्र अधिशेष था। यह इंगित करता है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं किया गया था।
- वर्ष 2016-17 के दौरान, नगर निगम, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा में व्यय पर प्राप्तियों का अधिशेष था।
- निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर निगम, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर की वर्ष 2016-17 की प्राप्तियाँ एवं व्यय की वस्तु-स्थिति उपलब्ध नहीं करवाई (जनवरी 2018) गई थी।
- वर्ष 2016-17 के दौरान, नगर परिषदों में व्यय पर प्राप्तियों का ₹ 165.59 करोड़ (14.90 प्रतिशत) का अधिशेष था।

23. 2016-17 के अनावर्ती व्यय की प्रतिशतता (51.93 प्रतिशत) - 2015-16 के अनावर्ती व्यय की प्रतिशतता (47.62 प्रतिशत) = 4.31 प्रतिशत।

- वर्ष 2016-17 के दौरान, नगरपालिका मंडलों में प्राप्तियों का अधिशेष गत वर्ष की तुलना में 12.94 प्रतिशत से बढ़कर 30.20 प्रतिशत हो गया था।

अनुशांसा : 2

शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदानों पर निर्भरता कम करने के लिए निजी कर एवं गैर-कर राजस्व के संग्रह पर ध्यान केन्द्रित करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

3.12.2 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें

11 अप्रैल 2011 को गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और 29 मई 2015 को गठित पंचम राज्य वित्त आयोग क्रमशः तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के समवर्ती हैं। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने राज्य की शुद्ध निजी-कर राजस्व (भूमि राजस्व और 25 प्रतिशत प्रवेश कर को छोड़कर) का पांच प्रतिशत स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण की अनुशांसा की जबकि पंचम राज्य वित्त आयोग ने राज्य के निजी-कर राजस्व का 7.182 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.10 : 24.90 के अनुपात के आधार पर स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने की अनुशांसा की थी। यह अनुपात जनगणना 2011 के ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात से अपनाया गया था।

राज्य वित्त आयोग के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अनुदान एवं उपयोग की स्थिति तालिका 3.7 में दी गई है :

तालिका 3.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र			लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	वर्ष के दौरान	संचित	वर्ष के लिए	संचित	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अनुदान की स्थिति							
2010-11	45.00	45.00	41.26	41.26	91.69	3.74	8.31
2011-12	237.82	282.82	207.31	248.57	87.89	34.25	12.11
2012-13	321.66	604.48	247.87	496.44	82.13	108.04	17.87
2013-14	323.84	928.32	203.51	699.95	75.40	228.37	24.60
2014-15	692.23	1,620.55	374.86	1,074.81	66.32	545.74	33.68
2015-16	शून्य	1,620.55	186.24	1,261.05	77.82	359.50	22.18
2016-17	शून्य	1,620.55	13.16	1,274.21	78.63	346.34	21.37
राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले अनुदान की स्थिति							
2015-16	773.95	773.95	247.65	247.65	32.00	526.30	68.00
2016-17	895.32	1,669.27	331.07	578.72	34.67	1,090.55	65.33

स्त्रोत : निर्देशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (नवम्बर 2017) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदानों के विरूद्ध 21.37 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र नवम्बर 2017 तक लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदानों के विरूद्ध 65.33 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे।

यह कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अनुदानों के कम उपयोग और निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कमजोर अनुश्रवण को इंगित करता है।

3.12.3 केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश

तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदानों एवं उसके उपयोग की स्थिति निम्न तालिका 3.8 में दी गई है :

तालिका 3.8

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र			लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	वर्ष के दौरान	संचित	वर्ष के लिए	संचित	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
राज्य सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किये अनुदानों की स्थिति							
2010-11	111.36	111.36	55.03	55.03	49.42	56.33	50.58
2011-12	209.48	320.84	101.84	156.87	48.89	163.97	51.11
2012-13	252.06	572.90	172.97	329.84	57.57	243.06	42.43
2013-14	361.81	934.71	243.05	572.89	61.29	361.82	38.71
2014-15	200.26	1,134.97	236.77	809.66	71.34	325.31	28.66
2015-16	132.90	1,267.87	162.44	972.10	76.67	295.77	23.33
2016-17	शून्य	1,267.87	38.23	1,010.33	79.69	257.54	20.31
राज्य सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी किये अनुदानों की स्थिति							
2015-16	433.12	433.12	178.16	178.16	41.13	254.96	58.87
2016-17	776.73	1,209.85	263.33	441.49	36.49	768.36	63.51

स्रोत : निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध (नवम्बर 2017) करवाए गए आंकड़ों के अनुसार।

तेरहवें राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदानों के विरूद्ध नवम्बर 2017 तक राशि ₹ 257.54 करोड़ और ₹ 768.36 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे।

यह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के धीमे उपयोग और निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

3.12.4 वार्षिक वित्तीय विवरण

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 92 (1) के अनुसार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर एक

वित्तीय विवरण, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका के लेखाओं के संबंध में आय और व्यय तथा प्राप्तियों और संदाय के लेखों का एक तुलन-पत्र हो, तैयार करवाएगा।

यह पाया गया कि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं था, जो परिचायक है कि कैसे स्थानीय निकायों ने अपने वार्षिक लेखे निर्धारित समय में तैयार किए। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने तथ्यों की पुष्टि (अगस्त 2017) की।

3.12.5 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखों का संधारण

3.12.5.1 राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, 1955 के नियम 25(xi) के अनुसार, वार्षिक लेखों की सत्यता का प्रमाण-पत्र निदेशक के प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार, सभी 190 शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को प्रति वर्ष प्रमाणित करना वांछनीय था। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने अवगत कराया (जून 2017) कि वर्ष 2016-17 के दौरान केवल 122 (64 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को ही स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है। लेखों के प्रमाणीकरण के अभाव में, लेखों की यथार्थता को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.12.5.2 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए विकसित राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली फरवरी 2005 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली की तर्ज पर राजस्थान नगरपालिका लेखांकन नियमावली तैयार की गई। तदनुसार, स्वायत्त शासन विभाग ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को 1 अप्रैल 2010 से उपार्जन आधारित (दोहरी प्रविष्टि) लेखांकन पद्धति पर लेखा संधारण हेतु निर्देशित किया (दिसम्बर 2009)।

स्वायत्त शासन विभाग ने अवगत (अगस्त 2017) कराया कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को उपार्जन आधारित (दोहरी प्रविष्टि) लेखांकन पद्धति पर लेखा संधारण कर रहे हैं। तथापि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा यह अवगत (मई 2017) कराया गया कि केवल 48 शहरी स्थानीय निकाय ही उक्त पद्धति पर लेखों का संधारण कर रहे हैं।

3.12.6 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय डाटाबेस के प्रारूपों का संधारण

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाए जाने वाले डाटाबेस के सात प्रारूप जारी किए (अप्रैल 2010)। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2017) कि सभी शहरी स्थानीय निकाय निर्धारित डाटाबेस प्रारूपों में सूचना तैयार कर रहे थे।

अनुशांसा : 3

शहरी स्थानीय निकायों को राजस्थान नगरपालिका लेखा नियमावली में निर्धारित और वित्तीय आयोगों द्वारा अनुशांसित लेखांकन प्रणाली से संबंधित दिशा-निर्देशों एवं अनुदेशों की पालना करनी चाहिए। इन निकायों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में लेखे तैयार करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए और उन्हें निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रमाणित करवाने चाहिए।

3.13 निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों के निजी संसाधन स्वयं के व्यय दायित्व हेतु पर्याप्त नहीं थे और वे केन्द्र/राज्य सरकार से अनुदान और ऋण पर काफी हद तक निर्भर थे। शहरी स्थानीय निकायों की निजी राजस्व के माध्यम से प्राप्तियों में गत पांच वर्षों में कमी की प्रवृत्ति देखी गई।

निर्धारित प्रारूप में लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव, निरर्थक अनुश्रवण तथा लेखों के प्रमाणीकरण में शिथिल दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप हितधारक सही सूचनाओं से वंचित रहे। वर्ष 2016-17 के दौरान, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा 190 शहरी स्थानीय निकायों के विरुद्ध केवल 122 (64 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के लेखों को ही प्रमाणित किया गया था।

लेखापरीक्षा आक्षेपों के प्रत्युत्तर तथा उनके निपटान में बहुत विलम्ब था। लेखापरीक्षा आक्षेपों के समय पर निस्तारण की विफलता से अनियमितताओं/कमियों की निरन्तरता का जोखिम अन्तर्निहित है।

अध्याय-IV

शहरी स्थानीय निकायों के
लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-IV

शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस अध्याय में 'अपशिष्ट प्रबंधन' की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित छः अनुच्छेद शामिल हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वायत्त शासन विभाग

4.1 अपशिष्ट प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

क्षेत्रफल के संदर्भ में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के साथ अपशिष्ट का उत्सर्जन एवं उसका उचित निस्तारण राज्य के लिए एक चुनौती बन गया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने देश में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के निवारण एवं नियंत्रण को नियमित करने के लिए कई नियम जारी किए। अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का विषय है और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वन हेतु स्थानीय निकाय उत्तरदायी हैं।

चयनित इकाइयों में अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार ने 2015-17 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 292.81 करोड़ जारी किए, जिसमें से सभी शहरी स्थानीय निकायों ने आवंटित निधियों का मात्र 20.69 प्रतिशत उपयोग किया। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में आवंटित निधियों का मात्र 7.27 प्रतिशत उपयोग किया गया।

उत्पन्न अपशिष्ट का अनुमान, भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित अपशिष्ट का अनुमान, श्रम-शक्ति और वाहनों की आवश्यकता एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न जोखिम का आकलन राज्य स्तर पर तथा जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में और सभी जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं में नहीं किया गया था।

अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट को 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण' के लिए प्रभावी योजनाएं नहीं थीं। अग्रेतर, शास्त्र उद्ग्रहण के लिए उप-नियमों और पदनामित प्राधिकारियों की अनुपस्थिति में

जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी।

ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों/नियमों का अनुपालन खराब था, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 55.41 प्रतिशत शहरी वार्डों में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया गया था। जांच की गई सभी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट को न तो पृथक और न ही संसाधित किया जा रहा था एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था। अग्रेतर, 22 में से मात्र तीन शहरी स्थानीय निकायों में भूमि-भरण स्थल निर्मित किए गए थे, तथापि इन भूमि-भरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में, जांच की गई 43 में से तीन ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट संग्रहित किया जा रहा था एवं अपृथककृत और असंसाधित नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था।

4.1.1 प्रस्तावना

क्षेत्रफल के सन्दर्भ में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 6.85 करोड़ है (1.70 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं)। बढ़ते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के साथ अपशिष्ट का उत्सर्जन एवं उसका उचित निस्तारण राज्य के लिए एक चुनौती बन गया है। अपशिष्ट को (i) ठोस अपशिष्ट - घर का कचरा, निर्माण और विध्वंस का मलबा, स्वच्छता अपशिष्ट, कसाईखानों और पेकेजिंग घरों का एवं सड़कों का अपशिष्ट (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट - प्लास्टिक उत्पाद जैसे थैली, पाउच एवं बहुपरत पेकेजिंग जिनका उपयोग या उनको नियत जीवनकाल के पश्चात फेंक दिया गया। (iii) ई-अपशिष्ट - जीवन समाप्त उत्पाद एवं विभिन्न प्रकार की विद्युत एवं विद्युतीय वस्तु¹ के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अपशिष्ट जैसे कि बैटरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, त्याग दिए गए वाहन का अपशिष्ट, टायर अपशिष्ट, इत्यादि होते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने देश में अपशिष्ट के निवारण एवं नियंत्रण को नियमित करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनमें ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट, उपयोग की जा चुकी बैटरियां, आदि के प्रबंधन एवं संचालन शामिल हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियम राज्यों पर भी लागू होते हैं, यद्यपि राज्य उनमें अपने अधिकारों का प्रयोग करके संशोधन कर सकते हैं।

1. विद्युत एवं विद्युतीय उपकरण अर्थात रेफ्रीजरेटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, चिकित्सा उपकरण, टेलीविजन इत्यादि।

4.1.2 संगठनात्मक ढांचा

यद्यपि अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का एक विषय है, यह मूल रूप से स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों) का कार्य है और इस महत्वपूर्ण गतिविधि को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का है।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग राज्य में क्रमशः शहरी स्थानीय निकायों एवं जिला परिषदों (ग्रामीण विभाग प्रकोष्ठ एवं पंचायती राज प्रकोष्ठ) के प्रशासनिक प्रमुख एवं नियंत्रक प्राधिकरण हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति एवं योजना बनाने के लिए उत्तरदायी है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न नियमों के क्रियान्वयन में प्रवृत्त है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए एक प्रमुख अभिकरण है।

4.1.3 लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं पद्धति

यह निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2012-13 से 2016-17 के लिए अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 के दौरान आयोजित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा में स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, निदेशालय स्थानीय निकाय, पर्यावरण विभाग, सात क्षेत्रीय कार्यालयों सहित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आठ चयनित जिलों (33 में से) (परिशिष्ट-XIV) के 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 59 पंचायती राज संस्थानों का समावेश है। चयनित इकाइयों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया। 22 शहरी स्थानीय निकायों² में दो नगर निगम, चार नगर परिषद एवं 16 नगरपालिका मंडल शामिल हैं। इसी तरह 59 पंचायती राज इकाइयों³ में आठ जिला परिषदें, आठ पंचायत समितियां एवं 43 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इकाइयों का चयन जनसंख्या को उपयुक्त स्तरीकृत कर प्रतिचयन पद्धति द्वारा किया गया है।

सचिव, पंचायती राज विभाग एवं निदेशालय स्थानीय निकाय, पर्यावरण विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधियों के साथ एक औपचारिक बैठक का आयोजन दिनांक 28 मार्च 2017 को किया गया है जिसमें लेखापरीक्षा

2. लेखापरीक्षा के लिए सात में से दो नगर निगमों, 34 में से चार नगर परिषदों और 147 में से 16 नगरपालिका मंडलों का चयन किया गया।
3. आठ जिला परिषदें, आठ पंचायत समितियां (प्रत्येक चयनित जिला परिषद में से एक) एवं 43 ग्राम पंचायतें (प्रत्येक चयनित पंचायत समितियों की 15 प्रतिशत)।

उद्देश्यों, मापदंड, कार्यक्षेत्र व पद्धति इत्यादि पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों व अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 6 मार्च 2018 को निर्गम बैठक आयोजित की गई एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तिमीकरण के दौरान विभाग के प्रत्युत्तरों पर विचार किया गया।

4.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या :

1. आंकड़ों के संग्रहण सहित उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का आंकलन किया गया एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर होने वाले जोखिमों की पहचान की गई है;
2. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रभावी नियम/अधिनियम/नितियां/रणनीतियां उपलब्ध हैं और अपशिष्ट के निस्तारण के परे इसके रोकथाम, कमी, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रण पर जोर दिया गया है;
3. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन उपलब्ध नियमों/नीतियों के अनुसार किया गया है;
4. अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वन के लिए वित्तपोषण एवं बुनियादी ढांचा पर्याप्त थे और क्या एक प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में है।

4.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंडों के स्रोत थे :

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संहिता, 2000
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संबंधित नियम

- पर्यावरण विभाग/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/स्वायत्त शासन विभाग/पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी संबंधित अधिनियम, अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र एवं योजना दिशा-निर्देश, अनुदेश।

4.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: आंकड़ों के संग्रहण सहित उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का आंकलन किया गया एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर होने वाले जोखिमों की पहचान की गई है।

4.1.6.1 उत्सर्जित अपशिष्ट (वर्तमान एवं भविष्य) की मात्रा का आंकलन

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट संहिता 2000 (संहिता) के अनुच्छेद 3.3.1 के अनुसार ठोस अपशिष्ट की संरचना, विशिष्टता और मात्रा का एक विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया के नियोजन, परिरूप एवं संचालन के लिए आधारभूत आंकड़ें प्रदान करता है। समय-समय पर अपशिष्ट की संरचना एवं मात्रा में परिवर्तन/प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है जो कि भविष्य की योजनाओं के लिए सहायक होती है। यह जानकारी एक उत्तरदायी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एकत्रित की जानी चाहिए।

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार निर्माताओं, आयातकों और ब्राण्ड मालिकों को उनके उत्पादों के कारण उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस लेने हेतु एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अनुबंधित करता है कि ई-अपशिष्ट को नष्ट या पुनःचक्रित करने हेतु एकत्रित करने का वास्तविक लक्ष्य विद्युत और विद्युतीय उपकरणों की मात्रा, उत्पाद संकेतक के अनुसार, जो पिछले वर्षों में बाजार में लाये गये थे और उपकरणों के औसत जीवन के आधार पर तय किया जाएगा। निर्माता द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा सूचित की जाएगी और निर्माता द्वारा लागू की जाने वाली प्रस्तावित संकलन योजना के साथ एकत्रित की जाने वाली अपेक्षित मात्रा विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में सूचित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- (i) निदेशालय स्थानीय निकाय ने मात्र एक वर्ष 2015-16 के लिए शहरी क्षेत्रों में 6,400 मेट्रिक टन प्रति दिवस ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होना आंकलित किया।

(ii) निदेशालय, स्थानीय निकाय ने वर्ष 2012-2017 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न ई-अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आंकलन नहीं किया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास सम्पूर्ण राज्य में ई-अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के आंकलन से संबंधित कोई सूचना नहीं है।

(iii) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 (50 प्रतिशत)⁴ ने अपने क्षेत्राधिकार में उत्पन्न ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट की मात्रा का आंकलन नहीं किया। शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने जनसंख्या के आधार पर उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का आंकलन किया था और उसे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रदर्शित किया गया जिसे की स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के भाग के रूप में बनाया गया था।

(iv) ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग ने उत्पन्न ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट का आंकलन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त सभी 59 जांच की गई पंचायती राज संस्थानों ने भी अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्रों में ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट के उत्पादन की मात्रा का आंकलन नहीं किया था।

(v) निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट की संरचना और मात्रा का अनुमान नहीं लगाया था।

(vi) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 (50 प्रतिशत)⁵ और सभी 59 पंचायती राज संस्थानों ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के अपशिष्ट की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया। शेष 11 जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में 2046 तक के लिए ठोस अपशिष्ट की मात्रा का मात्र एक मापदण्ड, भविष्य में शहरी क्षेत्रों की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर अनुमान लगाया था।

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि उत्पन्न अपशिष्ट से सम्बंधित आंकलन संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा अपनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किया गया है। तथ्य यह रहा कि जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का आंकलन नहीं किया।

4. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूमबर, सांभर, टोडाभीम और विराट नगर।

5. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूमबर, सांभर, टोडाभीम और विराट नगर।

4.1.6.2 अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वर्तमान एवं भविष्य की क्षमता का आंकलन

वर्तमान में उत्पन्न अपशिष्ट एवं उपलब्ध अपशिष्ट निस्तारण तंत्र (भस्मक, भराव क्षेत्र इत्यादि) का आंकलन, भविष्य में अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की पर्याप्तता के आंकलन में सहायता करता है।

यह पाया गया कि स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट के साथ अन्य प्रकार के अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भौतिक और वित्तीय सन्दर्भ में, मानव शक्ति एवं वाहनों की वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आंकलन नहीं किया।

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से, 11 (50 प्रतिशत)⁶ ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मौजूदा क्षमता का आंकलन नहीं किया जबकि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने मौजूदा मानव शक्ति एवं वाहनों की क्षमता का आंकलन संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किया है। जबकि इन 11 में से मात्र पांच⁷ शहरी स्थानीय निकायों ने भविष्य की क्षमता का आंकलन किया है। इसके अतिरिक्त सभी जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों ने ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानव शक्ति एवं वाहनों की वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आंकलन नहीं किया। जांच की गई इकाईयों में पाए गए निष्कर्षों पर अनुच्छेद 4.1.6.11 में चर्चा की गई है।

इस प्रकार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानव शक्ति, वाहनों एवं उपकरणों की वर्तमान क्षमता एवं भविष्य की आवश्यकता के आंकलन के अभाव में, शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन अप्रभावी थे।

4.1.6.3 अपशिष्ट से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन

संहिता 2000 का अनुच्छेद 22.2.1 प्रावधित करता है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन से पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर होने वाले जोखिम को पहचानना और निवारक उपायों के सुझाव देने चाहिए। पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण पर प्रभावों की जानकारी की व्याख्या एवं प्रचार किया जाना चाहिए। तथापि, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन में मुख्य रूप से शामिल है :

6. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूमबर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।

7. अन्ता, बारां, भवानीमंडी, झालावाड और पिडावा।

1. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान
2. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिमों की व्याख्या
3. पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिमों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अपशिष्ट से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिमों का कोई आंकलन नहीं किया।

जांच की गई 22 इकाइयों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों एवं सभी 43 ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में अपशिष्ट से पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिमों का कोई आंकलन नहीं किया। शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों⁸ में, यद्यपि आंकलन किया गया था, लेकिन यह आठ शहरी स्थानीय निकाय (पाली, सोजत सिटी एवं सुमेरपुर के अतिरिक्त) संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तक सीमित रहा और इन प्रतिवेदनों के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया गया।



बारों में भूमि-भरण स्थल के कारण पर्यावरण/स्वास्थ्य पर जोखिम का प्रचार नहीं किया गया।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन नगरपालिकाओं द्वारा संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किया गया है। तथ्य यह रहा कि 50 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने इस तरह का कोई आंकलन नहीं किया।

अपशिष्ट और पर्यावरण और स्वास्थ्य के जोखिम का आंकलन

शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्ट का आंकलन जनसंख्या के आधार पर मात्र एक वर्ष के लिए किया गया था। 50 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों एवं 100 प्रतिशत जांच की गई ग्राम पंचायतों में उत्पन्न अपशिष्ट, भविष्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का अनुमान, मानव-शक्ति एवं वाहनों की आवश्यकता और पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन नहीं किया गया था। यद्यपि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर जोखिम का आंकलन संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में किया था, लेकिन इन प्रतिवेदनों के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया गया था।

8. अन्ता, बारों, भवानीमंडी, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, मंगरोल, पाली, पिड़ावा, सोजतसिटी और सुमेरपुर।

अनुशंसाएं

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का समय-समय पर व्यापक आंकलन किया जाना चाहिए और जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रों, खंडवार (औद्योगिक, घरेलु, वाणिज्यिक, कृषि, पर्यटन इत्यादि) और मौसमी बदलाव के अनुसार नीति निर्माण में सहायता करने हेतु आंकड़ें एकत्रित करने चाहिए।

2. स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को मानव-शक्ति, वाहनों और उपकरणों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाना चाहिए जिससे अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की राज्य में बेहतर योजना बनाई जा सके।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रभावी नियम/अधिनियम/नीतियां/रणनीतियां उपलब्ध है और क्या अपशिष्ट के निस्तारण के परे इसके रोकथाम, कमी, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रण करने पर जोर दिया गया है।

4.1.6.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के प्रावधानों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार राज्य में शहरी विकास के प्रभारी सचिव राज्य के लिए इन नियमों की अधिसूचना की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में नीति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करेंगे।

(i) **ठोस अपशिष्ट** - स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2001) के लिए एक अलग से नीति जारी की और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपनियम मार्च 2015 में जारी किए। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित क्रियान्वयन के लिए 190 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 62 शहरी स्थानीय निकायों (33 प्रतिशत) ने वर्ष 2015 एवं 2016 के दौरान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। निदेशालय, स्थानीय निकाय ने सूचित किया कि नगरपालिका मंडल, नोखा ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए थे जबकि कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका मंडल, नोखा ने किसी भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तैयार जाना स्वीकार नहीं (मई 2017) किया है।

(ii) **प्लास्टिक अपशिष्ट** - राजस्थान सरकार ने अगस्त 2010 से प्लास्टिक के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध (जुलाई 2010) लगा दिया था। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु,

राजस्थान सरकार ने एक पृथक नीति जारी करने के बजाय सभी शहरी स्थानीय निकायों को केवल प्लास्टिक के थैलों को प्रतिबंधित करने एवं कार्य योजना तैयार करने के निर्देश (जून 2011) दिए थे। यद्यपि, जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में देखा गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

(iii) ई-अपशिष्ट - ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 12(3) के अनुसार, राजस्थान सरकार को इन नियमों के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकीकृत योजना तैयार करनी थी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यद्यपि नियम 12(3) के अन्तर्गत ऐसी कोई एकीकृत योजना राजस्थान सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

4.1.6.5 पुनःउपयोग, पुनःचक्रण एवं कमी से अपशिष्ट की रोकथाम

एक प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन नीति में उत्पादों से अधिकतम व्यावहारिक लाभों को निकालना और उससे उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट उत्पादन को उपचार द्वारा कम करना होता है एवं अपशिष्ट निस्तारण करना न्यूनतम अनुकूल विकल्प है। 'कमी, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रण' करने का सिद्धांत अपशिष्ट को रोकने एवं कम करने के लिए रणनीतियों और कार्यक्रमों पर बल देता है।

यह देखा गया कि यद्यपि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000/मार्च 2015 के उपनियम/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट को कम करने, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रित करने को प्राथमिकता दी गई थी परन्तु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं निदेशालय स्थानीय निकाय ने ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट को कम करने और राज्य में पुनःचक्रित एवं पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों⁹ (50 प्रतिशत) ने ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं की थी। अग्रेतर 11 शहरी स्थानीय निकायों में जहां विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के भाग के रूप में ऐसी रणनीतियां तैयार की गई थी, वहां भी अब तक इन रणनीतियों के संचालन के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

मात्र जयपुर शहर में, नगर निगम, जयपुर द्वारा रिफ्यूज्ड ड्राईवड फ्यूल (आरडीएफ) और कम्पोस्टिंग तकनीक का उपयोग ठोस अपशिष्ट को पुनःचक्रित करने में किया गया था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस/प्लास्टिक/ई-अपशिष्ट को कम, पुनःउपयोग एवं पुनःचक्रित करने के लिए पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई रणनीति/कार्यक्रम नहीं बनाया गया था।

9. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलूमबर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।

4.1.6.6 अपशिष्ट के पृथक्करण/पुनःचक्रण में अपशिष्ट चुनने वालों की भूमिका की पहचान।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(सी) के अनुसार, स्थानीय निकाय अपशिष्ट चुनने वाले/अनौपचारिक अपशिष्ट एकत्रित करने वालों को पहचानने के लिए एक प्रणाली की स्थापना करेंगे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण में उनकी भागीदारी को सहज बनायेंगे। अग्रेतर तत्रैत नियम 11(एम) प्रावधित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट चुनने वालों एवं अपशिष्ट वितरकों के पंजीकरण के लिए एक योजना शुरू करेंगे।

यह देखा गया कि जांच की गई किसी भी पंचायती राज संस्थानों ने एवं जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 20 (91 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान और पंजीकरण नहीं किया। मात्र नगर निगम, बीकानेर द्वारा 333 अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान एवं पंजीकरण किया गया और नगर परिषद, पाली ने अपशिष्ट चुनने वालों को पंजीकरण कार्ड जारी किए। अग्रेतर, जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं ने अपशिष्ट वितरकों को पंजीकृत नहीं किया।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि अपशिष्ट चुनने वालों को एकीकृत करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों का निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

4.1.6.7 नियमों के उल्लंघन पर शास्ति का उद्ग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 (जैडएफ) प्रावधित करता है कि शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतें उप-नियम बनायेंगी और उन व्यक्तियों के लिए शास्ति उद्ग्रहण करने के लिए मानदंड निर्धारित करेंगी जो नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं और अधिकारियों या स्थानीय निकायों को शास्ति उद्ग्रहण करने के लिए अधिकार सौंपेगी।

जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उचित नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां होने के उपरान्त भी 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 (55 प्रतिशत) ने अपशिष्ट से संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर कोई शास्ति उद्ग्रहित नहीं की। शेष 10 शहरी स्थानीय निकायों¹⁰ ने अपशिष्ट से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर ₹ 13.80 करोड़ की शास्ति उद्ग्रहित की। इस प्रकार जांच की गई 45 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय कानूनों के उल्लंघन पर कार्यवाही कर रहे थे।

10. बीकानेर : ₹ 3.42 लाख, जयपुर : ₹ 1373.86 लाख, करौली : ₹ 0.57 लाख, नदबई : ₹ 0.18 लाख, नगर : ₹ 0.12 लाख, पाली : ₹ 0.96 लाख, सांभर : ₹ 0.12 लाख, सुमेरपुर : ₹ 0.12 लाख, विराटनगर : ₹ 0.05 लाख, टोडाभीम : ₹ 0.47 लाख।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि शास्ति के उद्ग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश और परिपत्र जारी कर दिए गए हैं।

यद्यपि, ग्राम पंचायतों में शास्ति उद्ग्रहित करने हेतु पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किसी भी प्राधिकरण को कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपा गया।

नियम/विनियम/नीतियों और रणनीतियों का अस्तित्व

यद्यपि पर्याप्त अधिनियम, नियम और नीतियां उपलब्ध थी, परन्तु अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों एवं सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट को 'कम, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण' करने की कोई प्रभावी रणनीति/योजना नहीं थी। इस प्रकार अपशिष्ट को कम, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण करने की बजाय अधिकांश प्रयास निस्तारण रणनीतियों पर निर्देशित थे। यद्यपि अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान और पंजीकरण के लिए नियम उपलब्ध थे, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 20 शहरी स्थानीय निकायों एवं जांच की गई सभी ग्राम पंचायतों ने अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान और पंजीकरण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, शास्ति उद्ग्रहित करने के लिए उप-नियमों एवं नामित प्राधिकरणों के अभाव में, जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायतों ने अपशिष्ट से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की।

अनुशंसाएं :

3. सभी शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करनी चाहिए और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियां भी प्रयुक्त करनी चाहिए जिनमें अपशिष्ट को कम, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण करने की रणनीतियां भी शामिल हैं।
4. शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट वितरकों एवं अपशिष्ट चुनने वालों की भागीदारी को सहज और नियमित करने के लिए उनकी पहचान एवं पंजीकरण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: क्या ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन उपलब्ध नियमों/नीतियों के अनुसार किया गया है।

4.1.6.8 ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकरण को नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, ढुलाई, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए अवसंरचना

के विकास के लिए उत्तरदायी बनाता है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अपशिष्ट निस्तारण की सुविधाएं स्थापित करने का प्राधिकार स्वीकृत करने और इसका अनुश्रवण करने का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है की अपशिष्ट का निस्तारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित अनुपालन मानदंडों को पूरा करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, ढुलाई, प्रसंस्करण एवं निस्तारण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है :

(i) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 यह प्रावधित करता है कि नगरपालिका/प्रचालक द्वारा विशिष्ट गतिविधियां यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए की नगरपालिका क्षेत्र में उत्पन्न सम्पूर्ण अपशिष्ट संग्रहित कर लिया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2016-17 के दौरान, घर-घर अपशिष्ट संग्रहण राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों के 5,270 वार्डों में से 2,920 (55.41 प्रतिशत) वार्डों में नहीं किया जा रहा था। निदेशालय स्थानीय निकाय ने अपने प्रत्युत्तर (मार्च 2018) में अवगत कराया कि घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण राज्य के 5,359 वार्डों में से 5,107 वार्डों में किया जा रहा है और शेष वार्डों को मार्च 2018 तक समाविष्ट कर लिया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा यह दावा सत्यापित नहीं किया जा सका।

वर्ष 2012-17 के दौरान जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों (691 वार्डों) में से सात शहरी स्थानीय निकायों¹¹ (195 वार्डों) द्वारा घर-घर से नगरीय अपशिष्ट संग्रहण नहीं किया जा रहा था और आठ शहरी स्थानीय निकायों¹² में घर-घर से नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण आंशिक रूप से 316 वार्डों में से मात्र 149 वार्डों में किया गया था और मात्र सात शहरी स्थानीय निकायों¹³ में सभी 180 वार्डों में घर-घर से नगरीय अपशिष्ट संग्रहण किया गया था। इस प्रकार सभी जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में, 52.39 प्रतिशत वार्डों में घर-घर नगरीय अपशिष्ट संग्रहण नहीं किया जा रहा था।

11. अन्ता (25 वार्ड), बारां (45 वार्ड), भवानीमंडी (30 वार्ड), करौली (40 वार्ड), मांगरोल (20 वार्ड), पिडावा (15 वार्ड) और विराटनगर (20 वार्ड)।

12. बीकानेर (60 में से 40 वार्ड), देशनोक (20 में से 10 वार्ड), फतेहनगर (20 में से 10 वार्ड), जयपुर (90 में से 24 वार्ड), टोडाभीम (20 में से 4 वार्ड), झालावाड (35 में से 8 वार्ड), पाली (50 में से 45 वार्ड) और सलूमबर (20 में से 8 वार्ड)।

13. जैतारण (20 वार्ड), नदबई (25 वार्ड), नगर (25 वार्ड), नोखा (35 वार्ड), सांभर (20 वार्ड), सोजतसिटी (30 वार्ड) और सुमेरपुर (25 वार्ड)।

ग्रामीण इलाकों में घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण के सम्बंध में, नोडल विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। जांच की गई ग्राम पंचायतों में, घर-घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण 43 ग्राम पंचायतों में से मात्र तीन ग्राम पंचायतों¹⁴ (सात प्रतिशत) में किया जा रहा था।

(ii) ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 की अनुसूची-II प्रावधित करती है कि ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम/संचालक द्वारा विशिष्ट गतिविधियां की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 यह प्रावधित करता है कि ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण स्रोत पर ही किया जाना चाहिए था और पृथक्कृत अपशिष्ट को विभिन्न श्रेणियों जैसे की जैव-निम्नीकरणीय, पुनःउपयोग योग्य, हानिकारक इत्यादि में रखा जाना था।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण के संबंध में, नोडल विभागों जैसे की निदेशालय स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

जांच के दौरान पाया गया कि 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया था।

निदेशालय स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) करवाया कि अपशिष्ट संग्रहण वाहनों (आटो टिपर्स) को गीले एवं सूखे अपशिष्ट हेतु वर्गीकरण किया गया है। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण स्रोत पर नहीं किया जा रहा था।

(iii) ठोस अपशिष्ट का भंडारण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II प्रावधित करती है कि (i) नगरपालिका प्राधिकरणों को संग्रहित एवं पृथक्कृत अपशिष्ट के उचित भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए भंडारण सुविधाओं की स्थापना एवं उन्हें बनाए रखना चाहिए। भंडारण सुविधाओं का निर्माण एवं स्थापना किसी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा और जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए; (ii) अपशिष्ट के संचालन, स्थानांतरण और परिवहन के लिए भंडारण सुविधाएं या अपशिष्ट पात्रों की संरचना 'संचालन में आसान', होनी चाहिए। जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट के भंडारण के लिए अपशिष्ट पात्र का रंग हरा, जो कि पुनःउपयोग

14. मनोहरपुर (पंचायत समिति: शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेर (पंचायत समिति: खानपुर, जिला झालावाड़)

योग्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए है, उन अपशिष्ट पात्रों का रंग सफेद और जो कि अन्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए है उन अपशिष्ट पात्रों का रंग काला होना चाहिए। (iii) आवारा जानवरों को अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं के आस-पास भटकने नहीं देना चाहिए। (iv) कहीं भी स्थापित अपशिष्ट पात्रों एवं डिब्बों को अधिप्रवाह से पहले साफ कर देना चाहिए। अग्रेतर, उप-नियम 2015 का नियम 5(i) प्रावधित करता है कि दो भंडारण सुविधाओं (अपशिष्ट पात्रों) में कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों में से 40 (93 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों में भंडारण सुविधाएं नहीं थी और मात्र तीन ग्राम पंचायतों¹⁵ में अपशिष्ट भंडारण के लिए अपशिष्ट पात्र उपलब्ध थे। अग्रेतर, तीन ग्राम पंचायतों¹⁶ में ना तो अपशिष्ट पात्र अपशिष्ट के संचालन, स्थानांतरण और परिवहन करने के लिए आसान संरचना में थे और ना ही निर्धारित रंग प्रारूप में थे। जांच की गई सभी ग्राम पंचायतों में भंडारण सुविधाओं को आवारा पशुओं की पहुंच से संरक्षण उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, पर्याप्त भंडारण सुविधाएं ना होने के कारण मिश्रित ठोस अपशिष्ट खुले क्षेत्रों में डाला गया था। इससे उत्पन्न अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों ने मानव स्वास्थ्य को एवं पर्यावरण को दूषित किया।

(iv) परिवहन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 प्रावधित करता है कि ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण/निस्तारण करने के लिए परिवहन स्वास्थ्यकर तरीके से हो और अपशिष्ट ना फैंले, यह सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम/संचालक द्वारा विशिष्ट गतिविधियों का सम्पादन किया जाना चाहिए। इस संबंध में लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि :

(अ) जांच की गई 11 शहरी स्थानीय निकायों में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों में किया जा रहा था जबकि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों¹⁷ (50 प्रतिशत) में इसका परिवहन खुले व ढके हुए दोनों वाहनों में किया जा रहा था। जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों में, 40 ग्राम

15. मनोहरपुर (पंचायत समिति: शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेरपुर (पंचायत समिति: खानपुर, जिला झालावाड़)

16. मनोहरपुर (पंचायत समिति: शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेरपुर (पंचायत समिति: खानपुर, जिला झालावाड़)

17. बीकानेर, फतेहनगर, जयपुर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, पाली, सोजतसिटी, सुमेरपुर और टोडाभीम।

पंचायतों में अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया जा रहा था, तीन ग्राम पंचायतों¹⁸ में अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों में किया जा रहा था।



(ब) जांच की गई 16 शहरी स्थानीय निकायों¹⁹ और तीन ग्राम पंचायतों (जहां अपशिष्ट का परिवहन किया गया था) में अपशिष्ट के परिवहन हेतु उपयोग किए गए वाहनों की संरचना अपशिष्ट के निस्तारण से पूर्व उसे बहु-संचालन से बचाने के लिए नहीं थी। केवल छः शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट परिवहन हेतु उपयोग किए गए वाहनों की संरचना अपशिष्ट के निस्तारण से पूर्व उसे बहु-संचालन से बचाने के लिए थी। इस प्रकार, खुले वाहनों के उपयोग एवं वाहनों की अनुचित संरचना के कारण अपशिष्ट खुले वातावरण में फैला एवं खुला पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां रही।

(v) परिवहन से संबंधित अन्य निष्कर्ष

(अ) ठोस अपशिष्ट के परिवहन पर ₹16.46 करोड़ का परिहार्य व्यय

जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों (बीकानेर, पाली, सुमेरपुर) ने अपने क्षेत्राधिकार में उत्पन्न अपशिष्ट के परिवहन के लिए स्वयं के वाहनों की पर्याप्त क्षमता होने के उपरान्त भी मानव-शक्ति सहित किराए के वाहनों पर ₹ 16.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। इस परिहार्य व्यय का विवरण निम्न तालिका 4.1 में दिया गया है :

18. मनोहरपुर (पंचायत समिति: शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास एवं सुमेर (पंचायत समिति: खानपुर, जिला झालावाड़)।
19. अन्ता, बारां, बीकानेर, देशनोक, जैतारण, झालावाड़, करौली, मंगरोल, नदबई, नगर, नोखा, पाली, पिड़ावा, सलूमबर, सांभर और विराटनगर।

तालिका 4.1

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मानदंड के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा	परिवहन की गई अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा	स्वयं के कार्यरत वाहन की उपलब्ध क्षमता	किराये के वाहनों की क्षमता	अवधि	परिहार्य व्यय (करोड़ में)
	(मैट्रिक टन प्रतिदिन में)					
नगर निगम, बीकानेर	284	210	296 ²⁰	312	8/14 से 3/2017	9.73
नगर परिषद, पाली	74.82	74.80 (स्वयं के वाहन द्वारा किया गया ²¹)	55.8 ²²	188.80	1/13 से 03/2017	4.74
नगर पालिका मंडल, सुमेरपुर	7.83	7.26	22.60	उपलब्ध नहीं (एकमुश्त अनुबंध दिया गया)	2012-17	1.99
कुल						16.46
स्त्रोत: संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।						

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अपशिष्ट के परिवहन के लिए स्वयं के वाहनों की पर्याप्त क्षमता होने के उपरान्त भी निजी ठेकेदारों से वाहन किराए लेने पर इन तीनों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 16.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया, जिसे बचाया जा सकता था।

ध्यान में लाए जाने पर, नगर निगम, बीकानेर ने अवगत (मई 2017) कराया कि उसके क्षेत्राधिकार में वृहद क्षेत्र है एवं उसके पास अपशिष्ट के परिवहन के लिए पर्याप्त मात्रा में वाहन नहीं थे और इसीलिए वाहन किराए पर लिए गए। नगर

20. 11 डम्पर (11 x 8 मैट्रिक टन x 2 यात्रा) = 176 मैट्रिक टन, 12 ट्रैक्टर (12 x 2 मैट्रिक टन x 2 यात्रा) = 48 मैट्रिक टन एवं 3 रिफ्यूज कौम्पेक्टर (3 x 12 मैट्रिक टन x 2 यात्रा) = 72 मैट्रिक टन (कुल 296 मैट्रिक टन प्रति दिवस) (नियमावली, 2000 के अनुच्छेद 13.4.3 के अनुसार सभी वाहनों का डिब्बे उठाने के लिए दो पारी में उपयोग किया जा सकता है।
21. नगर पालिका, पाली के सम्पूर्ण अपशिष्ट का स्वयं के वाहन से परिवहन, वाहनों की यात्राओं की संख्या में वृद्धि निम्न प्रकार है : एक डम्पर प्लेसर 4.8 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रति दिवस (कुल 19.20 मैट्रिक टन प्रति दिवस); एक रिफ्यूज कौम्पेक्टर: 9.5 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रति दिवस (कुल 38 मैट्रिक टन प्रति दिवस); दो आटो टिपर: 1.2 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रतिदिन (कुल 4.80 मैट्रिक टन प्रति दिवस); दो आटो हूपर : 2 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रतिदिन (कुल 8 मैट्रिक टन प्रति दिवस); एवं एक ट्रैक्टर : 1.2 मैट्रिक टन x 4 यात्रा प्रतिदिन (कुल 4.80 मैट्रिक टन प्रति दिवस); कुल 74.80 मैट्रिक टन प्रति दिवस।
22. रिफ्यूज कौम्पेक्टर : 1 x 9.5 x 2 यात्रा = 19 मैट्रिक टन, डम्पर प्लेसर : 1 x 4.8 x 2 यात्रा = 9.6 मैट्रिक टन, आटो रिक्शा : 2 x 0.6 x 2 यात्रा = 2.4 मैट्रिक टन, आटो हूपर : 2 x 1.2 x 2 यात्रा = 4.8 मैट्रिक टन, ट्रैक्टर : 5 x 2 x 2 यात्रा = 20 मैट्रिक टन (कुल 55.8 मैट्रिक टन प्रति दिवस) (नियमावली, 2000 के अनुच्छेद 13.4.3 के अनुसार सभी वाहनों का डिब्बे उठाने के लिए दो पारी में उपयोग किया जा सकता है।

परिषद, पाली ने अवगत (मई 2017) कराया कि पाली चूकि औद्योगिक क्षेत्र है इसलिए दूसरे शहरों की तुलना में अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, इसी कारण से स्वयं के वाहनों के अतिरिक्त निजी वाहनों का भी अपशिष्ट परिवहन के लिए उपयोग किया गया। नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर ने अवगत (मई 2017) कराया कि नगरपालिका मंडल के पास अपशिष्ट परिवहन के लिए पर्याप्त मानव क्षमता एवं वाहन नहीं है और इसी कारण से निजी ठेकेदारों को इस प्रयोजन हेतु प्रवृत्त किया गया था।

प्रत्यूतर युक्तियुक्त नहीं थे क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों के पास अपशिष्ट परिवहन के लिए पर्याप्त क्षमता के कार्यरत वाहन थे और अगर मानव क्षमता उपलब्ध नहीं थी तो उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुये संविदात्मक श्रम के बारे में विचार किया जा सकता था।

(ब) अनियमित समय वृद्धि

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73 के अनुसार अतिरिक्त वस्तुओं या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरावृत्त आदेश ठेकेदार को प्राप्त सामग्री की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अनुबंध पत्र की आनुपातिक अवधि के आधार पर जारी किए जा सकते हैं यदि सामग्री क्रेता विभाग के निविदा दस्तावेज में ऐसा प्रावधान है।

शहरी स्थानीय निकाय पाली, जैतारण और सुमेरपुर ने अपशिष्ट के परिवहन एवं अन्य उद्देश्य के लिए किराए पर वाहन लेने के लिए निजी फर्मों को निम्न तालिका 4.2 में दर्शाए गए विवरणानुसार पुनरावृत्त आदेश जारी किए :

तालिका 4.2

(₹ लाख में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	मूल कार्यदेश		समय एवं मूल्य के अनुमत्य विस्तार (मूल कार्य के 50 प्रतिशत तक)		निष्पादित कार्य का वास्तविक समय एवं मूल्य		अनियमित कार्य वृद्धि		उद्देश्य
	अनुबंध में अनुमत्य समयावधि (माह)	राशि	अवधि (माह)	राशि	अवधि (माह)	राशि	अवधि (माह) (6-4)	राशि (प्रतिशत) (7-5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नगर परिषद, पाली	1.1.13 से 31.12.13 (12 माह)	17.52	18	26.28	27	46.24	9	19.96 (113.93)	अपशिष्ट परिवहन के लिए किराये पर वाहन
	1.1.13 से 31.12.13 (12 माह)	26.46	18	39.69	27	65.79	9	26.10 (98.64)	
	20.6.13 से 20.9.13 (तीन माह)	12.15	4.5	18.23	14.5	38.42	10	20.19 (166.17)	
नगर पालिका मंडल, सुमेरपुर	1.5.12 से 31.3.13 (11 माह)	25.51	16.5	38.27	23	56.95	6.5	18.68 (73.23)	अपशिष्ट परिवहन के लिए किराये पर वाहन
नगर पालिका मंडल, जैतारण	1.4.2012 से 31.3.2013 (12 माह)	3.83	18	5.75	56	19.79	38	14.04 (366.58)	संविदा पर मजदूर
							कुल	98.97	

स्त्रोत: संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना

उक्त तालिका दर्शाती है कि शहरी स्थानीय निकायों ने अनुबंध अवधि में वृद्धि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार अनुमत्य सीमा से छः से 38 माह से अधिक समय तक वृद्धि की थी और पुनरावृत्त कार्यदिश पर ₹ 0.99 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया। विस्तारित अवधि में राशि के मामलों में निष्पादित कार्य, अनुबंध की वास्तविक अवधि में निष्पादन से कहीं अधिक थे और यह 366.58 प्रतिशत एवं 73.23 प्रतिशत के मध्य विस्तारित थे। अग्रेतर, नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर ने ना केवल अनुमत्य सीमा के बाद अनुबंध अवधि में वृद्धि की अपितु विस्तारित अवधि में दरों में भी 13 प्रतिशत की वृद्धि की थी।

ध्यान में लाए जाने पर, नगर परिषद, पाली एवं नगरपालिका मंडल, जैतारण द्वारा यह अवगत कराया (मई 2017 एवं जून 2017) गया कि कार्य की अत्यावश्यकता एवं निविदा प्रक्रिया में अनुमानित विलम्ब के कारण ठेकेदारों को समयावृद्धि की अनुमति दी गई थी। जबकि नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर द्वारा यह अवगत (मई 2017) कराया गया कि समय में विस्तार ठेकेदार के संतोषजनक कार्य के आधार पर और सक्षम समिति के अनुमोदन के पश्चात दिया गया था।

शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह उपयुक्त नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था। इस प्रकार, सभी शहरी स्थानीय निकायों ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का उल्लंघन करते हुए ₹ 0.99 करोड़ का अनियमित भुगतान किया और ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया।

(vi) ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 15 प्रावधित करता है कि नगरपालिका प्राधिकरणों को उपयुक्त तकनीक या तकनीकों के संयोजन को अपनाते हुए भूमि-भरण स्थल का भार कम करने के लिए अपशिष्ट का उपयोग करना चाहिए। अपशिष्ट को संतुलित करने के उपायों में कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, अवायवीय पाचन एवं इसी तरह के अन्य जैविक उपाय शामिल हैं। विशिष्ट प्रकरणों में अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अपशिष्ट को ऊर्जा प्राप्ति सहित अथवा उसके बिना गोला बनाकर जलाना शामिल है।

अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 21 यह प्रावधित करता है कि 1500 किलो/कैलोरी/किलोग्राम कैलोरिफिक या उससे अधिक मूल्य वाले गैर-पुनर्नवनीकरण योग्य अपशिष्ट का निस्तारण भूमि-भरण स्थल पर नहीं करना चाहिए और इसका उपयोग या तो आरडीएफ के माध्यम से या आरडीएफ तैयार करने के लिए आपूर्ति भण्डार के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए।

(अ) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 21 (जयपुर को छोड़कर) में पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण से पूर्व प्रसंस्करण नहीं किया गया था और अपशिष्ट का प्रसंस्करण किए बिना खुले मैदान में ही डाला जा रहा था। यद्यपि, नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण जयपुर में कम्पोस्ट संयंत्र एवं आरडीएफ संयंत्र द्वारा किया जा रहा था, संयंत्रों को पूर्ण क्षमता अनुसार उपयोग नहीं लिया जा रहा था (1300 मैट्रिक टन प्रति दिवस अपशिष्ट उपलब्ध होने के उपरान्त भी) क्योंकि कम्पोस्ट संयंत्र को 250 मैट्रिक टन प्रति दिवस की प्रसंस्करण क्षमता के विरुद्ध मात्र 150 (60 प्रतिशत) मैट्रिक टन प्रति दिवस अपशिष्ट प्राप्त हो रहा था जबकि आरडीएफ संयंत्र को 350 मैट्रिक टन प्रति दिवस की प्रसंस्करण क्षमता के विरुद्ध मात्र 61 मैट्रिक टन प्रति दिवस (17.43 प्रतिशत) अपशिष्ट प्राप्त हुआ था।

इसके अतिरिक्त, जांच की गई सभी 43 ग्राम पंचायतों में, किसी भी प्रकार की सुविधा के अभाव में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण से पूर्व प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा था।

(ब) यह भी पाया गया कि वर्ष 2012-17 के दौरान 'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र किसी भी जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित नहीं किया गया था। यद्यपि, जयपुर शहर में अप्रैल 2017 में 'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अनुबंध किया गया था।

निदेशालय, स्थानीय निकाय ने अवगत (मार्च 2018) कराया कि राज्य स्तर पर, वर्तमान में सम्पूर्ण अपशिष्ट का 10 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा रहा है और 19 प्रसंस्करण संयंत्र निर्माणाधीन है।

(स) प्रसंस्करण संयंत्र पर निष्फल व्यय

निदेशालय स्थानीय निकाय ने पाली में बारहवें वित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत 75 मैट्रिक टन प्रति दिवस की क्षमता वाले कम्पोस्ट संयंत्र की स्थापना को स्वीकृत (अगस्त 2007) किया। आवास विकास लिमिटेड ने कम्पोस्ट संयंत्र का सिविल कार्य किया और एक फर्म को नगरीय ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए यांत्रिक संयंत्र की आपूर्ति एवं स्थापना करने हेतु कार्यदिश (सितम्बर 2007) जारी किया। यह पाया गया कि नवम्बर 2017 तक नगर परिषद, आवास विकास लिमिटेड और फर्म के बीच कोई त्रि-पक्षीय अनुबंध नहीं किया गया था। इसलिए संयंत्र परिचालन में नहीं आ पाया। इस प्रकार, प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण पर हुआ ₹ 1.72 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निष्फल रहा।

(vii) ठोस अपशिष्ट का निस्तारण

(अ) भूमि-भरण स्थल का विकास

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-II एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I के अनुसार भूमि-भरण उन गैर जैव-निम्नीकरणीय, निष्क्रिय अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट तक सीमित रहना चाहिए जो या तो पुनःचक्रित करने या जैविक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अवशेषों के साथ-साथ अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण से पूर्व उपेक्षित अपशिष्ट के लिए भी भूमि-भरण किया जाना चाहिए। मिश्रित अपशिष्ट का भूमि भराव तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अनुपयुक्त नहीं पाया जाता। अग्रेतर, अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 प्रावधित करता है कि पांच लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानीय प्राधिकरण उपयुक्त समूह के लिए सामूहिक क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमि-भरण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करेंगे।

निदेशालय स्थानीय निकाय के वर्ष 2015-16 की प्रगति प्रतिवेदन की जांच में प्रकट हुआ कि राज्य की 188 शहरी स्थानीय निकायों में से, 151 शहरी स्थानीय निकायों में भूमि-भरण के लिए भूमि की पहचान की गई थी जबकि 37 शहरी स्थानीय निकायों में भूमि की पहचान नहीं की गई थी।

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच लाख से कम जनसंख्या वाली 12 शहरी स्थानीय निकायों²³ (55 प्रतिशत) ने भूमि-भरण स्थल की पहचान नहीं की थी। 10 चिन्हित भूमि-भरण स्थलों में से सात ने अपशिष्ट प्रसंस्करण/निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आवेदन नहीं किया था।

यद्यपि, तीन शहरी स्थानीय निकायों (बारां, जयपुर एवं झालावाड़) में भूमि-भरण स्थलों के विकास पर ₹ 12.74 करोड़²⁴ व्यय किए गए थे परन्तु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था। बारां एवं झालावाड़ में, प्रसंस्करण संयंत्र के अभाव में भूमि-भरण स्थलों को उपयोग में नहीं लाया जा सका था। जबकि जयपुर में यद्यपि, प्रसंस्करण संयंत्र एवं भूमि-भरण स्थल दोनों की स्थापना की गई थी पर भूमि-भरण स्थल का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, सभी जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट खुले मैदान पर डाला जा रहा था क्योंकि या तो भूमि-भरण स्थल का विकास (19 शहरी स्थानीय निकायों में) नहीं किया गया था या भूमि-भरण स्थल क्रियाशील (तीन शहरी स्थानीय निकायों में) नहीं थे।

23. अन्ता, देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, नदबई, नगर, नोखा, सलूमबर, सांभर, सोजतसिटी, सुमेरपुर और विराटनगर।

24. नगर परिषद, बारां : ₹ 1.13 करोड़, नगर निगम, जयपुर : ₹ 10.93 करोड़, नगर परिषद, झालावाड़ : ₹ 0.68 करोड़।

जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों ने भूमि-भरण स्थल विकसित नहीं किए थे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अवगत (फरवरी 2017) कराया कि अब तक इस संबंध में कोई नियम/नीति तैयार नहीं की गई है।

(ब) नगर निगम, बीकानेर में भूमि-भरण स्थल का विकास

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अनुसार, भूमि-भरण स्थल सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं की स्थापना राजमार्ग और बस्तियों से 200 मीटर एवं हवाई अड्डा/एयर-बेस से 20 किलोमीटर दूर की जानी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अगर दूरी 20 किलोमीटर से कम है तो नागरिक विमानन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी थी।

जिला कलेक्टर ने नगर निगम, बीकानेर को गोगा गेट पर भूमि-भरण स्थल के विकास के लिए भूमि आवंटित (2002) की थी। आवंटित भू-आवासीय क्षेत्रों से घिरी हुई थी और हवाई अड्डा/एयर-बेस से मात्र 16.8 किलोमीटर दूर थी। यद्यपि, नगर निगम ने उस भूमि पर भूमि-भरण स्थल विकसित करने के लिए अनुबंध निष्पादित (मार्च 2017) करने से पूर्व ना तो नागरिक विमानन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया और ना ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनुज्ञप्ति प्राप्त की एवं भूमि के समतलीकरण पर ₹ 25.08 लाख व्यय कर दिए। ध्यान में लाए जाने पर, नगर निगम ने अवगत (मई 2017) कराया कि जिला कलेक्टर ने वर्ष 2002 में भूमि आवंटित की थी और उस समय बस्तियां चिन्हित भराव क्षेत्र के पास नहीं थी। फर्म द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है।

(स) खुले भराव क्षेत्रों का अनुश्रवण

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों²⁵ एवं 43 ग्राम पंचायतों की खुले भराव क्षेत्रों को बन्द करने की कोई योजना नहीं थी। यद्यपि शेष 11 जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2015 एवं 2016) में खुले भराव क्षेत्रों को बन्द करने की योजना बनाई थी, परन्तु योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी थी और अपशिष्ट अभी भी खुले क्षेत्रों में ही डाला जा रहा था।

अग्रेतर, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से छः शहरी स्थानीय निकायों²⁶ में अपशिष्ट खुले में जलाया जा रहा था।

25. देशनोक, फतेहनगर, जैतारण, करौली, नदबई, नगर, नोखा, सलूमबर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।

26. भवानी मंडी, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, पिड़ावा एवं सुमेरपुर।

अतः खुले भराव क्षेत्रों का अनुश्रवण करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें और आस-पास के क्षेत्रों में व्याधियां प्रसारित ना हों।

(द) भू-जल के नमूने का परीक्षण प्रतिवेदन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 की अनुसूची-III (24) के अनुसार, भूमि-भरण स्थल में या इसके आस-पास भू-जल का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करने पर इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरांत ही विचार करना चाहिए।

यह पाया गया कि वर्ष 2012-17 के दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने खुले भराव क्षेत्र के पास भू-जल, परिवेशी वायु एवं लिचेट की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए कोई परीक्षण नहीं किया था।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण (16 मई 2017) के दौरान जयपुर में दो खुले भराव क्षेत्रों यथा सेवापुरा एवं मथुरादास के पास के जल-स्रोतो से भू-जल के नमूनों को लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित किया गया और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर की केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा उनकी जांच करवाई गई। जांच परिणाम निम्न तालिका 4.3 में दर्शाए गए हैं :

तालिका 4.3

(मिलीग्राम/लीटर में)

मानदंड	निर्धारित मानक	सेवापुरा स्थल के जल की जांच		मथुरादासपुरा स्थल के जल की जांच	
		जांच परिणाम	अधिक (+)/कमी (-) मानदंड के विपरीत	जांच परिणाम	अधिक (+)/कमी (-) मानदंड के विपरीत
कैल्शियम कार्बोनेट	300	380	(+) 80	232	(-) 68
कुल घुले पदार्थ (टीडीएस)	500	841	(+) 341	1125	(+) 625
नाइट्रेट	45	67	(+) 22	9	(-) 36

उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यह भराव क्षेत्र भू-जल को दूषित कर रहे थे विशेष तौर पर भराव क्षेत्र के निकट क्षेत्रों में भू-जल में कुल घुले हुए ठोस पदार्थ काफी अधिक थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2017) किया।

(viii) अन्य निष्कर्ष

(अ) अनुबंध लागू ना होना

भारत सरकार की शहरी कम्पोस्ट को प्रोत्साहित करने की एक नीति (जनवरी 2016) है, जिसमें उर्वरक विपणन कम्पनियों को ₹ 1,500 प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता का भुगतान किया जाना है, जो उन संबंधित शहरों में निर्मित सम्पूर्ण कम्पोस्ट खरीदने के लिए बाध्य होंगे जिनके लिए उन्हें चिन्हित किया

गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक त्रि-पक्षीय अनुबंध नगर निगम, जयपुर, मैसर्स आई.एल. एण्ड एफ.एस. लिमिटेड एवं मैसर्स चम्बल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के मध्य जयपुर शहर के कम्पोस्ट को उठाने के लिए हुआ था। यद्यपि, मैसर्स चम्बल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड ने कम्पोस्ट संयंत्र से उत्पन्न कम्पोस्ट नहीं उठाया था। इसके परिणामस्वरूप सेवापुरा प्रसंस्करण संयंत्र में काफी कम्पोस्ट जमा हो गया था जिसके कारण संयंत्र को मजबूरन फरवरी 2017 में बंद करना पड़ा।

इस प्रकार भारत सरकार की नीति लागू ना करने के परिणामस्वरूप प्रसंस्करण ईकाई बंद हुई एवं काफी मात्रा में अप्रसंस्कृत अपशिष्ट पड़ा रहा। नगर निगम, जयपुर ने मैसर्स चम्बल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के कम्पोस्ट उठाए जाने की विफलता पर प्रत्युत्तर नहीं दिया।

(ब) ₹ 33.02 लाख की वसूली का अभाव

नगर निगम जयपुर एवं फर्म 'अ' के बीच चार संभागो (सिविल लाईन, सांगानेर, मानसरोवर एवं विद्याधर नगर) से अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, एवं निस्तारण के लिए BOOT आधार पर एक अनुबंध (अक्टूबर 2008) हुआ और 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्यादेश (जनवरी 2011) जारी किया गया था। अग्रेतर अनुबंध के अनुसार, नगर निगम, जयपुर को राजस्व अंशदान ₹ 5.51 लाख एवं अनुज्ञा शुल्क ₹ एक लाख प्रतिवर्ष फर्म से प्राप्त करने थे और उसमे प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होनी थी। प्रसंस्करण संयंत्र के लिए आवंटित भूमि की लीज राशि ₹ 8,093 प्रतिवर्ष भी फर्म 'अ' से वसूल की जानी थी। यह पाया गया कि अवधि 2014-15 से 2016-17 के लिए राजस्व अंशदान, अनुज्ञा शुल्क, लीज राशि ₹ 33.02 लाख²⁷ फर्म से वसूल नहीं किए गए थे।

4.1.6.9 प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन एवं हथालन से संबंधित नियमों के अनुपालन एवं अनुश्रवण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उत्तरदायी था और शहरी स्थानीय निकाय इनके संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण के लिए उत्तरदायी थे।

(i) दुकानदारों/ठेलेवालों का पंजीकरण

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 का नियम 14(1) प्रावधित करता है कि कोई भी वस्तु प्लास्टिक के थैले में देने के इच्छुक दुकानदार एवं ठेलेवाले को स्थानीय निकाय से पंजीकरण करवाना होगा।

27. राजस्व अंशदान : ₹ 29.10 लाख + अनुज्ञा शुल्क : ₹ 3.76 लाख + लीज राशि : ₹ 0.16 लाख (अनुज्ञा शुल्क एवं लीज राशि की गणना 15 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि के आधार पर की गई है)।

जांच की गई सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों में पाया गया कि ना तो किसी दुकानदार/ठेलेवाले ने प्लास्टिक के थैले में सामान विक्रय हेतु पंजीकरण करवाया था और ना ही शहरी स्थानीय निकायों ने किसी दुकानदार/ठेलेवाले द्वारा ऐसे पंजीकरण को सुनिश्चित किया था जबकि प्लास्टिक के थैलों का खुलेआम उपयोग कर रहे थे।

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 एवं 2011(i) के अनुसार (i) नगरीय प्राधिकरण प्लास्टिक के उपयोग के नियमन के लिए और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, क्रियान्वयन और समन्वय एवं उपभोक्ता के उपयोग पश्चात प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है; (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों की स्थापना के लिए, नगरपालिका प्राधिकरण वित्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत निर्माताओं से इस तरह के केन्द्रों की स्थापना के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं (iii) प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में नहीं जलाया जाता है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि :

(अ) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, हथालन, परिवहन एवं निस्तारण के लिए किसी प्रक्रिया की स्थापना या निर्देश जारी नहीं किए। इसलिए, अधिसूचना के छः वर्ष पश्चात भी अभी तक इन नियमों को लागू किया जाना शेष है।

(ब) जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में इस तरह के किसी भी संग्रहण केन्द्र की स्थापना ना तो निर्माताओं द्वारा ना ही संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की गई थी।

(स) जांच की गई सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट खुले में जलाया नहीं गया। अग्रेतर, संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि छः शहरी स्थानीय निकायों²⁸ (27 प्रतिशत) में प्लास्टिक अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट को खुले में जलाने की घटनाएं आम थी।



28. भवानीमंडी, बीकानेर, झालावाड, जयपुर, पिड़ावा एवं सुमेरपुर।

(iii) उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण एवं शास्ति

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 8(3) के अनुसार सभी अपशिष्ट उत्पादक उपभोक्ता शुल्क अथवा स्थानीय निकायों के उपनियमों में निर्धारित राशि का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भुगतान करेंगे। तत्रैत नियम 15 के अनुसार कोई भी वस्तु प्लास्टिक के थैले में देने के इच्छुक उत्पादकों/दुकानदारों के पंजीकरण (स्थानीय निकायों से) के लिए कम से कम ₹ 4,000 का उपभोक्ता शुल्क निर्धारित है।

यह पाया गया कि जांच की गई सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों ने ना तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में उपभोक्ता प्रभार की शास्ति के लिए कोई उपनियम बनाए ना ही तत्रैत नियमों में निर्धारित ऐसे किसी उपभोक्ता प्रभार का संग्रहण किया।

(iv) सड़क निर्माण के लिए तकनीक का उपयोग

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 का नियम 5(1)(ब) प्रावधित करता है कि स्थानीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट जो कि पुनःउपयोग में नहीं लिए जा सकते उनका उपयोग भारतीय सड़क कांग्रेस दिशा-निर्देश के अनुसार सड़क निर्माण हेतु या उनसे ऊर्जा प्राप्ति या अपशिष्ट से तेल प्राप्ति इत्यादि प्रक्रिया में करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

यह पाया गया कि जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों (जयपुर एवं उदयपुर को छोड़कर) एवं 43 ग्राम पंचायतों में इस संबंध में कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की थी।

(v) नगर निगम, जयपुर में प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान जयपुर शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ करने का निर्णय (सितम्बर 2014) किया था। इस परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए नगर निगम, जयपुर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं गैर-सरकारी संगठन के मध्य एक त्रि-पक्षीय समझौता किया जाना था और नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं नगर निगम, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त करना था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 2017 तक ना तो परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई थी और ना ही प्रायोगिक परियोजना को लागू करने के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। अतः प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन जैसा की परिकल्पित था, आरंभ नहीं हो पाया।

4.1.6.10 ई-अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

(i) निर्माताओं, भंजकों, रिफरबीशर्स, एवं पुनःउपयोगकर्ताओं को अधिकृत/पंजीकरण

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 का नियम 9(2) एवं 11 एवं ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 यह प्रावधित करते हैं कि विद्युत एवं विद्युतीय उपकरणों के निर्माता, संग्रहण केन्द्र, विघटनकर्ता एवं पुनःउपयोगकर्ता इन नियमों के लागू होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे। अग्रेतर आवेदन की प्राप्ति पर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल संतुष्ट होने के बाद कि आवेदक के पास ई-अपशिष्ट के हथालन के लिए उचित सुविधाएं, तकनीकी क्षमता एवं उपकरण है, 90 दिवसों के अन्दर अधिकृत/पंजीकरण जारी करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 44 फर्मों ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को ई-अपशिष्ट के विघटन एवं प्रसंस्करण के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन किया था जिसमें से 43 फर्मों को पंजीकरण स्वीकृत कर दिया गया था। इन 43 फर्मों में से पांच फर्मों का पंजीकरण सितंबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान समाप्त हो गया था, परन्तु इन फर्मों ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करवाया। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अवगत कराया कि राज्य में किसी भी फर्म ने ई-अपशिष्ट के पुनःउपयोग के लिए पंजीकरण नहीं करवाया था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से उन फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी (फरवरी 2018) चाही गई थी, जिन्होंने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

(ii) विशेष संभागो/क्षेत्रों का निर्धारण जहां ई-अपशिष्ट को संग्रहित/निस्तारित किया जा सके

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 का नियम 12(1) यह प्रावधित करता है कि राजस्थान सरकार से इस संबंध में प्राधिकृत राज्य या अन्य कोई सरकारी अभिकरण को मौजूदा एवं आने वाले औद्योगिक उद्यान, भू-सम्पत्ति और औद्योगिक समूहों में ई-अपशिष्ट को विघटित करने एवं पुनःउपयोग करने के लिए औद्योगिक स्थान की व्यवस्था या आवंटन सुनिश्चित करना था। यद्यपि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ई-अपशिष्ट के लिए निर्धारित स्थान सुनिश्चित नहीं किया था।

(iii) ई-अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित नियमों का प्रवर्तन

(अ) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 23 एवं 24 के अनुसार ई-अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पृथक्करण, रिफरबिशमेंट, विघटन, पुनःचक्रण एवं निस्तारण दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट संग्रहित किया जाता है और अधिकृत भंजक या पुनःउपयोगकर्ता को दिया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया गया कि :

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों ने ना तो ई-अपशिष्ट के संग्रहण/पृथक्करण को सुनिश्चित किया एवं ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया गया और ना ही लावारिस उत्पादों को उनके अधिकृत संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचाया। इसके परिणामस्वरूप ई-अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित हो रहा था।

(ब) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 यह प्रावधित करता है कि निर्माताओं द्वारा एक विशिष्ट श्रेणी संकेतक के विद्युत एवं विद्युतीय उपकरणों के लिए उत्पन्न ई-अपशिष्ट, पिछले वर्षों में बाजार में रखी गई विद्युत एवं विद्युतीय उपकरणों की मात्रा (संख्या या भार) के आधार पर अनुमानित की जानी चाहिए और उपकरण के औसत जीवन को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए ई-अपशिष्ट के संग्रहण का लक्ष्य अनुमानित उत्पन्न ई-अपशिष्ट का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान ई-अपशिष्ट के उत्पादन का अनुमान एवं आने वाले वर्षों में ई-अपशिष्ट के संग्रहण का लक्ष्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में सत्यापित नहीं किया जा सका था, क्योंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने लेखापरीक्षा को आंकड़ें/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए थे। इसके अतिरिक्त, मैसर्स सिक्योर मीटर्स का राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उदयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के साथ आयोजित संयुक्त निरीक्षण (जून 2017) में प्रकट हुआ कि फर्म ने वर्ष 2016-17 के लिए ई-अपशिष्ट के उत्पादन एवं संग्रहण का अनुमान नहीं लगाया था।

ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हथालन

ठोस अपशिष्ट : शहरी क्षेत्रों में, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 55.41 प्रतिशत वार्डों में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया गया था। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण भी प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। अग्रेतर, जांच की गई सभी ग्राम पंचायतों में भंडारण सुविधाएं भी नहीं पाई गई थी। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 में अपशिष्ट का परिवहन भी खुले वाहनों में किया जा रहा था।

अग्रेतर, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के बिना ही खुले मैदान पर डाला जा रहा था। भूमि-भरण स्थल का निर्माण भी 22 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन में ही किया गया था, यद्यपि ये भूमि-भरण स्थल भी उपयोग नहीं किए जा रहे थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में, जांच की गई 43 ग्राम पंचायतों में से मात्र तीन में ही अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन खुले वाहनों में किया जा रहा था। सभी ग्राम पंचायतों में, अपृथक्कृत एवं अप्रसंस्कृत अपशिष्ट खुले मैदान पर डाला जा रहा था।

इस प्रकार, राज्य में, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

प्लास्टिक अपशिष्ट : जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ना तो किसी दुकानदार/ठेलेवालो का पंजीकरण ग्राहक उत्पाद प्लास्टिक के थैलों में विक्रय/उपलब्ध करवाने के लिए किया और ना ही प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया। जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों एवं 43 ग्राम पंचायतों ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क की वसूली के लिए कोई भी उपनियम नहीं बनाये। अग्रेतर, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, हथालन, भंडारण, परिवहन एवं निस्तारण के लिए किसी प्रक्रिया की स्थापना नहीं की थी। अतः प्लास्टिक के थैलों एवं अन्य प्लास्टिक उत्पादों का नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होना जारी था।

ई-अपशिष्ट : जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट का संग्रहण एवं पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ई-अपशिष्ट खुले मैदान पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होकर डाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त ना तो जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने और ना ही पंजीकृत विघटक फर्मों ने ई-अपशिष्ट का विघटन/पुनःचक्रण सुनिश्चित किया।

अनुशंसाएं :

6. सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को 100 प्रतिशत घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं/अपशिष्ट पात्रों का विकास सुनिश्चित करना चाहिए और अपशिष्ट उत्पादकों को स्रोत पर ही अपशिष्ट को उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग अपशिष्ट पात्रों में पृथक्करण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

7. सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को सम्पूर्ण अपशिष्ट का परिवहन ढके हुए वाहनों में किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं उसका निस्तारण उपयुक्त प्रसंस्करण पश्चात विकसित भूमि-भरण स्थल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8. सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट के संग्रहण, हथालन, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना करनी चाहिए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी इन नियमों का अनुपालन प्रभावी अनुश्रवण द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4 : क्या अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु निधियां और बुनियादी ढांचा पर्याप्त था और क्या एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में था।

4.1.6.11 वित्त पोषण

कानूनों/नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, कार्यकारी अभिकरणों को उन्हें आवंटित उत्तरदायित्वों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक मानवीय और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(i) निधियों की पर्याप्तता

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(एक्स) के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत वार्षिक बजट में पूंजीगत निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट सेवाओं के संचालन और संधारण के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान करेंगे।

जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में पाया गया कि 11 शहरी स्थानीय निकायों²⁹ (50 प्रतिशत) ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक निधियों का आंकलन भी नहीं किया जबकि शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों ने मात्र 2015 और 2016 के लिए आवश्यक निधियों का आंकलन किया। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए न तो गतिविधियों के अनुसार निधियों का आवंटन किया और न ही गतिविधियों के अनुसार व्यय विवरणों का संधारण किया।

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियां

स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अन्य गतिविधियों सहित आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए तैरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि के अन्तर्गत निधियां आवंटित की गई थी। जांच की गई स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर स्वीकृत निधियों और किए गए व्यय की स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि इन निकायों के बजट/लेखों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की गई थी, सिवाय स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत मात्र दो वर्षों अर्थात् 2015-17 के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित है।

29. देशनोक, फतहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलुम्बर, साम्भर, टोडाभीम और विराटनगर।

राज्य स्तर पर एवं जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के प्रकरणों में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015-17 के दौरान आवंटित निधियां, किए गए व्यय और लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्न तालिका 4.4 में दिया गया है:

तालिका 4.4

(₹ करोड़ में)

गतिविधि का नाम	स्वीकृत निधियां	किए गए व्यय	अव्ययित निधियां (स्वीकृत निधियों की प्रतिशतता)	लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (किए गए व्यय की प्रतिशतता)
राज्य स्तर पर				
टोस अपशिष्ट प्रबंधन*	283.55	57.65	225.90 (79.67%)	46.09 (79.95%)
सूचना, शिक्षा और संचार	7.44	1.83	5.61 (75.40%)	1.33 (72.68%)
कार्यालय व्यय	1.82	1.09	0.73 (40.11%)	0.86 (78.90%)
योग	292.81	60.57	232.24 (79.31%)	48.28 (79.71%)
नमूना जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकाय³⁰				
टोस अपशिष्ट प्रबंधन*	87.52	6.27	81.25 (92.84%)	5.15 (82.14%)
सूचना, शिक्षा और संचार	2.22	0.22	2.00 (90.09%)	0.07 (31.82%)
कार्यालय व्यय	0.54	0.07	0.47 (87.04%)	0.07 (100%)
योग	90.28	6.56	83.72 (92.73%)	5.29 (80.64%)
* नगरीय टोस अपशिष्ट का घर-घर से संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन एवं अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र इत्यादि के लिए।				
स्रोत : निदेशक स्थानीय निकाय और नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।				

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों सहित राज्य स्तर पर 2015-17 के दौरान निधियों का उपयोग बहुत कम था, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, सूचना शिक्षा संचार और कार्यालय व्यय के लिए आवंटित ₹ 292.81 करोड़ में से मात्र ₹ 60.57 करोड़ व्यय किए गए जिससे ₹ 232.24 करोड़ (79.31 प्रतिशत) का वृहद अव्ययित अवशेष रहा। इसी तरह, जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों की आवंटित ₹ 90.28 करोड़ में से वाहनों के क्रय, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत घर-घर से संग्रहण हेतु श्रमिकों को भुगतान, सूचना शिक्षा संचार और कार्यालय व्यय आदि पर मात्र ₹ 6.56 करोड़ (7.27 प्रतिशत) व्यय किए गए और स्वीकृत निधियों का ₹ 83.72 करोड़ (92.73 प्रतिशत) वृहद अव्ययित अवशेष रहा।

इसके अलावा, राज्य स्तर पर ₹ 48.28 करोड़ (79.71 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजन हेतु लम्बित थे, इसी तरह, जांच की गई शहरी स्थानीय

30. पंचायती राज संस्थाओं के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को स्वच्छ भारत मिशन कार्य के लिए समेकित निधि आवंटित की गई थी इसके साथ उनके विभाजन उपलब्ध नहीं थे।

निकायों में ₹ 5.29 करोड़ (80.64 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समायोजन हेतु लम्बित थे।

इस अतिरिक्त, जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के 50 प्रतिशत ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया और यहां तक कि जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों के पास निधियां उपलब्ध होने के उपरान्त भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 2015-17 के दौरान मात्र 7.27 प्रतिशत की सीमा तक उपयोग किया गया था। इससे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमियों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य विफल रहे।

(iii) आधारभूत संरचना

अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में कर्मचारियों की गुणवत्ता के साथ-साथ इनकी पर्याप्तता का प्रमुख महत्व है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(अ) श्रम-शक्ति का आंकलन

वर्ष 2012-17 के दौरान, राज्य स्तर पर, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। यह भी पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में श्रम-शक्ति की वर्तमान स्वीकृत संख्या/कार्यरत के आधार पर 33.35 प्रतिशत (8.11 प्रतिशत से 77.78 प्रतिशत तक) तक कम पाई गई थी। अग्रेतर, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों³¹ ने अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रम-शक्ति का आंकलन नहीं किया गया था।

(ब) संयंत्र, उपकरण एवं अन्य आधारभूत ढांचे का आंकलन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायती राज विभाग/ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट के क्रियान्वयन हेतु संयंत्र, उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया।

यह भी पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों³² और सभी 43 ग्राम पंचायतों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संयंत्र, उपकरण और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया।

31. देशनोक, फतहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलूमबर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।

32. देशनोक, फतहनगर, जैतारण, करौली, नगर, नदबई, नोखा, सलूमबर, सांभर, टोडाभीम और विराटनगर।

(स) क्षमता निर्माण

टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(के) और स्वच्छ भारत मिशन दिशा-निर्देश, 2014 के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण के लिए प्रासंगिक प्राधिकारियों (वरिष्ठ स्तर के प्राधिकारियों और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ता दोनों) की पहचान करनी चाहिए और उनके लिए प्रशिक्षण का कैलेंडर तैयार करना चाहिए।

यह पाया गया कि क्षमता निर्माण गतिविधियों का क्रियान्वयन न तो राज्य स्तर पर और न ही जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों पर किया गया था।

(iv) आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण

(अ) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55(3) के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका एक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन करेगी जो टोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित प्रकरणों की निगरानी करेगी। अग्रेतर, धारा 58(1) तंत्र के अनुसार स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की बैठकें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो माह के भीतर आयोजित की जाएंगी।

यह पाया गया कि, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 10 शहरी स्थानीय निकायों³³ ने स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन नहीं किया था। यद्यपि 12 शहरी स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन किया था, वर्ष 2012-17 के दौरान निर्धारित 30 बैठकों के विरुद्ध छः शहरी स्थानीय निकायों में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई, जबकि छः शहरी स्थानीय निकायों³⁴ द्वारा मात्र एक से 13 बैठकें आयोजित की गई थीं।

(ब) टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की धारा 2.3.3.1 और नगरीय टोस अपशिष्ट नियमावली, 2000 की धारा 19.6.1 के अनुसार, अपशिष्ट प्रबंधन का नियमित अनुश्रवण स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में से 11 शहरी स्थानीय निकायों³⁵ में स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों ने कोई निरीक्षण नहीं किया। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों ने स्वच्छता निरीक्षकों और

33. अन्ता, भवानीमण्डी, देशनोक, फतेहनगर, मंगरोल, पिड़ावा, सलूमबर, साम्भर, टोडाभीम और विराटनगर।

34. बारों (13 बैठकें), जयपुर (चार बैठकें), झालावाड़ (पांच बैठकें), पाली (एक बैठक), सोजतसिटी (दो बैठकें) और सुमेरपुर (नौ बैठकें)।

35. बारों, भवानी मण्डी, फतेहनगर, झालावाड़, करौली, मंगरोल, पिड़ावा, सलूमबर, साम्भर, टोडाभीम और विराटनगर।

स्वास्थ्य अधिकारियों की अपर्याप्तता के कारण इस तरह के निरीक्षण नहीं किया जाना बताया।

इस प्रकार, 73 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित प्रकरणों पर निगरानी हेतु स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का या तो गठन नहीं किया या कोई बैठक आयोजित नहीं की। अग्रेतर, स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षण में कमियां थीं।

(स) वार्षिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 के नियम 4(4) एवं 8 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 के नियम 12 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 18 के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। तदुपश्चात इस प्रतिवेदन को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

यह पाया गया कि जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों और 43 ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारियों और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किए।

अग्रेतर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए चार वर्षों (2012-13, 2014-15 से 2016-17), ई-अपशिष्ट के लिए तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) और प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए पांच वर्षों (2012-13 से 2016-17) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किए।

(द) राज्य स्तरीय परामर्श समिति

प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 का नियम 11 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 23 के अनुसार, तत्रैत नियमों के क्रियान्वयन पर अनुश्रवण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय परामर्श समिति का गठन किया जाना था। राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक 2016 तक वर्ष में एक बार और उसके पश्चात वर्ष में दो बार आयोजित की जानी थी।

राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु एक राज्य स्तरीय परामर्श समिति गठित की (फरवरी 2013) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय परामर्श समिति का गठन जनवरी 2018 तक विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के प्रावधानुसार, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नगरीय टोस अपशिष्ट नियम, 2000 के अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी। जो कोई इस अधिनियम/नियमों के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाये गए आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करेगा या अनुपालन करने में विफल रहेगा, ऐसी अवधि के लिए कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना जो ₹ एक लाख तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

इस संबंध में, अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी संबंधित प्राधिकारियों को प्रति वर्ष 30 जून या उससे पूर्व वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देश जारी (अगस्त 2011 एवं जनवरी 2015) किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। अग्रेतर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डनीय कार्यवाही नहीं की।

(य) कम करने, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां

अपशिष्ट के 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनः चक्रण' के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के साथ-साथ आम जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता होती है, जिससे पुनःचक्रण और कम करने की कूट-नीतियों हेतु महत्वपूर्ण सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन दिशा-निर्देश, 2014 के अनुसार, कुल केन्द्रीय आवंटन का 15 प्रतिशत 'सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों' हेतु निर्धारित किया जाएगा।

यह पाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2014 से राज्य के मात्र शहरी क्षेत्रों के लिए अपशिष्ट को 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनःचक्रण' के प्रोत्साहन हेतु सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। तथापि, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई थी। अग्रेतर, जांच कि गई 17 शहरी स्थानीय निकायों ने 2015-17 के दौरान, सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों अर्थात् विज्ञापन, बैनर, प्रचार-पुस्तिका आदि के लिए स्वीकृत राशि ₹ 2.22 करोड़ में से मात्र ₹ 0.22 करोड़ (9.91 प्रतिशत) व्यय किए। शेष पांच शहरी स्थानीय निकायों³⁶ और 43 जिला ग्राम पंचायतों ने सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए पहल नहीं की थी।

36. करौली, नदबई, सलूमबर, सोजत सिटी और सुमेरपुर।

इस प्रकार, सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियां निवासियों के बीच जागरूकता फैलाने में सक्षम नहीं थी।

(र) अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों की कार्यकारी परिस्थितियों पर प्रभाव का मूल्यांकन

यह पाया गया कि यद्यपि सभी 22 शहरी स्थानीय निकायों और तीन ग्राम पंचायतों³⁷ में अपशिष्ट का हस्त-चलित संचालन किया जा रहा था, 13 शहरी स्थानीय निकायों और सभी 43 ग्राम पंचायतों द्वारा सावधानी या सुरक्षा उपाय (दस्ताने, गम, जूते, मुखौटा इत्यादि) नहीं किए गए थे। शेष नौ शहरी स्थानीय निकायों में, उठाये गए सावधानी/सुरक्षा के उपाय अपर्याप्त पाए गए थे। न तो राजस्थान सरकार ने और न ही किसी भी जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों ने अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों के कार्यकारी परिस्थितियों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया।

वित्त पोषण, आधारभूत संरचना और अनुश्रवण तंत्र

यद्यपि जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने निधियों की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया था, 2015-17 के दौरान निधियों का उपयोग कम था, चूंकि स्वच्छ भारत मिशन के लिए राज्य स्तर पर आवंटित ₹ 292.81 करोड़ में से मात्र ₹ 60.57 करोड़ व्यय किए गए जिससे ₹ 232.24 करोड़ (79.31 प्रतिशत) का वृहद अव्ययित अवशेष रहा।

राजस्थान सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके वित्तीय प्रभावों के लिए श्रम-शक्ति, संयंत्र वाहनों और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, जांच की गई 22 शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत श्रम-शक्ति के संबंध में वर्तमान में कार्यरत श्रम शक्ति 33.35 प्रतिशत कम पाई गई थी।

वर्ष 2012-17 के दौरान, 73 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित मामलों पर निगरानी हेतु स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का या तो गठन नहीं किया और न कोई बैठक आयोजित की गई। कर्मचारियों की अत्याधिक अपर्याप्तता के कारण, स्वच्छता निरीक्षकों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कम किए गए। इसके अतिरिक्त, जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर 2012-17 के दौरान वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रेषित नहीं किए।

37. मनोहरपुर (पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर), मालनवास और सुमेर (पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़)।

अनुशंसाएं :

9. निधियों को सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान सरकार और शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गतिविधि-वार निधियों को आवंटित कर सकते हैं।

10. राज्य और शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के विकास हेतु श्रम-शक्ति, संयंत्र, वाहनों और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता और इसके वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए।

11. शहरी स्थानीय निकाय स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन कर, इनकी निर्धारित संख्या में बैठके आयोजित कर और आवश्यक संख्या में स्वच्छता निरीक्षकों/स्वास्थ्य प्राधिकारियों की नियुक्ति कर अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं।

4.1.7 निष्कर्ष

उत्पन्न अपशिष्ट का आंकलन, भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित अपशिष्ट, श्रम-शक्ति और वाहनों की आवश्यकता एवं अपशिष्ट से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न जोखिम का आंकलन राज्य स्तर पर साथ ही साथ जांच की गई 50 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों और सभी जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर नहीं किया गया था।

यद्यपि पर्याप्त अधिनियम, नियम एवं नीतियां उपलब्ध थी, अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों और सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट को 'कम करने, पुनःउपयोग और पुनः चक्रण' के लिए कोई प्रभावी कूट-नीतियां/योजनाएं नहीं थी। इस प्रकार, अपशिष्ट के 'कम उपयोग, पुनःउपयोग और पुनः चक्रण' के स्थान पर अधिकांश प्रयास निस्तारण रणनीति हेतु निर्देशित किए गए थे। जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र दो शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान और पंजीकरण किए थे। अग्रेतर, शास्ति उद्ग्रहण के लिए उप-नियमों और नामांकित प्राधिकारियों की अनुपस्थिति में नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित की गई थी। राजस्थान सरकार ने ई-अपशिष्ट के क्रियान्वयन हेतु एकीकृत योजना तैयार नहीं की थी।

ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों/नियमों का अनुपालन कमजोर था, वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के 55.41 प्रतिशत शहरी वार्डों में घर-घर से नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण नहीं किया गया था। जांच की गई सभी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट का

न तो पृथक्करण और न ही प्रसंस्करण किया जा रहा था और नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था। अग्रेतर, 22 में से मात्र तीन शहरी स्थानीय निकायों में भूमि-भरण स्थल निर्मित किये गए थे। तथापि इन भूमि-भरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में, जांच की गई 43 में से तीन ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट एकत्रित एवं पृथक्करण किया जा रहा था और बिना प्रसंस्करण किये नगरीय ठोस अपशिष्ट खुली भूमि पर डाला जा रहा था।

नमूना जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, संचालन, भण्डारण, परिवहन और निपटान के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था। इसलिए प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित किया जाना जारी रखा गया।

जांच की गई किसी भी शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया, जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ खुली भूमि पर डाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त, न तो जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों और न ही पंजीकृत निष्कासन फर्मों ने ई-अपशिष्ट को पुनःचक्रित किया जाना सुनिश्चित किया।

यद्यपि, 50 प्रतिशत जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों की आवश्यकता का आकलन किया, 2015-17 के दौरान निधियों का उपयोग कम था और राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आवंटित निधियों का 79.31 प्रतिशत निधियां अप्रयुक्त पड़ी थी। राजस्थान सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए श्रम-शक्ति, संयंत्र, वाहनों और अन्य आधारभूत ढांचे की आवश्यकता का आकलन नहीं किया। इसके अतिरिक्त जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में वर्तमान कार्यरत श्रम-शक्ति स्वीकृत क्षमता की तुलना में 33.35 प्रतिशत तक कम थी।

क्षमता निर्माण गतिविधियों का क्रियान्वयन न तो राज्य स्तर पर और न ही जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों पर किया गया था। ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट/ई-अपशिष्ट नियमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण शिथिल एवं अप्रभावी था।

अनुपालन लेखापरीक्षा

स्वायत्त शासन विभाग

4.2 कम वसूली

प्रीमियम, लीज किराए, रूपान्तरण एवं बाह्य विकास प्रभार की राशि ₹ 2.49 करोड़ की कम वसूली।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 का नियम 7 प्रावधित करता है कि भू-उपयोग परिवर्तन का अनुमति आदेश भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 45 दिवस में जारी किया जाएगा। तत्रैव नियम 9 एवं 11 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रीमियम तथा लीज किराया (नगरीय निर्धारण) की मांग-पत्र जारी करने के 90 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा प्रीमियम तथा लीज किराया जमा करवाए जाने पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा आवेदक को लीज-डीड जारी एवं भूमि आवंटन किया जाएगा। अग्रेतर, प्रीमियम एवं लीज किराया जमा कराने के लिए आवेदक को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अतिरिक्त 90 दिन और दिए जा सकते हैं। यदि आवेदक मांग पत्र की प्राप्ति की दिनांक से छः माह समाप्ति के पश्चात भी उस राशि को जमा कराने में विफल रहता है तो अनुमति आदेश निरस्त माने जाएंगे।

राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 का नियम 7 (1) प्रावधित करता है कि नगरीय निर्धारण (भूमि किराया) आवासीय प्रयोजन के प्रकरण में आरक्षित मूल्य का 2.50 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/अन्य प्रयोजन के प्रकरण में आरक्षित मूल्य का पांच प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना था। यदि आवंटी नगरीय निर्धारण या लीज किराया एक मुश्त जमा कराना चाहता है, तो यह पूर्ण वार्षिक निर्धारण का आठ गुना होगा। 'आवासीय लागत' भूमि के आवासीय उपयोग के निर्धारित प्रीमियम के चार गुना के बराबर थी। स्वायत्त शासन विभाग ने परिपत्र (अप्रैल 2011) द्वारा स्पष्ट किया कि आवासीय भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण पर, लीज किराया की गणना आवासीय आरक्षित मूल्य के पांच प्रतिशत प्रति वर्ष पर की जाएगी।

शहरी विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार (मई 2011), 2001 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए समूह आवास एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अन्तर्गत विकसित अथवा निजी क्षेत्र में अन्य योजनाओं के विकास पर बाह्य विकास प्रभार ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकासकर्ता से वसूल किया जाना चाहिए।

नमूना जांच में प्रकट हुआ कि :

(अ) नगरपालिका मंडल, उनियारा (टोंक) में (अप्रैल 2016), कृषि भूमि का आवासीय उद्देश्यों हेतु भू-रूपान्तरण के पांच प्रकरणों में, नगरपालिका मंडल ने प्रचलित प्रावधानों के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनुमति एवं ले-आउट प्लान अनुमोदित किया। मांग जारी होने के तीन वर्ष पश्चात् भी, आवेदकों ने प्रीमियम, लीज किराया और बाह्य विकास प्रभार की कुल वसूली योग्य राशि ₹ 1.35 करोड़ के विरुद्ध मात्र आंशिक राशि (₹ 0.21 करोड़) जमा करवाई थी।

नगरपालिका मंडल ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(ए) के अन्तर्गत ना तो आवेदकों की बेदखली की कार्यवाही की और ना ही बकाया ₹ 1.14 करोड़ की वसूली की (परिशिष्ट-XV)।

(ब) नगर परिषद, जालौर (मार्च 2016) एवं नगरपालिका मंडल, फतेहपुर शेखावटी (जनवरी 2017) में कृषि से आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के 16 प्रकरणों में नगर परिषद, जालौर ने प्रीमियम और लीज किराया अधिसूचित दर के बजाए कम दर से गणना की। प्रीमियम और लीज किराए की वसूली योग्य राशि ₹ 99.81 लाख के विरुद्ध मात्र ₹ 64.70 लाख वसूल किए गए (परिशिष्ट-XVI)। अग्रेतर, नगर परिषद, फतेहपुर शेखावटी ने कृषि से आवासीय उद्देश्य के भू-उपयोग परिवर्तन के दो प्रकरणों में प्रीमियम की गणना कम दर पर की और वसूली योग्य राशि ₹ 19.70 लाख के विरुद्ध मात्र ₹ 3.12 लाख वसूली किए गए थे (परिशिष्ट-XVII)।

इस प्रकार, प्रीमियम और लीज किराए की कम वसूली के कारण, उपरोक्त स्थानीय निकाय ₹ 51.69 लाख (₹ 35.11 लाख + ₹ 16.58 लाख) के राजस्व से वंचित रहे।

(स) नगर परिषद, श्रीगंगानगर (जनवरी 2016) में, आवासीय क्षेत्र के 11 मालिकों/धारकों द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया था। नगर परिषद ने रूपान्तरण प्रभार एवं लीज किराए के क्रमशः ₹ 50.80 लाख और ₹ 28.80 लाख के स्थान पर ₹ 25.91 लाख और ₹ 3.02 लाख वसूल किए। इस प्रकार, रूपान्तरण प्रभार एवं लीज किराए की कम दर (गणना आवासीय आरक्षित मूल्य के 40 प्रतिशत के आधार पर नहीं की गई थी) पर गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 50.67 लाख (परिशिष्ट-XVIII) की कम वसूली हुई।

(द) नगर परिषद, बांसवाडा (दिसम्बर 2016) के भू-उपयोग परिवर्तन के 10 प्रकरणों में नगर परिषद ने लीज किराया आवासीय आरक्षित दर के पांच प्रतिशत पर राशि रूपये ₹ 54.56 लाख के स्थान पर रूपान्तरण शुल्क के पांच प्रतिशत

पर राशि ₹ 21.82 लाख की गणना की। इस प्रकार ₹ 32.74 लाख की कम वसूली हुई (परिशिष्ट-XIX)।

प्रकरण राजस्थान सरकार को (जून और जुलाई 2017) संदर्भित किया गया, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।

4.3 सड़क कटाव प्रभार की वसूली का अभाव

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सड़क कटाव प्रभार ₹2.45 करोड़ की वसूली का अभाव।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 184 भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 या इस धारा के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई अन्य विधियों के अधीन किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी सड़कों के सब-वे मार्ग में किसी सांविधिक या अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करायी गयी विभिन्न लोक उपयोगिताओं, जिसमें विद्युत प्रदाय, टेलिफोन या अन्य संचार सुविधाएं, गैस-पाइप, जल-प्रदाय, जल-निकासी और सीवरेज आदि के विशिष्ट अधिकारों के संबंध में नगरपालिका द्वारा स्वीकृति प्रदान के लिए राज्य सरकार को अधिकार देती है। अग्रेतर, क्षति के कारण मरम्मत की लागत संबंधित विभाग/निकाय द्वारा वहन किया जाना था।

नगर परिषद, बाड़मेर (नवम्बर 2016) और बालोतरा (दिसम्बर 2016) के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बाड़मेर ने विभिन्न स्थानों पर 11 केवी लाइन और लो-टेंशन क्रॉस-लिंक पॉलीथीन केबल लाइन बिछाने की अनुमति मांगी (जून 2014)। नगर परिषद ने सड़क कटाव हेतु ₹ 1.49 करोड़ का मांग पत्र जारी (मार्च 2015) किया तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ₹ 0.51 करोड़ जमा कराए (मार्च 2015) और शेष राशि ₹ 0.98 करोड़ 45 दिवस के भीतर जमा करवाने का आश्वासन दिया (अप्रैल 2015) लेकिन यह नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, बालोतरा में 1997 से 2016 तक जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पाईपलाइन बिछाई गई जिसके विरुद्ध सड़क कटाव हेतु राशि ₹ 1.47 करोड़ बकाया थी। इसके परिणामस्वरूप जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ₹ 2.45 करोड़ (₹ 0.98 करोड़ + ₹ 1.47 करोड़) के सड़क कटाव प्रभार की वसूली का अभाव रहा।

प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित (मार्च 2017) किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।

4.4 राजस्व की हानि

नगर निगम, अजमेर द्वारा साइनेज बोर्डों की स्थापना हेतु स्थलों का चयन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

नगर निगम³⁸, अजमेर ने अजमेर शहर के सौंदर्यीकरण हेतु निर्मित परिचालन एवं स्थानान्तरण (बी.ओ.टी.) आधार पर नवीनतम तकनीकों के साथ गैन्ट्रीज, यूनियोल, साइनेज बोर्ड, ट्रेफिक बूथ, सार्वजनिक मूत्रालय निर्मित करने का निर्णय लिया।

नगर निगम, अजमेर के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2016) में प्रकट हुआ कि साइनेज बोर्डों एवं यूनियोलों की स्थापना हेतु बोली आमंत्रित (सितम्बर 2007) की गई। उच्चतम बोलीदाता फर्म 'अ' को आशय का पत्र (एलओआई) जारी (नवम्बर 2007) किया गया। नगरपालिका (क्रय एवं संविदा) नियम, 1974 एवं बी. ओ.टी के जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की शर्त सहित स्वायत्त शासन विभाग द्वारा साइनेज बोर्डों और यूनियोलों को निर्मित करने का प्रस्ताव जनवरी 2008 में अनुमोदित किया गया। तदनुसार फर्म 'अ' से 30 साइनेज बोर्डों और 50 यूनियोलों की स्थापना हेतु अनुबंध किया (मई 2008) गया। अनुबंध की नियम और शर्तों के अनुसार निर्माण की अवधि अनुबंध की तिथि से छः माह होगी, और छूट अवधि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 15 वर्ष की होगी और नगर निगम, अजमेर द्वारा परिमाण सहित साइट-प्लान प्रस्तुत करने पर लिखित में कार्यदेश जारी करेगा। फर्म द्वारा नगर परिषद, अजमेर को प्रत्येक साइनेज बोर्ड और यूनियोल के लिए क्रमशः ₹ 69,000 और ₹ 84,000 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान चक्रवृद्धि आधार पर पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की शर्त सहित करना था। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के धारा 4 के अनुसार, साइनेज बोर्डों और यूनियोलों के निर्माण के लिए संवेदक को परिमाण सहित एक साइट-प्लान प्रस्तुत करना था, तदपश्चात् लिखित कार्यदेश जारी किया जाना था।

यूनियोलों की स्थापना का कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण हो गया था और फर्म द्वारा नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा था। तथापि, फर्म द्वारा अभी तक किसी भी साइनेज बोर्डों का निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि नगर निगम, अजमेर द्वारा इसके लिए स्थल का चयन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, संवेदक ने कार्य आवंटन के समय से सितम्बर 2016 तक बार-बार स्थल चयन के लिए निवेदन किया, परन्तु नगर निगम ने अभी तक साइनेज बोर्डों हेतु स्थल चयन नहीं किया। इस प्रकार, मार्च 2017 तक नगर निगम, अजमेर द्वारा साइनेज बोर्डों

38. पूर्व में नगर परिषद, अजमेर नाम था।

की स्थापना हेतु स्थलों का चयन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.14 करोड़³⁹ की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को मार्च 2017 में संदर्भित किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।

4.5 बेहतरी प्रभार की कम वसूली/वसूली का अभाव

नगर निगम, बीकानेर एवं नगर परिषद, नागौर द्वारा भवनों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर आवेदकों से ₹ 1.98 करोड़ के बेहतरी प्रभार की कम वसूली/वसूली का अभाव।

राजस्थान भवन विनियम 2010 एवं 2013 विहित करते हैं कि आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों हेतु अनुमत्य फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 एवं अधिकतम 2.25 तक होना चाहिए। यदि फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 से अधिक होता है, तो अधिक फ्लोर एरिया अनुपात हेतु अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व बेहतरी प्रभार (नियम 8.2 व 8.3) निम्न दरों पर प्रभारित किया जाना चाहिए :

(अ) आवासीय भवन - क्षेत्र के फ्लोर एरिया अनुपात के अन्तर पर बेहतरी प्रभार ₹ 100 प्रति वर्ग फीट या आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्रभारित किया जाना चाहिए।

(ब) वाणिज्यिक भवन - क्षेत्र के फ्लोर एरिया अनुपात के अन्तर पर बेहतरी प्रभार ₹ 200 प्रति वर्ग फीट अथवा वाणिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्रभारित किया जाना चाहिए।

(स) आवासीय/वाणिज्यिक भवन - क्षेत्र के फ्लोर एरिया के अनुपात 2.25 से अधिक के अन्तर पर बेहतरी प्रभार आरक्षित दर का 30 प्रतिशत या ₹ 100 प्रति वर्ग फीट जो भी अधिक हो, प्रभारित किया जाना चाहिए।

नगर निगम, बीकानेर एवं नगर परिषद, नागौर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2016) में प्रकट हुआ कि तीन आवेदकों ने दो आवासीय व एक वाणिज्यिक भवन के निर्माण हेतु आवेदन किया जिनका फ्लोर एरिया अनुपात 1.33 से अधिक था। नगर निगम, बीकानेर व नगर परिषद, नागौर ने राशि ₹ 1.98

39. दिसम्बर 2008 से मार्च 2009: ₹ 6.90 लाख (₹ 69,000 की दर से), 2009-10: ₹ 21.74 लाख (₹ 72,450 की दर से), 2010-11: ₹ 22.82 लाख (₹ 76,073 की दर से), 2011-12: ₹ 23.96 लाख (₹ 79,877 की दर से), 2012-13: ₹ 25.16 लाख (₹ 83,871 की दर से), 2013-14: ₹ 26.42 लाख (₹ 88,065 की दर से), 2014-15: ₹ 27.74 लाख (₹ 92,468 की दर से), 2015-16: ₹ 29.13 लाख (₹ 97,091 की दर से) और 2016-17: ₹ 30.58 लाख (₹ 1,01,946 की दर से) योग : ₹ 214.45 लाख (₹ 2.14 करोड़)।

करोड़ (परिशिष्ट-XX) का बेहतरी प्रभार आवेदकों से वसूल नहीं किया तथा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुमति प्रदान की।

प्रकरण राज्य सरकार को मार्च 2017 में संदर्भित किया गया; प्रत्युत्तर प्रतिक्षित (जनवरी 2018) है।

4.6 निष्फल व्यय एवं राजस्व की हानि

नगर निगम, उदयपुर में विद्युत खंभों पर डिस्प्ले बोर्डों एवं यूनियोपल/साइनेज पर संयुक्त ₹ 1.44 करोड़ का निष्फल व्यय एवं राजस्व की हानि।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों की सुरक्षा एवं संरक्षण की संभावनाओं में सुधार हेतु राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देश (मई 2008) जारी किए। झील के संरक्षण हेतु सार्वजनिक जागरूकता एवं सार्वजनिक सह-भागिता दिशा-निर्देशों में उल्लिखित गतिविधियों में से एक थी। झील संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अन्तर्गत, उदयपुर शहर का चयन किया गया और विभिन्न स्थानों पर यूनियोपल और साइनेज बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 105 (सी) (iii) नगरपालिका को उनके अधीन निहित विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन के लिए उपयोग की जाने वाली स्थलों की अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क एवं शास्ति उद्गृहित करने का अधिकार देती है।

नगर निगम, उदयपुर के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि :

(अ) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत दो भागों में एक खुली निविदा आमंत्रित (अगस्त 2011) की गई अर्थात् (i) विभिन्न स्थानों पर यूनियोपल/साइनेज बोर्डों की आपूर्ति, निर्माण, स्थापित, परीक्षण और प्रारम्भ करना और (ii) यूनियोपल/साइनेज बोर्डों पर एक तरफ संवेदक के लिए और दूसरी तरफ नगर निगम के लिए विज्ञापन अधिकार सहित अनुरक्षण, संचालन एवं हस्तान्तरण 10 वर्षों (मार्च 2016) के लिए करना।

भाग-प्रथम के लिए 33 यूनियोपलों/साइनेज बोर्डों/ट्राईविजन के निर्माण हेतु ₹ 23.52 लाख और भाग-द्वितीय के लिए ₹ 17.50 लाख प्रति वर्ष 10 वर्षों तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की संचयी वृद्धि की शर्त सहित फर्म 'अ' को कार्यादेश दिया गया (सितम्बर 2011)। भाग-प्रथम के कार्य की प्रारम्भ एवं पूर्णता की निर्धारित तिथि क्रमशः 8 अक्टूबर 2011 एवं 7 जनवरी 2012 थी। फर्म 'अ' ने ₹ 19.15 लाख के व्यय पश्चात् 31 यूनियोपल और साइनेज बोर्डों का निर्माण किया (जनवरी 2012)। चूंकि फर्म ने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया, अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना में

नगर निगम को कार्य का पुनः आवंटन करना था। यद्यपि, कार्य के आवंटन के स्थान पर नगर निगम, उदयपुर ने अपूर्ण कार्य (जुलाई 2012) पर राशि ₹ 11.35 लाख का भुगतान किया और शेष राशि ₹ 7.80 लाख को रोक दिया क्योंकि संवेदक ने समय पूर्व कार्य छोड़ दिया था।

अग्रेतर लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्मित किए गए यूनिपोलों और साइनेज बोर्डों का उपयोग जुलाई 2017 तक नहीं किया गया था जो की निम्न छायाचित्रों से स्पष्ट है:



इस प्रकार, यूनिपोलों/साइनेज बोर्डों के निर्माण पर किए गए ₹ 0.11 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

नगर निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2017) एवं अवगत कराया कि प्रतिभूति निक्षेप के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के ₹ 0.02 करोड़ समायोजित कर लिये जाएंगे। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि न तो झील संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सका न ही नगर निगम विज्ञापनों के प्रदर्शन से राजस्व उत्पन्न कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.11 करोड़ का निष्फल व्यय और ₹ 1.07 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि निर्मित किए गए यूनिपोलों/साइनेज बोर्डों के गैर-उपयोग के परिणामस्वरूप झील संरक्षण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता प्राप्त नहीं की जा सकी, नगर निगम, उदयपुर विज्ञापन से प्रस्ताव में परिकल्पित ₹ 1.07 करोड़⁴⁰ का राजस्व अर्जित नहीं कर सका। नगर निगम ने तीन वर्षों से अधिक व्यतीत होने के पश्चात् भी कार्य को पुनः आवंटित करने का कोई प्रयास नहीं किया।

(ब) नगर निगम, उदयपुर ने विद्युत खंभों पर छोटे डिस्प्ले बोर्डों हेतु 1 नवम्बर 2013 से 30 अक्टूबर 2014 एवं 1 नवम्बर 2014 से 30 अक्टूबर 2015 अवधि के लिए क्रमशः ₹ 51 लाख एवं ₹ 56 लाख की अनुज्ञप्ति एक फर्म को दिया (नवम्बर 2013)।

फर्म ने पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित ₹ 61.60 लाख के लिए उपरोक्त अनुबन्ध को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव

40. 2012-13: ₹ 0.18 करोड़, 2013-14: ₹ 0.19 करोड़, 2014-15: ₹ 0.21 करोड़, 2015-16: ₹ 0.23 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 0.26 करोड़ (योग : ₹ 1.07 करोड़)।

(अक्टूबर 2015) रखा, जिसे नगर निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और दिसम्बर 2015 में नवीन निविदा आमंत्रित की गई। अन्त में 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क ₹ 60.25 लाख का अनुबन्ध मई 2016 में उसी फर्म के साथ किया गया एवं जून 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे ₹ 1.35 लाख (₹ 61.60 लाख - ₹ 60.25 लाख) की राजस्व हानि हुई (जनवरी 2017)।

यद्यपि अक्टूबर 2015 में पूर्व अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो गई थी, नगर निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण, नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक कोई राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया के अन्तिमिकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 26.45 लाख (₹ 25.10 लाख⁴¹ + ₹ 1.35 लाख⁴²) की राजस्व हानि हुई।

4.7 विवाह स्थलों से वार्षिक अनुमति/पंजीकरण शुल्क की वसूली कम/नहीं होना

स्वायत्त शासन विभाग के अनुमोदन के बिना वार्षिक अनुमति शुल्क को मनमाने ढंग से घटाए जाने एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली के अभाव के परिणामस्वरूप विवाह स्थलों से ₹ 97.12 लाख की कम वसूली।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340 प्रावधित करती है कि प्रत्येक नगरपालिका ऐसी उपविधियां तैयार कर सकती है जो अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से असंगत न हो। राजस्थान सरकार ने 2010 में विवाह स्थलों के पंजीकरण के लिए मॉडल उपविधियां अधिनियमित की एवं सभी नगर निकायों को उनके क्षेत्राधिकार में कार्यान्वयन हेतु उपविधियों को अंगीकार/संशोधित किया जाना था। उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने विवाह स्थलों के पंजीकरण हेतु अपनी उपविधियां अधिसूचित (दिसम्बर 2010) की। उपविधियों की धारा 10(ए) के अनुसार, पंजीकरण शुल्क ₹ 20,000 एवं विवाह स्थल के उपयोग हेतु वार्षिक अनुमति शुल्क 20 प्रति वर्ग गज अधिसूचित किए गए। यह भी प्रावधित किया गया कि यदि उपरोक्त निर्धारित प्रभारों को जमा नहीं कराया जाता है तो प्रथम तीन माह के लिए कुल देय राशि का 10 प्रतिशत शास्ति लगाई जायेगी और उसके पश्चात् ₹ 50 प्रतिदिन विलम्ब शुल्क (शास्ति) के रूप में वसूल किया जाएगा।

नगर परिषद, श्रीगंगानगर के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2016) में प्रकट हुआ कि वर्ष 2010 से नगर परिषद क्षेत्र में 18 पंजीकृत विवाह स्थल वार्षिक अनुमति

41. पांच माह के लिए राजस्व हानि = ₹ 60.25 लाख/12 माह x पांच माह = ₹ 25.10 लाख।

42. ₹ 61.60 लाख (संवेदक द्वारा प्रस्तावित राशि) - ₹ 60.25 लाख (अन्तिम स्वीकृत राशि) = ₹ 1.35 लाख।


शुल्क जमा कराए बिना परिचालन में थे। इसके अतिरिक्त, इन विवाह स्थलों ने अप्रैल 2015 से पूर्व बकाया अपने पंजीकरण का नवीनीकरण भी आगामी पांच वर्षों के लिए नहीं कराया।

दिनांक 1 मार्च 2013 की बोर्ड की बैठक के निर्णयानुसार, नगर परिषद, श्री गंगानगर ने वार्षिक अनुमति शुल्क ₹20 प्रति वर्ग गज से घटाकर ₹पांच प्रति वर्ग गज कर दिया एवं प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित (8 मई 2015) किया। तथ्य यह है कि, स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव अस्वीकार करने के उपरान्त भी नगर परिषद ने विवाह स्थल स्वामियों से शपथ-पत्र/वचन-पत्र लेकर जुलाई 2015 से कम हुई दरों पर वार्षिक अनुमति शुल्क वसूल करना जारी रखा।

इस प्रकार, पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं किए जाने एवं स्वायत्त शासन विभाग के अनुमोदन के बिना वार्षिक अनुमति शुल्क को स्वेच्छा से घटाए जाने के परिणामस्वरूप विवाह स्थलों से ₹ 97.12 लाख (परिशिष्ट-XXI) की वसूली कम/नहीं हुई।

नगर परिषद ने अवगत (फरवरी 2018) कराया कि उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश की अनुपालना में 15 प्रकरणों के आदेश के विरुद्ध 12 प्रकरणों में 50 प्रतिशत राशि जमा की जा चुकी है।


प्रकरण राज्य सरकार को जून 2017 में संदर्भित किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2018)।



जयपुर,
दिनांक 25 जून 2018

(आर. जी. विश्वानाथन)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली,
दिनांक 2 जुलाई 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(संदर्भ अनुच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 3)

संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण का विवरण

क्रम सं.	विषय	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियाँ	कार्य	कार्मिक
1.	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार है	हाँ	हाँ	हाँ
2.	भूमि सुधार, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4.	पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5.	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6.	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7.	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8.	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
9.	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10.	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11.	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12.	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14.	ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
15.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17.	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
18.	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19.	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20.	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	नहीं	हाँ	नहीं
22.	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23.	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
24.	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25.	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26.	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27.	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29.	सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं।

* हस्तांतरित लेकिन अस्थायी रूप से वापस लिए।

परिशिष्ट-II

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 21)

संगठनात्मक ढांचा

स्तर	योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्राधिकरण	कार्य एवं उत्तरदायित्व
राज्य स्तर	राज्य रोजगार गारंटी परिषद	<ul style="list-style-type: none"> योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना, वरीयता प्राप्त कार्यों का निर्धारण, समय-समय पर अनुश्रवण एवं निराकरण तंत्र की समीक्षा करना, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
	राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में योजना के क्रियान्वयन का समग्र पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण और योजना के प्रभावी मूल्यांकन हेतु प्रतिष्ठित अभिकरणों को सूचीबद्ध करना।
जिला स्तर	जिला पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> योजना के क्रियान्वयन की आयोजना और समीक्षा हेतु मुख्य प्राधिकरण, जिला/ब्लॉक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्लान का अनुमोदन करना। परियोजनाओं के ब्लॉक-वार शेल्व का अनुमोदन एवं पूर्ण करना। स्वयं के एवं अन्य लाइन विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का निष्पादन करना। अधिनियम के क्रियान्वयन का समग्र पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
	जिला कार्यक्रम समन्वयक	<ul style="list-style-type: none"> जिला पंचायतों के कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। ब्लॉक पंचायत द्वारा तैयार योजनाओं का समेकन परियोजनाओं के शेल्व में सम्मिलित करने हेतु करना। अनुमोदन अनुसार और समन्वय सहित कार्यक्रम अधिकारी के प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करना । प्रगतिरत कार्यों का आवधिक निरीक्षण करना।
ब्लॉक स्तर	ब्लॉक पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> ब्लॉक स्तर पर कार्यों की योजना बनाना एवं कार्यों को वरीयता प्रदान करना एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना ।
	कार्यक्रम अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> तकनीकी व्यवहार्यता हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच करना। ब्लॉक स्तर पर कार्य की मांग के अनुरूप रोजगार के अवसरों का मिलान करना। (i) समयानुसार कार्यों का निष्पादन, (ii) कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान और (iii) सामाजिक अंकेक्षण को सुनिश्चित करना।
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	<ul style="list-style-type: none"> कार्य योजना बनाना, परिवारों का पंजीकरण करना, जॉब कार्ड जारी करना, रोजगार आवंटित करना और योजना के क्रियान्वयन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन करना।
लाइन विभाग एवं अन्य	लाइन विभाग - वन, सिंचाई आदि गैर सरकार संगठन	<ul style="list-style-type: none"> निष्पादित कार्यों के अनुमानों, माप, पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना। कार्यों का निष्पादन आदि ।

परिशिष्ट-III

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.5; पृष्ठ 22)

चयनित इकाईयों का विवरण

जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायतों की संख्या
बांसवाड़ा	आनन्दपुरी	बडलीयापाडा, छाजा, काजलिया, नाहरपुरा, पाटनवाधरा, टामटिया, तेजपुरा, उदयपुरा बड़ा	8
	गांगरतलाई	छालकातलाई, गडुली, झाझरवा कला, खोडालिम, रोहनिया, रोहनवाडी	6
	कुशलगढ़	बस्सी, बावलियापाडा, बिल्लीपाडा, डूंगरीपाडा, गोपालपुरा, झिकली, लोहारिया बड़ा, महुडा, मोखमपुरा, रूपगढ़	10
बाड़मेर	बाड़मेर	बालेरा, बाड़मेर आगौर, बेरीवाला तला, भादरेश, चूली, जुना पतरासर, कगाऊ, खारीया तला, कुड़ला, मारूदी, मुरटाला गाला, राणीगांव, रोहीली	13
	गडरारोड़	आसाडी, बिजावल, झणकली, खबडाला, खानियाणी, रतरेडी कला, बांडासर	7
	सिणधारी	अरणीयाली महेचान, एड सिणधरी, कमटाई, मोतीसरा, नाकोडा, निम्बलकोट, सणपा मानजी, सिणधरी चारणान	8
	सिवाना	भागवा, गोलिया, गुडा, कांखी, महिलावास, पऊ, सिवाना	7
भीलवाड़ा	आसीद	बदनोर, बरसनी, चतरपुरा, कालियास, मोटरास, निम्बाहेडा, रतनपुरा (भा), रघुनाथ पुरा, सरैरी, शंभु गढ, नेगडिया	11
	बिजौलिया	बिजौलिया कलों, भोपत पुरा, चाँद जी की खेड़ी, श्यामपुरा, विक्रमपुरा	5
	मांडल	आलमास, बावलास, भादू, भिमडियास, चांदरास, चिताम्बा, गोरखिया, ज्ञानगढ़, करेड़ा, कीड़िमाल, नारेली, थाणा	12
डूंगरपुर	आसपुर	आसपुर, भेवडी, गलियाणा, गणेशपुर, गोल, खलील, पारडा थुर	7
	दोवडा	धावडी, डोजा, फलोज, खेमपुर, पाल वसी, पूनाली	6
	गलियाकोट	डैयाना, दीवडा छोटा, गडा जसराजपुर, घाटा का गाँव, जोगपुर, रामसौर	6
जयपुर	चाकसू	बल्लपुरा, झापदाकलां, कादेडा, करेड़ाखुर्द, कोटखावदा, कुम्हारियावास, नरपतपुरा/हरिपुरा, शिवदासपुरा, थली, ठिकरिया मीणान	10
	पावटा	भौनावास, भूरी भडाज, बुचारा, फतेहपुरा खुर्द, पावटा, पाथरेडी, सुन्दरपुरा दादा	7
	सांगानेर	दांतली, जगन्नाथपुरा, कलवाडा, कपूरावाला, खेडी गोकुलपुरा, लाखना, मदाऊ, मुहाना, नेवटा, विधानी	10
	साम्भरलेक	ढाणी नागान, ड्योढी, ईटावा, जयसिंहपुरा, काजीपुरा, खेजड़ावास, लोहरवाडा, लूनियावास, मलिकपुरा, नोरंगपुरा, पचकोडिया, रलावता	12
जालौर	चितलवाना	भाटकी, भीमगुड़ा, चितलवाना, डूंगरी, दूठवा, केरिया, सेसावा, वीरावा	8
	जसवन्तपुरा	बासड़ाधनजी, बूगांव, कलापुरा, पावली, पूरण, रामसीन, साविदर	7
जोधपुर	बालेसर	बालेसर दुर्गावता, बस्तवा, बेलवा राणाजी, देवनगर, दुग्गर, गोपालसर, कुईइन्दा	7
	बाप	चिमाणा, जाम्बा, कल्यानसिंह की सीड, कानसिंह की सीर, नरायणपुरा, नूरे की बुर्ज, टेकरा, टेपू	8
	बापिनी	आउ, देणोक, ईन्दों का बास, कडवा, मोटानिया नगर, ओमपुरा, रिडमलसर, सियोल नगर	8
	सेखला	भालू राजवा, डेरिया, केतूमदा, नाथडाउ, सुखमण्डला, ढाहिया	6
नागौर	जायल	गोगरियाली, जलनियासर, जोचीणा, खेरट, रतंगा, रोट्ट, सोनेली, सुरपालिया, तंगाला, तरनऊ	10
	लाडनू	बालदू, छापरा, दुजर, इन्दिरापुरा, कसुम्बी अलीपुर, मीथरी, सांवरद, सुनारी	8
	मकराना	बेसरोली, भंइया कलां, चांडी, धननवाना, जाखली, जुसरी, मोदी चारना, नान्दौली मेरतिया, सरनवाडा	9
	नांवा	बरजन, भगवानपुरा, गोविन्दी, लुन्नवा, मुआना, पंचोटा	6
जिला परिषद 8	पंचायत समिति 27		ग्राम पंचायत 222

परिशिष्ट-IV

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.5; पृष्ठ 22)

मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों के अधिकारों एवं हकों के बारे में धारणा

कानूनों में प्रावधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को मनरेगा कई कानूनी अधिकारी प्रदान करता है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए अधिकारों और हकों पर श्रमिकों की संतुष्टि के स्तर का पता लगाने के लिए, अप्रैल से अक्टूबर 2017 के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा 218 चयनित ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण आयोजित कर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया था। 2,180 श्रमिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

लाभार्थी सर्वेक्षण और प्राप्त प्रतिक्रिया

पात्रता नम्बर	श्रमिकों के अधिकार	श्रमिक प्रतिक्रिया
1. जॉब कार्ड का अधिकार		
(i)	जॉब कार्ड का आधिपत्य	88 प्रतिशत के पास जॉब कार्ड स्वयं की अभिरक्षा में थे। 12 प्रतिशत के पास जॉब कार्ड स्वयं की अभिरक्षा में नहीं थे।
(ii)	नवीन जॉब कार्ड	56 प्रतिशत ने अपनी जेब से भुगतान किए बिना जॉब कार्ड प्राप्त किया था। 44 प्रतिशत ने अपनी जेब से भुगतान कर जॉब कार्ड प्राप्त किया था।
2. मांग के 15 दिवसों के भीतर कार्य प्राप्ति का अधिकार		
(i)	कार्य हेतु मांग	67 प्रतिशत ने मौखिक रूप से कार्य की मांग की थी तथापि कार्य मांग की बजाए उपलब्धता पर मुहैया कराया गया था। 33 प्रतिशत ने मांग पर कार्य उपलब्ध को संतोषजनक व्यक्त किया था।
(ii)	कार्य हेतु मांग के लिए विविध तंत्र	93 प्रतिशत ने कभी भी अन्य माध्यम (ग्राम पंचायत के अलावा) से कार्य की मांग नहीं की थी।
(iii)	पावती दिनांक	78 प्रतिशत को कार्य की मांग के संबंध में पावती नहीं दी गयी थी।
(iv)	कार्य आवंटन की सूचना	95 प्रतिशत ने कार्य के आवंटन की लिखित सूचना कभी भी प्राप्त नहीं की थी; तथापि कार्य के आवंटन के बारे में मेट ने मौखिक सूचना दी थी।
(v)	कार्य की निरन्तर उपलब्धता पर जोर	88 प्रतिशत ने बताया कि कार्य की निरन्तरता उपलब्धता को बजाय उपलब्धता पर मुहैया कराया गया। 12 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें कार्य आवंटन की सूचना प्राप्त हुई थी।
3. बेरोजगारी भत्ते का अधिकार		
		किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला।
4. योजना बनाने और परियोजना का शोल्फ तैयार करने का अधिकार		
		43 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने योजना बनाने और परियोजना के शोल्फ तैयार करने हेतु ग्राम सभा में कभी भी भाग नहीं लिया था।
5. पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर कार्य प्राप्ति का अधिकार		
		100 प्रतिशत ने पांच किलोमीटर के दायरे के भीतर कार्य प्राप्त किया था।

पात्रता नम्बर	श्रमिकों के अधिकार	श्रमिक प्रतिक्रिया
6. कार्य-स्थल सुविधा का अधिकार		
(i)	चिकित्सा सहायता	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर चिकित्सा सहायता सुविधा नहीं प्रदान की गई थी।
(ii)	पेयजल	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर पेयजल सुविधा प्रदान की गई थी।
(iii)	छाया सुविधा	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर छाया सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(iv)	शिशु-गृह	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर शिशु-गृह सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।
(v)	5/6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना	100 प्रतिशत ने बताया कि कार्य-स्थल पर 5/6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल हेतु किसी भी व्यक्ति को नहीं लगाया था।
(vi)	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बीमा	97 प्रतिशत ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों हेतु उन्हें किसी भी योजना के तहत बीमा नहीं किया गया है।
7. मजदूरी दर अधिसूचित करने का अधिकार		
		70 प्रतिशत ने अवगत कराया कि उन्हें अधिसूचित मजदूरी दर के भुगतान की बजाए संयुक्त कार्य आधार के अनुसार एवं अनुपातिक रूप में मजदूरी प्राप्त हुई थी।
8. 15 दिवसों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार		
		64 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें 15 दिवसों के भीतर मजदूरी नहीं मिली। 36 प्रतिशत मजदूरी भुगतान के संबंध में सन्तुष्ट दिखाई दिए।
9. मजदूरी भुगतान में विलम्ब हेतु मुआवजे का अधिकार		
		73 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें मजदूरी भुगतान में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी थी ।
10. शिकायतों का समयबद्ध समाधान		
		68 प्रतिशत को शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ सहायता लाइन नम्बरों की जानकारी नहीं थी।

श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में लाभार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया में नरेगा के क्रियान्वयन में (जॉब कार्ड के अधिकार और पांच किलोमीटर दायरे के भीतर कार्य प्राप्ति के अधिकार और कार्य-स्थल पर पेयजल सुविधाओं के अतिरिक्त) संतुष्टि की कमी थी।

परिशिष्ट-V

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.8.4; पृष्ठ 37)

तालाब/तालाई/नाडा/नाडी/जोहड़/नाला/माइनर/नहर/एनिकट आदि के खुदाई से संबंधित कार्यों का विवरण।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
1.	सिवाना/ सिवाना/ बाड़मेर	राडिया वाला में राता नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 12.79 लाख पूर्णता की दिनांक : मार्च 2013 व्यय : ₹ 12.59 लाख	नाडी को 4.5 मीटर गहराई तक खोदा जाना था; तथापि, केवल 0.3 मीटर तक खोदा गया था। इसलिए नाडी खोदने का प्रयोजन विफल रहा क्योंकि मानसून में भी नाडी में जल नहीं था।
2.	गोलिया/ सिवाना/ बाड़मेर	खोरीश्वर नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.93 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2015 व्यय : ₹ 9.67 लाख	नाडी का निर्माण पहाड़ी के तल पर किया गया था; तथापि वर्तमान में कोई निर्माण उपलब्ध नहीं था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य बह गया था। इस प्रकार जल संरक्षण हेतु नाडी निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।
3.	गोलिया/ सिवाना/ बाड़मेर	थारूदा नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.93 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 9.75 लाख	जलग्रहण क्षेत्र के बिना नाडी का निर्माण पहाड़ी के तल पर किया गया जिसके कारण जल एकत्र नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जल संरक्षण हेतु नाडी निर्माण का उद्देश्य विफल रहा।
4.	सारेरी/ आसीद/ भीलवाड़ा	भैरू खेड़ा के पास बाहय दीवार सहित नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 9.92 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 6.24 लाख	बाहय दीवार कार्य निष्पादित नहीं किया गया और वहां कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था। इन कमियों के कारण नाडी में जल उपलब्ध नहीं था।
5.	मोतरास/ आसीद/ भीलवाड़ा	गुर्जरो का सेजा पर नाडी और बाहय दीवार का निर्माण स्वीकृति की दिनांक : दिसम्बर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.05 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 4.22 लाख	बाहय दीवार निर्मित नहीं थी और जलग्रहण क्षेत्र उपलब्ध नहीं था क्योंकि नाडी खातेदारी की भूमि से घिरी हुई थी।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
6.	विक्रमपुरा/ बिजोलिया/ भीलवाड़ा	उम्मेद राजजी का खेड़ा पर नाडी निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.83 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2015 व्यय : ₹ 7.65 लाख	नाडी और नाडी के चारों ओर निर्मित दीवार ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित थी, पत्थर पिचिंग और पक्का कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
7.	थाली/ चाकसू/ जयपुर	कर्यावावली नाडी खुदाई और पिचिंग निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 7.51 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 5.36 लाख	नाडी निर्माण में केवल मिट्टी के कार्य निष्पादित किए गए थे। चूंकि पत्थर कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे, नाडी क्षतिग्रस्त हो गई थी।
8.	नूरी के बुर्ज/ बाप/ जोधपुर	अजेरी पर सब का नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 20 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2015 व्यय : ₹ 7.09 लाख	नाडी की खुदाई हेतु अनुपयुक्त स्थल का चयन और जलग्रहण क्षेत्र नहीं होने के कारण जल एकत्र नहीं किया जा सका।
9.	रिडमलसर/ बापिनी/ जोधपुर	धोदवालिया में नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 15 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 9.70 लाख	नाडी का निर्माण धोरा में किया गया था, इसलिए इसमें न तो जल था और न ही जलग्रहण क्षेत्र था।
10.	आड/ बापिनी/ जोधपुर	गोगाजी में नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2015 स्वीकृत राशि : ₹ 20 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2016 व्यय : ₹ 18.16 लाख	नाडी में न तो जल था और न ही जलग्रहण क्षेत्र था।
11.	देनोक/ बापिनी/ जोधपुर	नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2015 स्वीकृत राशि : ₹ 20 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2016 व्यय : ₹ 19.61 लाख	नाडी में न तो जल था और न ही जलग्रहण क्षेत्र था।
12.	चांडी/ मकराना/ नागौर	निम्बोलिया नाडी खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 24.89 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 26.64 लाख	मौजूदा निम्बोली नाडी के जलग्रहण में अनुपयुक्त कार्य निष्पादित थे और मौजूदा नाडी के आने वाले जल स्रोत बाधित हुए थे।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
13.	फतेहपुरा खुर्द/ पावटा/ जयपुर	कांकरिया वाला जोहड़ पर जोहड़ खुदाई स्वीकृति की दिनांक : फरवरी 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.96 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 6.45 लाख	कार्य अपूर्ण था, तथापि एमआईएस में पूर्ण दिखाया गया था। जलग्रहण क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए। इसके अलावा, वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र के समीप एक दीवार निर्मित की गई जिससे जल-प्रवाह रोक दिया गया। इसलिए एक स्थायी परिसम्मिति का सृजन नहीं हुआ।
14.	भूरीबदाज/ पावटा/ जयपुर	भूरीबदाज, नाडावाला डूंगरी पर जोहड़ खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 10 लाख पूर्णता की दिनांक : जनवरी 2015 व्यय : ₹ 8.43 लाख	कार्य अपूर्ण था, तथापि एमआईएस में पूर्ण दिखाया गया था। केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
15.	चाचा नेहरू नगर/ सुन्दरपुरा/ दादा	पयोरोदा, जोहड़ खुदाई एवं सुरक्षा दीवार कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.96 लाख पूर्णता की दिनांक : अगस्त 2016 व्यय : ₹ 4.72 लाख	कार्य अपूर्ण था, तथापि एमआईएस में पूर्ण दिखाया गया था और सुरक्षा दीवार कार्य जोहड़ के साथ निर्मित नहीं की गई थी।
16.	जयसिंहपुरा/ साम्भरलेक/ जयपुर	शमशान भूमि पर तलाई खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 9.62 लाख पूर्णता की दिनांक : जनवरी 2014 व्यय : ₹ 5.84 लाख	तलाई का निर्माण अपूर्ण था और तलाई में जल का प्रवाह नहीं था। बिना जलग्रहण के मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
17.	धनीनागन/ साम्भरलेक/ जयपुर	बी.एड. महाविद्यालय के समीप तलाई खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : अक्टूबर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 7.94 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2014 व्यय : ₹ 6.05 लाख	तलाई के बजाए नाले का निर्माण किया गया जिससे जल का भण्डारण नहीं हुआ था। केवल मिट्टी के कार्य किए गए जिससे स्थायी परिसम्पतियां प्रभावित हुईं।
18.	दांतली/ सांगानेर/ जयपुर	सिस्यावास तलाई खुदाई कार्य (2712008218/डब्ल्यूसी/112908112920) स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 9.51 लाख पूर्णता की दिनांक : अप्रैल 2016 व्यय : ₹ 8.42 लाख	तलाई में जल का प्रवाह नहीं था। बिना जलग्रहण के मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
तालाब बावड़ी कार्य			
19.	छतरपुरा/ आसीद/ भीलवाड़ा	रामपुरा की सीमा पर जल संरक्षण ढांचा निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.51 लाख पूर्णता की दिनांक : मार्च 2017 व्यय : ₹ 4.92 लाख	केवल कच्चे कार्य निष्पादित किए गए थे। ढांचे में जल नहीं था और यह जलग्रहण क्षेत्र नहीं था।
20.	बरसनी/ आसीद/ भीलवाड़ा	गणेशपुरा तालाब की गहराई, बाहय दीवारों की मरम्मत और पक्की नहर निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मई 2016 स्वीकृत राशि : ₹ 6.99 लाख पूर्णता की दिनांक : उपलब्ध नहीं व्यय : ₹ 5.88 लाख	तालाब सूखा था और बाहय दीवार और नहर कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे। केवल कच्चे कार्य निष्पादित थे।
21.	दोजा/ दोवादा/ डूंगरपुर	हंगारी वाले तालाब के सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य पुलिया सहित स्वीकृति की दिनांक : फरवरी 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.68 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2013 व्यय : ₹ 9.60 लाख	तालाब वर्षा ऋतु में सूखे थे और सौन्दर्यीकरण के कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
22.	कोटखावदा/ चाकसू/ जयपुर	देवासी की ढाणी में तालाब खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2010 स्वीकृत राशि : ₹ 23.79 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 17.26 लाख	केवल मिट्टी की खुदाई की गई और पत्थर पिचिंग कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
23.	कुम्हारियावास/ चाकसू/ जयपुर	तालाब खुदाई, सुरक्षा दीवार और पत्थर पिचिंग कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2009 स्वीकृत राशि : ₹ 14 लाख पूर्णता की दिनांक : मई 2013 व्यय : ₹ 8.68 लाख	केवल मिट्टी के कार्य निष्पादित थे, पत्थर पिचिंग और सुरक्षा दीवार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे। साथ ही तालाब में असमान प्रकार के गड्ढे थे।
24.	शिवदासपुरा/ चाकसू/ जयपुर	सांसियों की ढाणी के समीप तालाब खुदाई स्वीकृति की दिनांक : दिसम्बर 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 8.48 लाख पूर्णता की दिनांक : अगस्त 2013 व्यय : ₹ 5.28 लाख	कार्य अपूर्ण था तथापि एमआईएस में 08.07.2013 में कार्य पूर्ण होना दिखाया गया था। पत्थर पिचिंग और सुरक्षा दीवार कार्य निष्पादित नहीं थे। कार्यों का दोहराव - उपर्युक्त तालाब के

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
			लिए पुनः 02.01.2017 को ₹ 7.42 लाख स्वीकृत किए गए जिसके विरुद्ध ₹ 2.48 लाख व्यय किए गए। इस प्रकार, तालाब स्थल पर ₹ 8.76 लाख के व्यय के पश्चात् भी स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं हुआ और मिट्टी के कार्यों का दोहराव हुआ।
25.	पचकोडिया/ साम्भरलेक/ जयपुर	ग्राम पचकोडिया में तालाब खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2010 स्वीकृत राशि : ₹ 20.20 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 15.91 लाख	बिना जलग्रहण के केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
26.	खेजरावास/ साम्भरलेक/ जयपुर	जोगियों की डेयरी में तालाब खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 9.06 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2013 व्यय : ₹ 6.71 लाख	बिना जलग्रहण के केवल मिट्टी खुदाई के कार्य किए गए।
27.	हरीपुरा/ चाकसू/ जयपुर	दयाल सागर मुन्दराहेड़ी में तालाब खुदाई कार्य (2712013385/डब्ल्यूसी/112908132561) स्वीकृति की दिनांक : मई 2011 स्वीकृत राशि : ₹ 9.97 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 8.03 लाख	तालाब की मिट्टी की एक तरफ की दीवार (पाल) क्षतिग्रस्त थी, जिसने तालाब में जल संग्रहण असंभव कर दिया था।
चेक बांध का निर्माण कार्य			
28.	गणेशपुर/ असपुर/ डूंगरपुर	कटरवा उपला पर राजकीय भूमि पर चेक बांध निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : दिसम्बर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.81 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 3.91 लाख	चेक बांध छोटे पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया था, इस प्रकार इसकी कम मजबूती थी। चेक बांध में जल नहीं था।
29.	घाटा का गांव/ गलियाकोट/ डूंगरपुर	राजकीय भूमि पर हंगिया पहला पर पक्का चेक बांध निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : मई 2012 स्वीकृत राशि : ₹ 8.63 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2014 व्यय : ₹ 7.67 लाख	पहाड़ी और मिट्टी के तल पर मिट्टी के साथ केवल कच्चा बांध का निर्माण किया गया था। यह प्रतीत होता है कि कार्य बह गया था और बांध में पानी नहीं था।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
30.	दयाना/ गलियाकोट/ डूंगरपुर	नई तलावड़ी हेतु कच्चा बांध निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 8.58 लाख पूर्णता की दिनांक : दिसम्बर 2013 व्यय : ₹ 8.08 लाख	निर्मित चेक बांध टूट गया था और वर्षा का जल संग्रहित नहीं था।
31.	कदेरा/ चाकसू/ जयपुर	पिचिंग सहित बांध खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2008 स्वीकृत राशि : ₹ 24.35 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2013 व्यय : ₹ 18.85 लाख	पूर्णता प्रमाण-पत्र के बिना, एमआईएस में कार्य पूर्ण होना दिखाया गया था। केवल मिट्टी कार्य निष्पादित किए थे और पत्थर पिचिंग कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे।
32.	रामसीन/ जसवन्तपुरा/ जालोर	अतिप्रवाह जल के संग्रहण हेतु सुरक्षा दीवार सहित बांध निर्माण स्वीकृति की दिनांक : जून 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 24.67 लाख पूर्णता की दिनांक : दिसम्बर 2014 व्यय : ₹ 6.06 लाख	बांध की बजाए नदी के किनारे एक 359 फीट की दीवार का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, बांध से संबंधित अन्य कार्य भी पूर्ण नहीं थे।
नहर का निर्माण कार्य			
33.	बदनोर/ आसीद/ भीलवाड़ा	जैतसागर तालाब से प्रतापपुरा तालाब तक पक्का कार्य और नहर की मरम्मत कार्य स्वीकृति की दिनांक : जुलाई 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 9.58 लाख पूर्णता की दिनांक : मई 2014 व्यय : ₹ 5.44 लाख	मरम्मत कार्य की बजाए कच्ची नहर खोदी गई थी।
34.	राजा जी का खेड़ा/ मांडल/ भीलवाड़ा	फुटिया तालाब से गांव की तरफ नहर का निर्माण स्वीकृति की दिनांक : फरवरी 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 9.90 लाख पूर्णता की दिनांक : मार्च 2016 व्यय : ₹ 8.69 लाख	फुटिया तालाब नहर 20 फीट की सीमा तक क्षतिग्रस्त थी, इसलिए नहर उपयोग में नहीं आ रही थी।
35.	असपुर/ असपुर/ डूंगरपुर	नाला निर्माण कार्य स्वीकृति की दिनांक : अप्रैल 2010 स्वीकृत राशि : ₹ 9.84 लाख पूर्णता की दिनांक : अक्टूबर 2012 व्यय : ₹ 9.84 लाख	नाला मिट्टी और कचरे से अवरूद्ध था।

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का विवरण	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
36.	दोजा/ दोवाडा/ डूंगरपुर	घोडच्चा माइनर से सौन्दर्यीकरण कार्य स्वीकृति की दिनांक : अक्टूबर 2013 स्वीकृत राशि : ₹ 5.49 लाख पूर्णता की दिनांक : मई 2014 व्यय : ₹ 4.84 लाख	रेत और पत्थरों के टुकड़ों के कारण नहर अवरूद्ध थी जोकि वर्षा ऋतु के दौरान जल अतिप्रवाह का मूल कारण थी।
37.	पाउटा/ पावटा/ जयपुर	शिवनगर, खारनाली खुदाई कार्य स्वीकृति की दिनांक : जून 2014 स्वीकृत राशि : ₹ 10.69 लाख पूर्णता की दिनांक : जुलाई 2016 व्यय : ₹ 6.87 लाख	नाला खुदाई कार्य नाले के साथ साइड दीवारों के निर्माण के बिना निष्पादित किया गया था।
38.	मुन्दतरा सोमता/ जसवन्तपुरा/ जालोर	सिंधरा मुख्य नहर के सोमाता वितरक की मरम्मत स्वीकृति की दिनांक : अक्टूबर 2015 स्वीकृत राशि : ₹ 33.99 लाख पूर्णता की दिनांक : फरवरी 2016 व्यय : ₹ 7.90 लाख	यह पाया गया कि बांदी सिंधरा बांध के नहर की कुल लम्बाई 17105 मीटर थी। 2015 में आरडी 4680 से 5730 मीटर तक नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। अग्रेतर यह पाया गया कि आरडी 5730 से आगे मरम्मत कार्य निष्पादित किए गए। जल के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु क्षतिग्रस्त क्षेत्र में मरम्मत कार्य निष्पादित किए जाने चाहिए थे।
एनीकट का निर्माण कार्य			
39.	बारसनी/ आसीद/ भीलवाड़ा	हाजियास रोड़ पर एनीकट, बाहय दीवार और मोरी निर्माण स्वीकृति की दिनांक : मई 2016 स्वीकृत राशि : ₹ 6.93 लाख पूर्णता की दिनांक : उपलब्ध नहीं व्यय : ₹ 5.72 लाख	केवल कच्चा कार्य निष्पादित किया गया और मोरी का निर्माण नहीं किया गया। बाहय दीवार पहले से अस्तित्व में थी।
40.	हरीपुरा/ चाकसू/ जयपुर	ग्राम मुन्दराहेड़ी में एनीकट खुदाई स्वीकृति की दिनांक : मार्च 2009 स्वीकृत राशि : ₹ 24.94 लाख पूर्णता की दिनांक : जून 2016 व्यय : ₹ 19.90 लाख	स्वीकृति अनुसार एनीकट की बजाए केवल मिट्टी की दीवार का निर्माण किया गया था। इसलिए जल को रोकने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट-VI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.9.3; पृष्ठ 46)

मजदूरी के विलम्ब भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान

वर्ष	विलम्बित क्षतिपूर्ति					अस्वीकृति के कारण (दिवसों में)					विलम्बित क्षतिपूर्ति भुगतान (₹ में)	बकाया (₹ में)
	भुगतान योग्य (विलम्बित दिवसों में)	भुगतान योग्य राशि (₹ में)	स्वीकृत (विलम्बित दिवसों में)	स्वीकृत राशि	सत्यापित की जाने वाली राशि	अपर्याप्त निधि	प्राकृतिक आपदाएं	क्षतिपूर्ति बकाया नहीं	अन्य	कुल अस्वीकृत दिवस		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14 (6-13)
2013-14	119553702	59706372	521	304	34	13802161	46755876	47858052	11136792	119552881	23	281
2014-15	143981542	72603671	532146	323326	76075	547754	38148197	19407827	85144608	143248386	290030	33296
2015-16	195302344	111064515	3677000	2067435	232176	853854	103171634	47098410	40118204	191242102	2025437	41998
2016-17	69104716	44593740	4368751	3217491	-381203	शून्य	28917054	21359481	15106818	65383353	3140779	76712
योग	527942304	287968298	8578418	5608556	-72918	15203769	216992761	135723770	151506422	519426722	5456269	152287
			कुल भुगतान योग्य विलम्बित दिवसों का 1.62 प्रतिशत			कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 2.93 प्रतिशत	कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 41.78 प्रतिशत	कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 26.13 प्रतिशत	कुल अस्वीकृत विलम्बित दिवसों का 29.16 प्रतिशत	कुल भुगतान योग्य विलम्बित दिवसों का 98.38 प्रतिशत		

स्रोत : 4 जनवरी 2018 को सूचना प्रबन्धन प्रणाली नरेगासॉफ्ट के आंकड़े।

परिशिष्ट-VII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 71)

जिला परिषद, भीलवाड़ा और राजसमंद में नाली/सी.सी. ब्लॉक/पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित पांच कार्यों का विवरण।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अनिष्पादित कार्यों पर भारत राशि
1.	कालेतारा सड़क से रणजीत सिंह आवास तक सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत कोकरखेड़ा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	सितम्बर 2013/ फरवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क की आधार परत) सड़क बिछायी हुई नहीं थी। यद्यपि, माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट की 74.71 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.49
2.	मनीष जोशी आवास से मुख्य बाजार तक सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क (ग्राम पंचायत कोकरखेड़ा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	सितम्बर 2013/ फरवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क की आधार परत) सड़क बिछायी हुई नहीं थी। यद्यपि, माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट की 76.45 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.53
3.	भारत सिंह गुड़ा ग्राम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से दरवाजा तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत परदी, पंचायत समिति, देवगढ़, जिला परिषद, राजसमंद)	अगस्त 2013/ जनवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 4.00 व्यय : ₹ 3.99	आधार परत बिछायी नहीं गई थी जबकि माप पुस्तिका में 66.44 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.63
4.	नाली कार्य के साथ पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत, धुनवाला, पंचायत समिति, मांडल, जिला परिषद, भीलवाड़ा)	दिसम्बर 2014/ मई 2015 स्वीकृति : ₹ 3.50 व्यय : ₹ 3.49	पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट (सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क की आधार परत) सड़क बिछायी हुई नहीं थी। यद्यपि, माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट की 66.54 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	1.49
5.	ग्राम घनवाल में चौराहा से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गलेता तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत, फरारा, पंचायत समिति, राजसमंद, जिला परिषद, राजसमंद)	दिसम्बर 2013/ सितम्बर 2014 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 9.85	आधार परत बिछायी नहीं गई थी जबकि माप पुस्तिका में 160.83 घन मीटर मात्रा अभिलिखित थी।	3.49
	योग			9.63

परिशिष्ट-VIII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 71)

जिला परिषद, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद में नाली/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित आठ कार्यों का विवरण।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अनिष्पादित कार्यों पर भारत राशि
1.	कालेतरा से अदी मगरी तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक निर्माण (ग्राम पंचायत कोकरखेड़ा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ जनवरी 2016 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.85	माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट चार इंच अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट परत दो इंच कम निष्पादित थी।	0.67
2.	कोडादाई ग्राम में नाली सहित सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक निर्माण (ग्राम पंचायत कुशलपुरा, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ दिसम्बर 2015 स्वीकृति : ₹ 8.00 व्यय : ₹ 7.81	माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट 3.48 इंच अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट परत 1.48 इंच कम निष्पादित थी।	0.80
3.	हीरा लाल गुर्जर आवास से लाच्छू गुर्जर आवास तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत जलारिया, पंचायत समिति आसीद, जिला परिषद भीलवाड़ा)	दिसम्बर 2014/ जून 2015 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 10.00	माप पुस्तिका में पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट छः इंच अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट तीन इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट परत तीन इंच कम निष्पादित थी।	1.65
4.	दुर्गा सिंह आवास से राम लाल आवास तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग ब्लॉक सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत नरेली,	अक्टूबर 2014/ सितम्बर 2015 स्वीकृति : ₹ 6.00 व्यय : ₹ 5.98	औसत 3.80 इंच पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट माप पुस्तिका में अभिलिखित थी जबकि पूर्वनिर्मित सीमेंट कंक्रीट दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार, पूर्वनिर्मित सीमेंट	0.81

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अनिष्पादित कार्यों पर भारित राशि
	पंचायत समिति मांडल, जिला परिषद भीलवाड़ा)		कंक्रीट परत 1.80 इंच कम निष्पादित थी।	
5.	ग्राम जीरन में मुख्य सड़क से भील बस्ती हुए विद्यालय तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत, जीरन, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	2013-14/ दिसम्बर 2013 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.51	माप पुस्तिका में आधार और ऊपरी परत की मौटाई (प्रत्येक परत की औसत तीन इंच) छः इंच अभिलिखित थी जबकि यह चार इंच पाई गई थी। इस प्रकार आधार और ऊपरी परत दो इंच कम निष्पादित थी।	1.53
6.	पक्की सड़क से सीमर माता जी (स्वादरी बी) तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत स्वादरी, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2014/ मार्च 2015 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.69	माप पुस्तिका में ऊपरी परत पांच इंच अभिलिखित थी जबकि ऊपरी परत तीन इंच पाई गई थी। इस प्रकार ऊपरी परत दो इंच कम निष्पादित थी।	1.35
7.	खखरदा में लच्छूजी आवास से राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत कलेसरिया, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2013/ सितम्बर 2013 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 4.97	माप पुस्तिका में ऊपरी परत औसत 3.5 इंच अभिलिखित थी जबकि ऊपरी परत दो इंच पाई गई थी। इस प्रकार ऊपरी परत 1.5 इंच कम निष्पादित थी।	1.18
8.	बिजाली आवास से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत सिरयारी, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, जिला परिषद पाली)	दिसम्बर 2014/ जून 2016 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	माप पुस्तिका में आधार परत चार इंच (1:4:8) अभिलिखित थी जबकि यह तीन इंच पाई गई थी। इस प्रकार आधार परत एक इंच (1:4:8) कम निष्पादित थी।	0.50
	योग			8.49

परिशिष्ट-IX

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 72)

जिला परिषद, राजसमंद में नाली/सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक/पेवर इंटरलॉकिंग ब्लॉक सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण से संबंधित आठ कार्यों का विवरण।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अवास्तविक राशि
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुर्जरों के राहत के सामने से किशन सिंह आवास तक नाली सहित इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत फरारा, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2013/ जनवरी 2015 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 10.00	सड़क 1756 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 2044 फीट अभिलिखित थी। 288 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	1.42
2.	राजीव गांधी सेवा केन्द्र के समीप नाली सहित इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत मुन्डोल, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2013/ जनवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	सड़क 527 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 639 फीट अभिलिखित थी। 112 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.88
3.	मुख्य सड़क से भील बस्ती तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत बोरराज, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2013/ फरवरी 2014 स्वीकृति : ₹ 5.00 व्यय : ₹ 5.00	सड़क 692 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 888.5 फीट अभिलिखित थी। 196.5 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	1.10
4.	नदी से ईशरजी का खेड़ा तक सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत भीम, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2013/ जून 2014 स्वीकृति : ₹ 10.00 व्यय : ₹ 9.97	सड़क 1115 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 2380.50 फीट अभिलिखित थी। 1265.50 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	5.30
5.	केराराम आवास से खेड़ा की रेल, ग्राम सेलमा तक सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत बाली, पंचायत	मई 2014/ दिसम्बर 2014 स्वीकृति : ₹ 4.00 व्यय : ₹ 4.00	सड़क 690 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 1059.75 फीट अभिलिखित थी।	1.40

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति/पूर्णता की दिनांक और स्वीकृत/व्यय राशि	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	अवास्तविक राशि
	समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)		369.75 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	
6.	चारभुजा मन्दिर से आंगनवाड़ी गलेता, ग्राम धनवाल तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत फरारा, पंचायत समिति राजसमंद, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ दिसम्बर 2015 स्वीकृति : ₹ 7.00 व्यय : ₹ 6.92	सड़क 798 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 921.35 फीट अभिलिखित थी। 123.35 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.93
7.	रावाली पोल से बस स्टैण्ड, सलियों का खेड़ा तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत अन्जना, पंचायत समिति देवगढ़, जिला परिषद राजसमंद)	दिसम्बर 2014/ उपलब्ध नहीं स्वीकृति : ₹ 4.00 व्यय : ₹ 3.99	सड़क 182 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 240.3 फीट अभिलिखित थी। 58.30 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.97
8.	उपरला जेलवा से हनुमान मन्दिर गंगा की घाटी तक नाली सहित सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक सड़क निर्माण (ग्राम पंचायत थानेता, पंचायत समिति भीम, जिला परिषद राजसमंद)	अगस्त 2015/ जनवरी 2016 स्वीकृति : ₹ 8.00 व्यय : ₹ 7.76	सड़क 964 फीट पाई गई थी जबकि माप पुस्तिका में 1174 फीट अभिलिखित थी। 210 फीट लम्बाई की सड़क कम पाई गई थी।	0.94
योग				12.94

परिशिष्ट-X

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 72)

निष्फल निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	नाम			दिनांक		स्वीकृत राशि	व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
		ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	स्वीकृति	पूर्णता			
1.	डोल का वाडिया में पुस्तकालय भवन निर्माण	चैनपुरा	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	जून 2014	4.00	4.00	जून 2014 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
2.	मरेवदा के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय निर्माण	जलारिया	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	नवम्बर 2013	4.00	3.65	पुस्तकालय अनुपयोगी पड़ा था।
3.	चौहानियों की कमरी में राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	उमरी	मन्डा	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	अक्टूबर 2015	8.00	8.00	अक्टूबर 2015 से उप स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।
4.	सुलिया खेड़ा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	गोवर्धनपुरा	मांडल	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	मार्च 2014	8.00	7.90	मार्च 2014 से उप स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।
5.	जीरण में उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	जीरण	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2013	अगस्त 2014	7.58	5.64	अगस्त 2014 से उप स्वास्थ्य केन्द्र कर्मचारियों के पदस्थापन एवं संबंधित विभागों में हस्तान्तरण के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।
6.	आयुर्वेद भवन निर्माण	चैनपुरा	आसीद	भीलवाड़ा	फरवरी 2012	जनवरी 2013	5.00	4.43	भवन संबंधित विभाग को सौंपा नहीं गया था।
7.	राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, उमारी का निर्माण	उमारी	मांडल	भीलवाड़ा	अक्टूबर 2012	अगस्त 2016	5.00	4.87	अक्टूबर 2016 से अस्पताल भवन अधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में अनुपयोगी पड़ा था।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	नाम			दिनांक		स्वीकृत राशि	व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
		ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	स्वीकृति	पूर्णता			
8.	ग्राम पंचायत तुन्कडा में स्नानघर निर्माण	बामन	राजसमंद	राजसमंद	जून 2015	अक्टूबर 2016	2.00	2.00	निर्मित स्नानघर पेयजल आपूर्ति के अभाव में अप्रयुक्त पड़ा था।
9.	सवाईपुरा में सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर, बोर मोटर और जल टैंक निर्माण	छतरपुरा	आसीद	भीलवाड़ा	मार्च 2015	अक्टूबर 2016	5.00	3.13	अगस्त 2016 से विद्युत कनेक्शन के अभाव में कार्य अनुपयोगी पड़े थे।
10.	नाली सहित सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं दुकानों का निर्माण	औड़ीयाना	आसीद	भीलवाड़ा	दिसम्बर 2014	अगस्त 2016	7.00	7.00	अगस्त 2016 से आवंटन के अभाव में दुकानें अनुपयोगी पड़ी थी।
11.	सुलभ काम्प्लेक्स का निर्माण	बदनौर	आसीद	भीलवाड़ा	दिसम्बर 2014	मार्च 2017	5.00	5.00	सुलभ काम्प्लेक्स अनुपयोगी पड़े थे।
12.	ग्राम मोगर में दीवार, मोटर, विद्युत कनेक्शन एवं पाइप-लाइन बिछाने का निर्माण	मोगर	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	जून 2014	10.00	9.98	विद्युत कनेक्शन के अभाव में कार्य अनुपयोगी (जून 2014) पड़े थे।
13.	मोती सिंह के आवास के सामने सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, सड़क का वाडिया	शिवपुर	मांडल	भीलवाड़ा	अक्टूबर 2013	अक्टूबर 2015	3.00	2.88	अक्टूबर 2015 से विद्युत और जन सुविधाओं के अभाव में सामुदायिक केन्द्र अनुपयोगी पड़ा था।
14.	पुस्तकालय भवन का निर्माण	चैनपुरा	आसिंद	भीलवाड़ा	अक्टूबर 2013	अप्रैल 2014	6.00	6.00	अप्रैल 2014 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
15.	माताजी स्थान मोहारा के समीप पुस्तकालय भवन का निर्माण	जलारिया	आसिंद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	नवम्बर 2013	3.00	2.99	नवम्बर 2013 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
16.	भगवानपुरा ग्राम में पुस्तकालय भवन निर्माण	औड़ीयाना	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	जून 2014	3.00	2.40	जून 2014 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
17.	पुस्तकालय भवन निर्माण	जलारिया	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	नवम्बर 2013	4.00	3.97	नवम्बर 2013 से भवन अनुपयोगी पड़ा था।
योग							89.58	83.84	
₹ करोड़ में							0.90	0.84	

परिशिष्ट-XI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2; पृष्ठ 72)

इच्छित उद्देश्यों में निष्फल रहे निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	नाम			दिनांक		स्वीकृत राशि	व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
		ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद	स्वीकृति	पूर्णता			
1.	जीएलआर कार्य का निर्माण	सारन	मारवाड़ जंक्शन	पाली	सितम्बर 2013	अगस्त 2014	3.00	2.31	अगस्त 2014 से जीएलआर का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
2.	पाइपलाइन सहित जल टैंक (जीएलआर) का निर्माण	सारन	मारवाड़ जंक्शन	पाली	जनवरी 2014	सितम्बर 2014	5.00	5.00	सितम्बर 2014 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
3.	जल योजना का निर्माण	मोगर	आसीद	भीलवाड़ा	सितम्बर 2013	दिसम्बर 2013	3.00	3.00	दिसम्बर 2013 से जल योजना का स्रोत से संबंध नहीं था और मोटर पम्प स्रोत में स्थापित नहीं किया गया था।
4.	जल टैंक (जीएलआर) का निर्माण	करेदा	मांडल	भीलवाड़ा	दिसम्बर 2014	मार्च 2015	2.00	1.64	मार्च 2015 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
5.	जल टैंक का निर्माण	पारदी	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2016	दिसम्बर 2016	2.00	2.00	दिसम्बर 2016 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
6.	जल टैंक का निर्माण	कुण्डवा	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2016	अक्टूबर 2016	3.00	2.98	अक्टूबर 2016 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
7.	जल टैंक का निर्माण	कुण्डवा	देवगढ़	राजसमंद	सितम्बर 2016	अक्टूबर 2016	6.00	5.98	अक्टूबर 2016 से जल टैंक का स्रोत से संबंध नहीं था और अप्रयुक्त पड़ा था।
योग							24.00	22.91	

परिशिष्ट-XII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 77)

पंचायत समिति, शिव (बाड़मेर) में दुकानों के संबंध में बकाया किराए का विवरण

(राशि ₹ में)

दुकान नम्बर	दुकान आवंटन की दिनांक	किराए की अवधि	कुल उपार्जित किराया	किराया भुगतान	बकाया किराया
1	23.06.2003	23.06.2003 से 22.12.2016	7,28,984*	2,31,369	4,97,615
2	18.03.2002	18.03.2002 से 05.12.2016	6,30,147	1,91,313	4,38,834
3	06.12.2007	06.12.2007 से 05.12.2016	1,83,572	68,870	1,14,702
4	05.05.2001	05.05.2001 से 04.12.2016	5,98,291	1,18,199	4,80,092
5	01.04.2005	01.04.2005 से 31.03.2016	12,10,672	1,12,624	10,98,048
6	01.04.2005	01.04.2005 से 31.03.2006	8,34,526	5,06,741	3,27,785
7	18.03.2005	01.04.2005 से 31.12.2016	6,50,362	28,292	6,22,070
8	05.06.2007	05.06.2007 से 31.12.2016	1,35,678	77,300	58,378
9	18.03.2005	18.03.2005 से 31.12.2016	7,25,420	1,83,833	5,41,587
10	29.12.2006	23.12.2006 से 31.12.2016	3,59,912	86,056	2,73,856
11	03.08.2006	03.08.2006 से 02.12.2006	7,13,840	2,15,132	4,98,708
12	15.04.2011	15.04.2011 से 14.12.2016	12,32,132	1,56,000	10,76,132
13	15.04.2011	15.04.2011 से 14.12.2016	12,53,532	2,61,175	9,92,357
14	15.04.2011	15.04.2011 से 15.12.2016	19,52,456	2,47,200	17,05,256
15	18.04.2014	18.04.2014 से 17.12.2016	2,26,404	68,400	1,58,004
16	18.04.2014	18.04.2014 से 17.12.2016	45,344	15,600	29,744
योग			1,14,81,272	25,68,104	89,13,168
₹ लाख में			114.81	25.68	89.13

* 23.06.2003 से दुकान का मासिक किराया ₹ 1,335 प्रति माह (मासिक किराए में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि एवं उसके पश्चात् 20 प्रतिशत की वृद्धि)।

दुकान नम्बर 1 के उपार्जित किराए की गणना: 23.06.2003 से 22.06.2004: ₹ 1,335 प्रति माह x 12 माह = ₹ 16,020; 23.06.2004 से 22.06.2005: ₹ 1,468 प्रति माह (₹ 1,335 + 10 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 17,622; 23.06.2005 से 22.06.2006: ₹ 1,616 प्रति माह (₹ 1,468 + 10 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 19,392; 23.06.2006 से 22.06.2007: ₹ 1,939 प्रति माह (₹ 1,616 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 23,268; 23.06.2007 से 22.06.2008: ₹ 2,327 प्रति माह (₹ 1,939 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 27,924; 23.06.2008 से 22.06.2009: ₹ 2,792 प्रति माह (₹ 2,327 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 33,504; 23.06.2009 से 22.06.2010: ₹ 3,350 प्रति माह (₹ 2,792 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 40,200; 23.06.2010 से 22.06.2011: ₹ 4,020 प्रति माह (₹ 3,350 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 48,240; 23.06.2011 से 22.06.2012: ₹ 4,824 प्रति माह (₹ 4,020 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 57,888; 23.06.2012 से 22.06.2013: ₹ 5,789 प्रति माह (₹ 4,824 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 69,468; 23.06.2013 से 22.06.2014: ₹ 6,947 प्रति माह (₹ 5,789 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 83,364; 23.06.2014 से 22.06.2015: ₹ 8,336 प्रति माह (₹ 6,947 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 1,00,032; 23.06.2015 से 22.06.2016: ₹ 10,003 प्रति माह (₹ 8,346 + 20 प्रतिशत) x 12 माह = ₹ 1,20,038; 23.06.2016 से 22.12.2017: ₹ 12,004 प्रति माह (₹ 10,003 + 20 प्रतिशत) x 6 माह = ₹ 72,024 (कुल : ₹ 7,28,984)।

परिशिष्ट- XIII

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.1; पृष्ठ 81)

संविधान में सूचीबद्ध कार्यों का शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण को दर्शाने वाला विवरण	
अ. शहरी स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कार्य	
1.	भू-उपयोग और भवन निर्माण का नियमन
2.	कच्ची बस्ती सुधार एवं उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	कब्र एवं कब्रिस्तान इत्यादि
5.	जन्म-मृत्यु के पंजीयन सहित महत्वपूर्ण आँकड़ें
6.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान इत्यादि सहित जन सुविधाएं
7.	पशुवध गृहों का नियमन
8.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना
9.	सड़कें एवं पुल
10.	जन स्वास्थ्य एवं ठोस कचरा प्रबन्धन
11.	अग्निशमन सेवाएं
12.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण पहलुओं का उन्नयन
13.	शहरी सुख सुविधाओं यथा पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का प्रावधान
14.	विकलांगों एवं मानसिक विमन्दिता लोगों सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
15.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विकास
16.	पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम
ब. कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को अभी हस्तांतरित किए जाने हैं	
1.	कस्बों के नियोजन सहित नगर नियोजन
2.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति

परिशिष्ट-XIV

(संदर्भ अनुच्छेद 4.1.3; पृष्ठ 99)

नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

अ. शहरी स्थानीय निकाय

क्रम संख्या	नाम					
	जिला	नगर निगम	नगर परिषद	नगरपालिका मंडल		
				वर्ग-II	वर्ग-III	वर्ग-IV
1.	बारां		बारां	अन्ता	-	मंगरोल
2.	भरतपुर	-	-	-	नदबई	नगर
3.	बीकानेर	बीकानेर	-	-	नोखा	देशनोक
4.	जयपुर	जयपुर	-	-	सांभर	विराट नगर
5.	झालावाड	-	झालावाड	-	भवानी मंडी	पिडावा
6.	करौली	-	करौली	-	-	टोडाभीम
7.	पाली	-	पाली	सुमेरपुर	सोजत सिटी	जैतारण
8.	उदयपुर	-	-	-	फतेह नगर	सलूम्वर

ब. पंचायती राज संस्थाएं

क्रम संख्या	जिला	पंचायत समिति	नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों के नाम
1.	बारां	छबडा	भीलवाडा नीचा, हान्या हेरी, मुंडाकिया एवं मुंडला (4)
2.	भरतपुर	बयाना	बाजना, कपूरा मालूका, खान खेरा, महमदपुरा, महरावर, नरोली एवं परुआ (7)
3.	बीकानेर	नोखा	बीकासर, गोंडूसर, रायसर, सोमलसर एवं सूरपुरा (5)
4.	जयपुर	शाहपुरा	बीडारा, छरसा, मनोहरपुर, नाथवाला एवं सुराणा (5)
5.	झालावाड	खानपुर	जोल्पा, खंडी, मालन वसा, मूंडला, पीपलाज एवं सूमर (6)
6.	करौली	हिंडौन	अलीपूरा, डिंडोरा, खरेटा, खेरली गुजर, कोटडी, महू इब्राहिमपुर, पटौदा एवं टोडूपुरा (8)
7.	पाली	रोहत	दीवांडी, गेलावास एवं सिंगारी (3)
8.	उदयपुर	गिरवा	बरापल, दोदावली, कानपुर, पोपलती एवं सवीना (ग्रामीण)(5)

परिशिष्ट- XV

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

प्रीमियम प्रभार, लीज किराए एवं बाह्य विकास प्रभार की वसूली के अभाव का विवरण।

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	कुल क्षेत्रफल		कृषि से गैर-कृषि में परिवर्तित भूमि का क्षेत्र (वर्ग गज में)	मांग नोटिस जारी करने की दिनांक	प्रीमियम दर** (प्रति वर्ग गज)	प्रीमियम प्रभार		वसूली योग्य लीज किराया*** (कॉलम 8 x कॉलम 4 x 2.5 प्रतिशत x 8 वर्ष)	बाह्य विकास प्रभार		कुल वसूली योग्य राशि (कॉलम 8 + कॉलम 10 + कॉलम 11)	कुल वसूली राशि (कॉलम 9 + कॉलम 12)	कम वसूली (कॉलम 13 - कॉलम 14)
		वर्ग गज में*	वर्ग मीटर में*				वसूली योग्य (कॉलम 5 x कॉलम 7)	वसूली		वसूली योग्य (कॉलम 4 x ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर)	वसूली			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अचल वाटिका	5,740.50	4,799.06	2,865.63	11.03.2013	60	1,71,938	17,193	1,37,550	4,79,906	-	7,89,394	17,193	7,72,201
2.	गोल्डन सिटी	8,000	6,688	5,000.47	11.03.2013	60	3,00,028	30,003	2,40,022	6,68,800	-	12,08,850	30,003	11,78,847
3.	बांके बिहारी कॉलोनी	32,763	27,389.87	17,231	26.07.2013	60	10,33,860	12,45,332	8,27,088	27,38,987	-	45,99,935	12,45,332	33,54,603
4.	अचल नगर	24,756.26	20,696.23	14,748.30	11.03.2013	60	8,84,898	88,490	7,07,918	20,69,623	-	36,62,439	88,490	35,73,949
5.	श्याम वाटिका	21,271	17,782.56	12,673	02.07.2014	63	7,98,399	1,29,228	6,38,719	17,78,256	5,98,332	32,15,374	7,27,560	24,87,814
	योग						31,89,123	15,10,246	25,51,297	77,35,572	5,98,332	1,34,75,992	21,08,578	1,13,67,414
					₹ करोड़ में		0.32	0.15	0.26	0.77	0.06	1.35	0.21	1.14

* एक वर्ग गज 0.836 वर्ग मीटर

** प्रीमियम दर 03.09.2012 की अधिसूचना अनुसार 31.03.2014 तक प्रीमियम दर ₹ 60 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज तक के आकार के भूखंडों और 5000 वर्ग गज से ऊपर की आवासीय योजनाओं के लिए) और ₹ 90 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज से अधिक आकार के भूखंडों के लिए) एवं इसके पश्चात् प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

*** लीज किराया : आवासीय समूह आवास और अन्य योजनाओं के नियम 10 (ii) (अ) के अनुसार - प्रीमियम प्रभार के चार गुना पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (आठ वर्षों के लिए एक बारीय लीज राशि का 20 प्रतिशत) अर्थात् लीज किराया = 2.5 प्रतिशत (₹ 1,71,938 x चार गुना) x आठ वर्ष = ₹ 1,37,550

परिशिष्ट-XVI

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

नगर परिषद, जालोर द्वारा प्रीमियम राशि और नगरीय निर्धारण (लीज किराए) की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	प्रकरण नम्बर/ वर्ष	अनुमोदन की दिनांक	कृषि से आवासीय/ वाणिज्यिक हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन	परिवर्तित भूखंड का क्षेत्र (वर्ग गज में)	प्रीमियम दर (प्रति वर्ग गज)		वसूलनीय राशि			वसूली राशि			कम वसूली			कम मूल्यांकन का कारण
					लागू दर	ली गई दर**	प्रीमियम (कॉलम 5 x कॉलम 7)	लीज किराया*	योग	प्रीमियम	लीज किराया	योग	प्रीमियम (कॉलम 8 - कॉलम 11)	लीज किराया (कॉलम 9 - कॉलम 12)	योग (कॉलम 14 + कॉलम 15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	13/ 2013-14	06.03.2014	आवासीय	3,825.77	90	99 (90 + 10 प्रतिशत)	3,78,751	3,03,000	6,81,751	3,44,319	2,75,455	6,19,774	34,432	27,545	61,977	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
2.	45/ 2013-14	09.02.2015	-वही-	3,228	90	104 (90 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	3,35,712	2,68,569	6,04,281	2,90,520	2,32,416	5,22,936	45,192	36,153	81,345	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार सह जिला स्तरीय समिति दर 5 प्रतिशत
3.	44/ 2013-14	24.09.2013	-वही-	3,226	90	99 (90 + 10 प्रतिशत)	3,19,374	2,55,499	5,74,873	2,90,520	2,32,416	5,22,936	28,854	23,083	51,937	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
4.	43/ 2013-14	24.09.2013	-वही-	3,228	90	99 (90 + 10 प्रतिशत)	3,19,572	2,55,658	5,75,230	2,90,520	2,32,416	5,22,936	29,052	23,242	52,294	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
5.	6/ 2013-14	15.07.2013	-वही-	4,373.41	60	99 (90 + 10 प्रतिशत)	4,32,968	3,46,374	7,79,342	2,62,405	2,09,920	4,72,325	1,70,563	1,36,454	3,07,017	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल और 200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
6.	7/ 2013-14	11.03.2013	-वही-	4,359.05	60	99 (90 + 10 प्रतिशत)	4,31,546	3,45,237	7,76,783	2,61,543	2,09,232	4,70,775	1,70,003	1,36,005	3,06,008	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल और 200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
7.	49/ 2013-14	06.03.2014	आवासीय	355.83	60	90	32,025	25,620	57,645	21,350	17,080	38,430	10,675	8,540	19,215	200 वर्ग गज कम

	2012-13															दर से गणना की गई।
8.	70/ 2013-14	08.10.2014	-वही-	634.66	63	105 (90 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	66,005	52,804	1,18,809	46,331	37,065	83,396	19,674	15,739	35,413	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई और कॉर्नर शुल्क वसूल नहीं किया।
9.	47/ 2013-14	13.10.2014	-वही-	266.66	63	105 (90 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	27,733	22,186	49,919	19,467	15,574	35,041	8,266	6,612	14,878	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई और कॉर्नर शुल्क वसूल नहीं किया।
10.	157/ 2012-13	17.10.2014	-वही-	350	63	95 (90 + 5 प्रतिशत)	33,250	26,600	59,850	22,050	17,640	39,690	11,200	8,960	20,160	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
11.	1159/ 2012-13	28.10.2014	-वही-	658	63	95 (90 + 5 प्रतिशत)	62,510	50,008	1,12,518	41,454	33,163	74,617	21,056	16,845	37,901	200 वर्ग गज कम दर से गणना की गई।
12.	226/ 2013-14	23.09.2014	आवासीय (समूह आवासीय)	14,951.95	63	69 (60 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	10,31,685	8,25,348	18,57,033	9,41,973	7,53,578	16,95,551	89,712	71,770	1,61,482	60 फीट या अधिक सड़क प्रभार अवसूल
13.	112/ 2012-13	25.02.2015	औद्योगिक	13,289.89 (5,000 + 8,289.89)	63 एवं 32	70 एवं 35 (60 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत) और इसका 50 प्रतिशत	6,40,146 (3,50,000 + 2,90,146)	1,02,4234 (प्रीमियम x 4 गुना x 5 प्रतिशत x 8 वर्ष)	16,64,380	5,80,277	4,64,224	10,44,501	59,869	5,60,010	6,19,879	-वही-
14.	53/ 2014-15	25.02.2015	वाणिज्यिक	1,912.89	95	416 (360 + 5 प्रतिशत + 10 प्रतिशत)	7,95,762	12,73,219 (प्रीमियम x 4 गुना x 5 प्रतिशत x 8 वर्ष)	20,68,981	1,81,725	1,45,380	3,27,105	6,14,037	11,27,839	1,74,1876	-वही- एवं वाणिज्यिक दर की गणना नहीं की गई।
योग							49,07,039	50,74,356	99,81,395	35,94,454	28,75,559	64,70,013	13,12,585	21,98,797	35,11,382	
₹ करोड़ में													13.12	21.99	35.11	

* लीज किराया : आवासीय समूह आवास और अन्य योजनाओं के नियम 10 (ii) (अ) के अनुसार - प्रीमियम प्रभार के चार गुना पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (आठ वर्षों के लिए एक बारीय लीज राशि का 20 प्रतिशत) अर्थात् लीज किराया = 2.5 प्रतिशत (₹ 3,78,751 x चार गुना) x आठ वर्ष = ₹ 3,03,000

** प्रीमियम दर 03.09.2012 की अधिसूचना अनुसार 31.03.2014 तक प्रीमियम दर ₹ 60 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज तक के आकार के भूखंडों और 5000 वर्ग गज से ऊपर की आवासीय योजनाओं के लिए) और ₹ 90 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज से अधिक आकार के भूखंडों के लिए) एवं इसके पश्चात् प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

परिशिष्ट-XVII

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

नगरपालिका मंडल, फतेहपुर शेखावटी द्वारा प्रीमियम राशि की कम वसूली

(राशि ₹ में)

खसरा नम्बर	अनुमोदन की दिनांक	भूखंड उपयोग परिवर्तन		परिवर्तित किया जाना वाले भूखंड का क्षेत्र (वर्ग गज में)	प्रीमियम दर		प्रीमियम राशि		
		से	तक		लागू	ली गई*	वसूलनीय	वसूलनी	कम वसूली (कॉलम 8 - कॉलम 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
514/1/1/1, 514/3/1/1, 430/3	17.12.2014	कृषि	आवासीय	30,941.45	10	63 (60 +5 प्रतिशत)	19,49,311	3,09,720	16,39,591
32/1/1	17.07.2015	-वही-	-वही-	206.66	10	100 (90 + 5 प्रतिशत + 5 प्रतिशत)	20,666	2,070	18,596
योग							19,69,977	3,11,790	16,58,187
₹ करोड़ में							19.70	3.12	16.58

* प्रीमियम दर 03.09.2012 की अधिसूचना अनुसार 31.03.2014 तक प्रीमियम दर ₹ 60 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज तक के आकार के भूखंडों और 5,000 वर्ग गज से ऊपर की आवासीय योजनाओं के लिए) और ₹ 90 प्रति वर्ग गज (200 वर्ग गज से अधिक आकार के भूखंडों के लिए) एवं इसके पश्चात् प्रति वर्ष पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी।

परिशिष्ट-XVIII

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 136)

आवासीय से वाणिज्यिक भू-उपयोग परिवर्तन पर रूपान्तरण प्रभार और लीज किराए की कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	भूखंड की स्थान	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	आवासीय आरक्षित मूल्य		रूपान्तरण प्रभार			लीज किराया			कुल कम वसूली (कॉलम 9 + कॉलम 12)
			प्रति वर्ग मीटर	योग (कॉलम 4 x कॉलम 5)	वसूलनीय (कॉलम 6 का 40 प्रतिशत)	वसूली	कम वसूली (कॉलम 7 - कॉलम 8)	वसूलनीय (कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)	वसूली	कम वसूली (कॉलम 10 - कॉलम 11)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	बी-ब्लॉक	41.00	7,000	2,87,000	1,14,800	86,100	28,700	14,350	4,305	10,045	38,745
2.	सी-ब्लॉक	105.00	7,000	7,35,000	2,94,000	2,10,000	84,000	36,750	10,500	26,250	1,10,250
3.	डी-ब्लॉक	49.07	8,000	3,92,560	1,57,024	1,31,160	25,864	19,628	6,558	13,070	38,934
4.	एफ-ब्लॉक	120.00	7,000	8,40,000	3,36,000	2,52,000	84,000	3,36,000*	67,500*	2,68,500	3,52,500
5.	गौशाला रांड	557.60	10,000	55,76,000	22,30,400	7,80,640	14,49,760	22,30,400*	1,56,128*	20,74,272	35,24,032
6.	एच-ब्लॉक	76.21	7,000	5,33,470	2,13,388	1,60,041	53,347	26,673	26,674	शून्य	53,347
7.	औद्योगिक क्षेत्र कृष्णा टाकिज	412.40	2,500	10,31,000	4,12,400	3,54,664	57,736	51,550	17,733	33,817	91,553
8.	एन-ब्लॉक	69.70	7,000	4,87,900	1,95,160	7,580	1,87,580	24,395	2,439	21,956	2,09,536
9.	पी-ब्लॉक	185.87	7,000	13,01,090	5,20,436	3,38,281	1,82,155	65,055	8,457	56,598	2,38,753
10.	रविन्द्र पथ	54.00	10,000	5,40,000	2,16,000	75,600	1,40,400	27,000	1,890	25,110	1,65,510
11.	विनोबा बस्ती	139.40	7,000	9,75,800	3,90,320	1,95,160	1,95,160	48,790	शून्य	48,790	2,43,950
			योग		50,79,928	25,91,226	24,88,702	28,80,591	3,02,183	25,78,408	50,67,110
			₹ लाख में		50.80	25.91	24.89	28.80	3.02	25.78	50.67

लीज किराया : एक बारीय = वसूली योग्य लीज किराया का आठ गुना (आवासीय आरक्षित मूल्य का पांच प्रतिशत) अर्थात आठ गुना x पांच प्रतिशत (8,40,000) = 3,36,000

परिशिष्ट-XIX

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 137)

आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन पर नगरीय निर्धारण (लीज किराया) की कम वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	आवेदक का पता	क्षेत्र (वर्ग फीट)	क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर (प्रति वर्ग फीट)	क्षेत्र की कुल आरक्षित दर (कॉलम 3 x कॉलम 4)	नगरीय निर्धारण (लीज किराए) वसूली की अवधि (एक बारीय 10 वर्ष या एक वर्ष के लिए)	नगरीय निर्धारण/लीज किराए		
						वसूलनीय (कॉलम 5 का 5 प्रतिशत x कॉलम 6)	वसूली (कॉलम 5 का 40 प्रतिशत x कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)5	कम वसूली (कॉलम 7 - कॉलम 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्लॉट नम्बर 238/59, ग्राम श्यामपुरा	1,625	725	11,78,125	10	5,89,063	2,35,625	3,53,438
2.	प्लॉट नम्बर 1358, ग्राम बांसवाड़ा	3,600	325	11,70,000	10	5,85,000	2,34,000	3,51,000
3.	प्लॉट नम्बर 47, ग्राम बांसवाड़ा	674	325	2,19,050	10	1,09,525	43,810	65,715
4.	प्लॉट नम्बर 44/2, ग्राम श्यामपुरा	4,500	725	32,62,500	1	1,63,125	65,250	97,875
5.	प्लॉट नम्बर 44/2, ग्राम श्यामपुरा	4,500	725	32,62,500	1	1,63,125	65,250	97,875
6.	प्लॉट नम्बर 356/40/1, ग्राम पीपलोद	9,133	245	22,37,585	10	11,18,793	4,47,517	6,71,276
7.	प्लॉट नम्बर 2839/307, 840/309, ग्राम बांसवाड़ा	3,000	85	2,55,000	10	1,27,500	51,000	76,500
8.	प्लॉट नम्बर 1901/01, ग्राम बांसवाड़ा	5,440	645	35,08,800	10	17,54,400	7,01,760	10,52,640
9.	प्लॉट नम्बर 1472/688 ए-1 (ए बी), ग्राम ठीकरिया	636	265	1,68,540	10	84,270	33,708	50,562
10.	प्लॉट नम्बर 113/2, ग्राम श्यामपुरा	2,100	725	15,22,500	10	7,61,250	3,04,500	4,56,750
	योग					54,56,051	21,82,420	32,73,631
	₹ लाख में					54.56	21.82	32.74

परिशिष्ट-XX

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 140)

बेहतरी प्रभार की कम वसूली/अवसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

आवेदन की दिनांक/ अनुमति प्रदान	भू-खण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	फ्लोर एरिया अनुपात							कुल अधिक्य क्षेत्रफल वर्गमीटर में (कॉलम 7 + कॉलम 9)	आरक्षित दर	बेहतरी प्रभार उच्चतर दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए (प्रति वर्गमीटर)				बेहतरी प्रभार		
		अनुमत्य	अधिकतम	लागू	अधिक्य						आरक्षित दर का 25 प्रतिशत (कॉलम 11) ₹ में	आरक्षित दर का 30 प्रतिशत (कॉलम 11) ₹ में	₹ 100 प्रति वर्ग फीट	₹ 200 प्रति वर्ग फीट	वसूलनीय	वसूली	कम वसूली/अवसूली (कॉलम 16 - कॉलम 17)
					अधिकतम और अनुमत्य का अन्तर (कॉलम 4 - कॉलम 3)	क्षेत्रफल वर्गमीटर में (कॉलम 2 x कॉलम 6)	लागू और अनुमत्य/अधिकतम के बीच अन्तर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में (कॉलम 2 x कॉलम 8)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
नगर निगम, बीकानेर																	
1. जस्सुदर गेट के बाहर, कोठरी अस्पताल के पास, गजनेर रोड़																	
15.02.2012 एवं 05.12.2014/ 12.02.2016 (आवासीय प्रयोजनार्थ)	15,070	1.33	2.25	2.66	0.92	13,864.40	0.41 (कॉलम 5 - कॉलम 4)	6,178.70	20,043.10	1,963.60**	490.90 (0.92 एफएआर हेतु)	589.08 (0.41 एफएआर हेतु)	1,076 व.मी.*	लागू नहीं	2,15,66,376 (कॉलम 10 x कॉलम 14)	1,08,15,618	1,07,50,758
2. डीआरएम कार्यालय के सामने																	
23.02.2011/ 24.10.2011 (वाणिज्यिक - होटल प्रयोजनार्थ)	1,880.11	1.33	2.25	2.00	-	-	0.67 (कॉलम 5 - कॉलम 3)	1,259.67	1,259.67	10,500	2,625 (0.67 एफएआर हेतु)	लागू नहीं	लागू नहीं	2,152 व.मी.	33,06,634 (कॉलम 10 x कॉलम 12)	शून्य	33,06,634
नगर परिषद, नागौर																	
3. करणी कॉलोनी																	
15.02.2013/ 24.04.2013 (आवासीय प्रयोजनार्थ)	2,182.88	1.33	2.25	3.79	0.92	2,008.25	1.54 (कॉलम 5 - कॉलम 4)	3,361.63	5,369.88	418.60	104.65 (एफएआर 0.92 + 1.54 हेतु)	लागू नहीं	1,076 व.मी.*	लागू नहीं	57,77,991 (कॉलम 10 x कॉलम 14)	शून्य	57,77,991
योग																1,98,35,383	
₹ करोड़ में																1.98	
*एक वर्ग फीट के लिए ₹ 100, एक वर्ग फीट = 0.092903 वर्ग मीटर एक वर्ग मीटर के लिए = 100/0.092903 = ₹ 1,076																	
** आरक्षित दर = ₹ 4,909 प्रति वर्ग मीटर का 40 प्रतिशत (डीएलसी दर) = 1,963.60 प्रति वर्ग मीटर																	

परिशिष्ट-XXI

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 143)

विवाह स्थलों से पंजीकरण एवं वार्षिक अनुमति शुल्क की कम वसूली/अवसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	विवाह स्थलों का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	वार्षिक अनुमति शुल्क की वसूली	बकाया राशि		वसूलनीय राशि		कुल वसूलनीय राशि (कॉलम 7 + कॉलम 8)
				वार्षिक अनुमति शुल्क* (कॉलम 3 x ₹ 20 x 5 वर्ष)	शास्ति (अप्रैल 2010 से मार्च 2017)**	वार्षिक अनुमति शुल्क (कॉलम 5 + कॉलम 6 - कॉलम 4)	पंजीकरण शुल्क (2015)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अग्रवाल मैरिज पैलेस	8,888	शून्य	12,44,320	2,47,432	14,91,752	20,000	15,11,752
2.	अमर पैलेस	7,464.88	1,29,500	10,45,086	2,27,508	11,43,094	20,000	11,63,094
3.	सेलिब्रेशन पैलेस	1,366	1,33,525	1,91,240	1,42,124	1,99,839	20,000	2,19,839
4.	सिटी गार्डन	5,312	4,73,581	7,43,680	1,97,368	4,67,467	20,000	4,87,467
5.	देव मैरिज पैलेस	1,859.55	44,450	2,60,337	1,49,033	3,64,920	20,000	3,84,920
6.	दुर्गेश मैरिज पैलेस	4,115	2,90,000	5,76,100	1,80,610	4,66,710	20,000	4,86,710
7.	गंगा पैलेस	10,236	8,95,964	14,33,040	2,66,304	8,03,380	20,000	8,23,380
8.	गणपति पैलेस	583.66	50,500	81,620	1,31,162	1,62,282	20,000	1,82,282
9.	गौरव मैरिज पैलेस	8,027.55	5,00,000	11,23,857	2,35,385	8,59,242	20,000	8,79,242
10.	जिन्दल मैरिज पैलेस	5,436	4,87,000	7,61,040	1,99,104	4,73,144	20,000	4,93,144
11.	मालवा पैलेस	2,205	1,94,450	3,08,700	1,53,870	2,68,120	20,000	2,88,120
12.	मोती पैलेस	1,520	42,865	2,12,800	1,44,280	3,14,215	20,000	3,34,215
13.	सरस्वती पैलेस	5,010	3,50,000	7,01,400	1,93,140	5,44,540	20,000	5,64,540
14.	श्री पैलेस	3,610	2,98,900	5,05,400	1,73,540	3,80,040	20,000	4,00,040
15.	श्रीनगर मैरिज पैलेस	524.44	42,400	73,395	1,30,339	1,61,334	20,000	1,81,334
16.	एसएसके पार्टी	1,357.77	35,000	1,90,085	1,42,008	2,97,093	20,000	3,17,093

क्रम संख्या	विवाह स्थलों का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	वार्षिक अनुमति शुल्क की वसूली	बकाया राशि		वसूलनीय राशि		कुल वसूलनीय राशि (कॉलम 7 + कॉलम 8)
				वार्षिक अनुमति शुल्क* (कॉलम 3 x ₹ 20 x 5 वर्ष)	शास्ति (अप्रैल 2010 से मार्च 2017)**	वार्षिक अनुमति शुल्क (कॉलम 5 + कॉलम 6 - कॉलम 4)	पंजीकरण शुल्क (2015)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	सुखवन्त मैरिज पैलेस	4,330	शून्य	6,06,200	1,83,620	7,89,820	20,000	8,09,820
18.	ताज मैरिज पैलेस	2,318.55	2,12,770	2,31,855	1,46,185	1,65,270	20,000	1,85,270
योग			4,180,905	10,290,155	32,43,102	93,52,262	3,60,000	97,12,262
<p>* सात वर्ष के लिए (अप्रैल 2010 से मार्च 2017) वार्षिक अनुमति शुल्क ₹ 20 प्रति वर्ग गज।</p> <p>** प्रथम तीन माह के लिए बकाया राशि का 10 प्रतिशत + तीन माह के पश्चात विलम्ब का ₹ 50 प्रति दिवस (अर्थात् प्रथम तीन माह (अप्रैल 2010 से जून 2010 तक) के लिए बकाया अनुमति शुल्क राशि का 10 प्रतिशत) अर्थात् ₹ 12,44,320 का 10 प्रतिशत = ₹ 1,24,432 + ₹ 1,23,000 (₹ 50 x 2,460 दिवस) (जुलाई 2010 से मार्च 2017) = ₹ 2,47,432</p>								

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

<http://www.agraj.cag.gov.in>